SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या - 7

(स्थानीय निकाय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या - 7

विषय-सूची

विवरण	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय I		
राज्य में स्थानीय शासन की प्रस्तावना एवं उसकी लेखापरीक्षा		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक संरचना	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियां एवं कार्यपद्धति	1.3	5
हस्तांतरण का संक्षिप्त अवलोकन	1.4	8
लेखों का संधारण	1.5	9
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.6	10
लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया	1.7	12
सामाजिक अंकेक्षण	1.8	13
वित्तीय प्रतिवेदन	1.9	14
अभिस्वीकृति	1.10	21
अध्याय II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन	2.1	25
अध्याय III		
शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा		
किराये पर दुकानों के आवंटन में विलंब	3.1	65
जल आपूर्ति अवसंरचना का अपूर्ण कार्य	3.2	67

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.1	पंचायती राज संस्थाओं के सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा चिन्हित प्रमुख निष्कर्षों की सूची का विवरण	71
2.1	लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों की सूची	72
2.2	छत्तीसगढ़ में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों का विवरण	75
2.3	विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने वाले कार्यों के गतिविधि मानचित्रण (2006-07 के दौरान संचालित) का विवरण	79
2.4	निर्वाचित प्रतिनिधियों के ग्राम पंचायत-वार रिक्त पदों का विवरण	82
2.5	पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों को सौंपे गए शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विवरण	84
2.6	पंचायती राज संस्थाओं में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण	86
2.7	चयनित ग्राम पंचायतों में आयोजित स्थायी समिति की बैठकों का विवरण	88
2.8	चयनित जिला/ जनपद पंचायतों में गठित स्थायी समितियों एवं आयोजित बैठकों का विवरण	104

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों सहित संबंधित विभागों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण आपत्तियों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2022-23 की अवधि का लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए प्रकरणों के साथ-साथ वैसे प्रकरण, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये, परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, प्रतिवेदन में आवश्यकतानुसार शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपन्न किया गया है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय I राज्य में स्थानीय शासन की प्रस्तावना एवं उसकी लेखापरीक्षा प्रस्तुत किया गया है। अध्याय II में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है तथा अध्याय III में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित दो लेखापरीक्षा कंडिका सम्मिलित है।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अध्याय-वार सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

1. राज्य में स्थानीय शासन की प्रस्तावना एवं उसकी लेखापरीक्षा

- अप्रैल 2020 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लेखांकन प्रणाली लागू किए जाने के बावजूद, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के राजस्व स्रोत, राज्य वित्त आयोग से हस्तांतरित तथा विभिन्न योजनाओं से प्राप्त निधियों के लिए लेखाओं का संधारण अभी भी नकद आधारित मैनुअल प्रणाली से किया जाना जारी है। वर्तमान में केवल केन्द्रीय वित्त आयोग से हस्तांतरित निधियों का ही लेखांकन ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में किया जा रहा है।

(कंडिका 1.5.1)

- शहरी स्थानीय निकायों में वर्तमान में लेखा-बही के संधारण हेतु एकल प्रविष्टि आधारित नकद लेखांकन प्रणाली का पालन किया जा रहा है। द्वि-प्रविष्टि उपार्जन आधारित लेखा प्रणाली में स्थानांतरण की प्रक्रिया जनवरी 2023 में प्रारंभ की गई थी, तथापि वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए यह प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर थी।

(कंडिका 1.5.2)

2. निष्पादन लेखापरीक्षा – पंचायती राज संस्थाएं

2.1 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करके स्थानीय ग्रामीण स्व-शासन को मजबूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से नियमित निर्वाचन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण और राज्य वित्त आयोग और जिला योजना समितियों जैसे संस्थानों की स्थापना का प्रावधान करता है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। संविधान की 11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243जी) में सूचीबद्ध 29 कार्यों के अनुरूप, कार्यों और दायित्वों के हस्तांतरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अगस्त 1998 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए

गए थे, और छत्तीसगढ़ के नए राज्य के गठन के पश्चात इनमें बाद में संशोधन भी किए गए। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने हेतु अधिदेशित किया गया और वर्ष 2006-07 में गतिविधि मानचित्रण कार्य में भी पंचायती राज संस्थाओं को 12 कार्य अंतरित करने का प्रस्ताव किया गया था, तथापि, कार्यात्मक अंतरण के लिए प्रचालनात्मक ढांचा मौजूद नहीं था और पंचायती राज संस्थाएं अभी भी संविधान के अंतर्गत परिकल्पित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपर्याप्त रूप से सक्षम था।

(कंडिका 2.9.2)

- चयनित 21 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के 22 पद (सरपंच के तीन पद और पंच के 19 पद) छ: महीने से अधिक समय से खाली पड़े थे और मार्च 2024 की स्थिति में भरे जाने बाकी थे।

(कंडिका 2.10.3)

- 2018-23 की अवधि के दौरान अनिवार्य जिला योजना समिति की बैठकें नहीं बुलाई गई थीं।

(कंडिका 2.11.2)

- पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित राजस्व जैसे भू-राजस्व, भू-राजस्व पर उपकर और उत्पाद शुल्क अधिभार के विरुद्ध कोई राशि अंतरित नहीं की गई थी। 2018-23 के दौरान लघु खनिज रॉयल्टी और स्टांप और पंजीकरण शुल्क के तहत आवंटित राजस्व के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को केवल ₹ 398.20 करोड़ हस्तांतरित किए गए।

(कंडिका 2.12.3(ए))

- 2018-23 के दौरान, राज्य के स्वयं के स्रोत से राजस्व प्राप्तियां से हस्तांतरण, राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण राशि से ₹ 3,243.46 करोड़ रुपये कम पाया गया।

(कंडिका 2.12.3(बी))

- 36 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में, ग्राम सभा की किसी भी बैठक में आवश्यक गणपूर्ति को पूरा नहीं किया गया था। इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों में भी गणपूर्ति करने के लिए, जिम्मेदार पदधारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(कंडिका 2.13.1)

- नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखें तैयार नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.13.3)

- कुल मिलाकर, संचालनालय और जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों में स्वीकृत 2,260 पदों में से 872 (39 प्रतिशत) भरे गए थे, जिससे 1,388 पद (61 प्रतिशत) रिक्त थे और ग्राम पंचायत स्तर पर 1,278 सचिव की कमी के साथ 11,656 स्वीकृत पदों के मुकाबले 10,378 सचिव पदस्थ थे।

(कंडिका 2.14.1)

- नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों/ जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों में स्थायी समितियों की बैठकें नियमों में निर्धारित समयबद्ध तरीके से आयोजित नहीं की गई थीं।

(कंडिका 2.16.4)

3. शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा

यह अध्याय में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित दो कंडिकाएं शामिल है।

- नगरपालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा निर्मित सुभाष द्वार बिजनेस कॉम्प्लेक्स में दुकानों के आवंटन में विलंब के कारण किराये से ₹ 39.11 लाख के संभावित राजस्व की हानि।

(कंडिका 3.1)

- नगरपालिका परिषद, जांजगीर-नैला एवं अकलतरा के अंतर्गत जल आपूर्ति अवसंरचना कार्यों के विलंबित एवं अपूर्ण निष्पादन के लिए ठेकेदारों से ₹ 5.18 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि की वसूली न करना तथा अनुबंधीय प्रावधानों को लागू करने में विफलता।

(कंडिका 3.2)

अध्याय – I
राज्य में स्थानीय शासन की प्रस्तावना एवं उसकी लेखापरीक्षा

अध्याय I

राज्य में स्थानीय शासन की प्रस्तावना एवं उसकी लेखापरीक्षा

1.1 प्रस्तावना

जमीनी स्तर पर स्वायत्तता को अधिक से अधिक बढ़ावा देने और लोगों को विकासात्मक कार्यक्रमों की पहचान एवं क्रियान्वयन में सम्मिलित करने के उद्देश्य से, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किए गए। ये अधिनियम क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 243 (जी), राज्य विधानमंडलों को ऐसे कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जिनके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां एवं अधिकार दिए जा सके। इसी प्रकार, अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू), राज्य विधानमंडलों को ऐसे कानून बनाने के लिए सशक्त करता है, जिनके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य, जिसकी राजधानी रायपुर है, 1 नवम्बर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 जिलों को पृथक करके अस्तित्व में आया। मार्च 2023 तक राज्य में कुल 33[1] जिले हैं।

तदनुसार, छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ में एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में मध्य प्रदेश की पंचायती राज प्रणाली को अपनाया। राज्य ने मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में संशोधन कर इसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के रूप में अपनाया, जो पंचायतों के कार्यात्मक और वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। शहरी स्थानीय निकायों में, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिकाएं अधिनियम, 1961 को (अगस्त 2001 में) अपनाया गया तथा नगरपालिक निगमों और नगरपालिकाओं से संबंधित कानूनों के समेकन और संशोधन किये जाने एवं नगरपालिक निगमों और नगरपालिकाओं के संगठन और प्रशासन के लिए बेहतर प्रावधान बनाने हेतु छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगरपालिकाएं अधिनियम, 1961 के रूप में संशोधित किया गया।

1.1.1 राज्य परिचय

छत्तीसगढ़, मध्य भारत में स्थित है, जिसमें देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.11 प्रतिशत (1,35,192 वर्ग किमी.) और देश की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत (2.55 करोड़) भाग स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल 2.55 करोड़ जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या 1.96 करोड़ (77 प्रतिशत) तथा शहरी जनसंख्या 59 लाख (23 प्रतिशत) है।

---

[1] 1. बालोद 2. बलौदा बाजार 3. बलरामपुर 4. बस्तर 5. बेमेतरा 6. बीजापुर 7. बिलासपुर 8. दंतेवाड़ा 9. धमतरी 10. दुर्ग 11. गरियाबंद 12. गौरेल्ला-पेन्ड्रा-मारवाही 13. जांजगीर-चांपा 14. जशपुर 15. कबीरधाम 16. कांकेर 17. खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 18. कोण्डागांव 19. कोरिया 20. कोरबा 21. महासमुंद 22. मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 23. महेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर 24. मुंगेली 25. नारायणपुर 26. रायगढ़ 27. रायपुर 28. राजनांदगांव 29. सक्ती 30. सारंगढ़-बिलाइगढ़ 31. सुकमा 32. सुरजपुर 33. सरगुजा

अनुच्छेद 243(ब) के अनुसार, पंचायती राज संस्थाएं तीन स्तरों में संगठित हैं, अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकासखंड (मध्यवर्ती) स्तर पर जनपद पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।

अनुच्छेद 243 (क्यू) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को तीन प्रकार में व्यवस्थित किया गया है: परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद तथा बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिक निगम।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मूलभूत जानकारी नीचे **तालिका 1.1** में प्रस्तुत है।

तालिका 1.1: राज्य संबंधी मूलभूत जानकारी

पंचायती राज संस्थाएं		शहरी स्थानीय निकाय	
विवरण	**आंकड़े**	**विवरण**	**आंकड़े**
ग्रामीण जनसंख्या (करोड़)	1.96	शहरी जनसंख्या (करोड़)	0.59
ग्रामीण साक्षरता दर (प्रतिशत)	66	शहरी साक्षरता दर (प्रतिशत)	84
लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं)	1,001	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं)	956
जिला पंचायत (संख्या)	27	नगरपालिक निगम (संख्या)	14
जनपद पंचायत (संख्या)	146	नगरपालिका परिषद (संख्या)	44
ग्राम पंचायत (संख्या)	11,656	नगर पंचायत (संख्या)	112

(स्रोत: भारत सरकार वेबसाइट के जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रशासनिक प्रतिवेदन (2022-23))

1.2 संगठनात्मक संरचना

1.2.1 पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना

पंचायती राज संस्थाएं, छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की गतिविधियां छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होती हैं। यह अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम/उपनियम पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन के संचालन हेतु कार्यकारी/प्रशासनिक के साथ-साथ निर्वाचित निकायों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रावधान करते हैं। राज्य, जिला, विकासखंड तथा ग्राम स्तर पर शासन के संगठनात्मक संरचना के बारे में इस प्रतिवेदन के अध्याय II के कंडिका 2.4 में चर्चा की गई है।

1.2.2 शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना

शहरी स्थानीय निकाय, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की गतिविधियां छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिकाएं अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होती हैं। इन अधिनियमों तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियम/उपनियम शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन के संचालन हेतु कार्यकारी/प्रशासनिक के साथ-साथ निर्वाचित निकायों को

उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करते हैं। राज्य, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायत स्तर पर शासन की संगठनात्मक संरचना का विवरण नीचे दिया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना (कार्यकारी/प्रशासनिक)

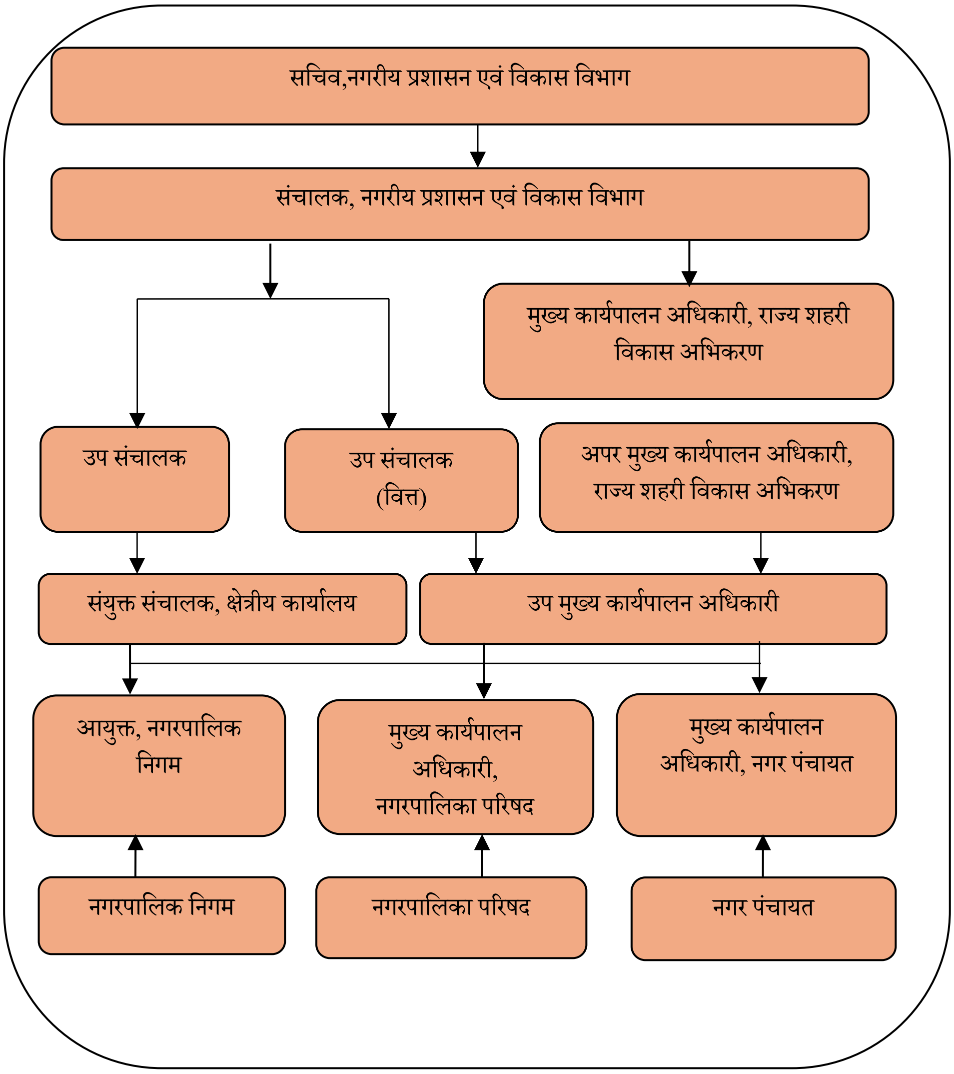

शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना (निर्वाचित सदस्य)

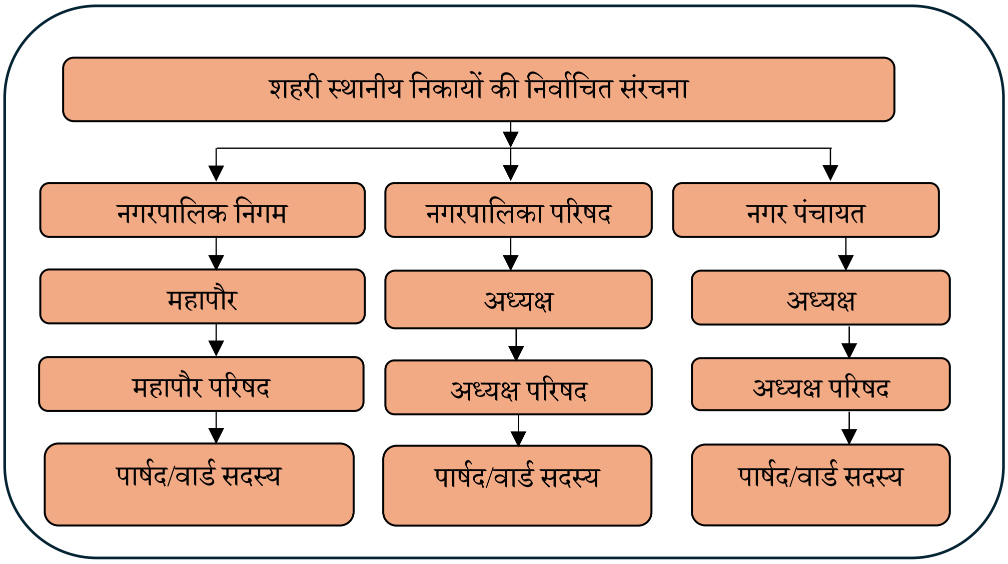

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग राज्य स्तर पर सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण तथा संचालक के संचालनात्मक नेतृत्व के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की नीतियों, समन्वय एवं पर्यवेक्षण का कार्य करता है। संचालक को वित्त, प्रशासन एवं अधोसंरचना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जबकि क्षेत्रीय निगरानी का कार्य संयुक्त संचालकों द्वारा संभाला जाता है।

विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से शहरी विकास योजनाओं को तैयार करने के साथ-साथ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने, शहरी स्थानीय निकायों/विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा इन योजनाओं के अंतर्गत सृजित सभी संसाधनों एवं परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत गठित राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से राज्य स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता हैं।

शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर, राज्य द्वारा नियुक्त नगरपालिक आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रशासन एवं क्रियान्वयन का कार्य संभालते हैं तथा क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों के माध्यम से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को रिपोर्ट करते हैं।

महापौर एवं अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते है; ये क्रमशः नगरपालिक निगमों तथा नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के प्रमुख होते हैं तथा महापौर परिषद/अध्यक्ष परिषद का नेतृत्व करते हुए प्राथमिकताओं के निर्धारण एवं बजट अनुमोदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वार्ड पार्षद स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की देख-रेख करते हैं।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

1.3.1 पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां एवं कार्यपद्धति

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को तीन श्रेणियों में संगठित किया गया है, अर्थात् जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत तथा राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा क्रमशः 52, 50 एवं 49 के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के कार्यों को परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां अधिनियम की धारा 54 से 68 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। प्रत्येक स्तर पर कार्यपालक एवं निर्वाचित सदस्यों की शक्तियों एवं कार्यपद्धति का विवरण निम्नलिखित कंडिकाओं में संक्षेपित किया गया है।

1.3.1.1 जिला पंचायत

1.3.1.1 (i) जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

जिला पंचायतें जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की प्रथम स्तरीय इकाई होती हैं। अधिनियम की धारा 69(3) बताता है कि, राज्य शासन प्रत्येक जिला पंचायत के लिए एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रशासनिक प्रमुख के रूप में नियुक्त करेगा तथा एक या अधिक अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकता है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उनको सौंपे गए कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के संकल्पों के आधार पर कार्यवाही करने तथा जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सभी गतिविधियों की निगरानी, नियंत्रण, समन्वय एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है जैसे जिले के नियोजित विकास एवं संसाधनों की उपयोगिता हेतु बजट तैयार करना, जिले के आर्थिक विकास एवं नागरिकों के सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाएं बनाना, वित्तीय नियमों के अनुसार जिला पंचायत निधि से धन आहरित एवं वितरित करना, केंद्र सरकार या राज्य शासन द्वारा सौंपें गए योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना तथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार केंद्र या राज्य शासन से प्राप्त अनुदानों का जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को विनियोजन करना।

1.3.1.1 (ii) जिला पंचायत स्तर पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

अधिनियम की धारा 29 के अनुसार, प्रत्येक जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार होता है।

अध्यक्ष, जिला पंचायत के संकल्पों के आधार पर गतिविधियों का क्रियान्वयन, मामलों को स्वीकृति हेतु जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करने, राज्य शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों तथा अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत जिला पंचायत को सौंपे गए समस्त कार्यों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, वह जिला पंचायत की बैठकों का आयोजन करने, अभिलेखों

एवं पंजियों के रख-रखाव की व्यवस्था करने तथा भुगतान हेतु चेक जारी करने आदि के लिए भी उत्तरदायी होगा।

1.3.1.2 जनपद पंचायत

1.3.1.2 (i) जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

जनपद पंचायतें विकासखंड स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की मध्यवर्ती स्तर की इकाई हैं। अधिनियम की धारा 69 (2) बताता है कि राज्य शासन प्रत्येक जनपद पंचायत हेतु एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रशासनिक प्रमुख के रूप में नियुक्त करेगा तथा एक या अधिक अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकता है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उनको सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के संकल्पों के आधार पर कार्यवाही करने, जनपद पंचायत के समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने तथा वित्तीय नियमों के अनुसार जनपद पंचायत निधि से धन आहरण एवं वितरण करने हेतु उत्तरदायी होता है। जनपद पंचायतों के पास स्वयं के राजस्व के स्रोत कम होते हैं तथा वे मुख्यतः जिला पंचायत से प्राप्त विकासखंड अनुदानों पर निर्भर रहते हैं।

1.3.1.2 (ii) जनपद पंचायत स्तर पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जो धारा 25 के अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

अध्यक्ष, जनपद पंचायत के संकल्पों के आधार पर गतिविधियों के क्रियान्वयन, राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों तथा अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होता है। वह जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन, अभिलेखों एवं पंजियों का रख-रखाव करने, भुगतान हेतु चेक जारी करने तथा ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा एवं सहकारी कार्यों आदि के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करता है।

1.3.1.3 ग्राम पंचायत

1.3.1.3 (i) ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

ग्राम पंचायतें सबसे निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की अंतिम स्तर है। अधिनियम की धारा 69(1) बताता है कि, राज्य शासन या प्राधिकृत प्राधिकारी एक ग्राम पंचायत अथवा दो या अधिक ग्राम पंचायतों के लिए एक सचिव की नियुक्ति कर सकता है। सचिव ग्राम पंचायत की बैठकों एवं ग्राम सभा की कार्यवाही अभिलेखित करने, ग्राम पंचायत के कार्यों के विनियमन, ग्राम पंचायत में आधिकारिक अभिलेखों के संधारण, ग्राम पंचायत का वार्षिक योजना तैयार करने, राजस्व एवं व्यय का अनुमान तैयार करने तथा कर, शुल्क एवं अन्य बकायों की वसूली आदि के लिए उत्तरदायी होता है।

सचिव स्वच्छता एवं साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, ग्राम सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, सामाजिक कल्याण योजनाओं के पर्यवेक्षण के साथ-साथ राज्य शासन, जिला पंचायत अथवा जनपद पंचायत द्वारा सचिव को सौंपे गए किसी भी अन्य गतिविधियों के लिए भी उत्तरदायी होता है।

1.3.1.3 (ii) ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं उप-सरपंच की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच एवं एक सरपंच शामिल होंगे। सरपंच का निर्वाचन अधिनियम के धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

सरपंच, ग्राम पंचायत के संकल्पों के आधार पर गतिविधियों, राज्य शासन के द्वारा जारी समस्त निर्देशों तथा अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत सौंपे गए सभी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। वह अभिलेखों एवं पंजियों के उचित संधारण, भुगतान की स्वीकृति, चेक एवं रिफंड जारी करने एवं सबंधित कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होगा।

1.3.2 शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (एक्स) में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य विधानमंडल शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न कर अधिरोपित करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। इस संवैधानिक प्रावधान को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 में समाविष्ट किया गया है।

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को तीन श्रेणियों अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत में संगठित किया गया है तथा राज्य शासन द्वारा नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिकार एवं कर्तव्यों को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 66 एवं 67 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 123 एवं 124 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। प्रत्येक स्तर पर कार्यपालक एवं निर्वाचित सदस्यों की शक्तियों एवं कार्यपद्धति का विवरण निम्नलिखित कंडिकाओं में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

1.3.2.1 नगरपालिक निगम स्तर पर महापौर एवं पार्षदों की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिक निगम में नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक महापौर एवं पार्षद शामिल होते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत, प्रत्येक नगरपालिक निगम के लिए स्थानीय मंत्रीमण्डल की तरह नीतियों को क्रियान्वित करने एवं प्रशासन, कार्यपद्धति का देख-रेख करने हेतु महापौर-परिषद का गठन किया जाता है।

निर्वाचित पार्षद, नगरपालिका उपनियमों को पारित करने, विकास प्राथमिकताओं के निर्धारण एवं आवश्यक नागरिक सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु बजट स्वीकृति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। महापौर एवं महापौर-परिषद नागरिक सेवाओं का वितरण एवं नगरीय प्रशासन की देख-रेख करते

हैं। पार्षद योजना बनाने में वार्डों के हितों का प्रतिनिधित्व, जन शिकायतों का निराकरण एवं कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराते हुये पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। वें विभिन्न समितियों के माध्यम से, विभागीय कार्यपद्धति की निगरानी करते हैं।

पार्षद विभिन्न स्थायी समितियों जैसे वित्त, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, शिक्षा एवं स्वच्छता समितियों में कार्य करते हैं, जो क्षेत्र-विशिष्ट प्रकरणों की जांच कर पूरी परिषद को अनुशंसाएँ प्रस्तुत करते हैं। ये समितियाँ विकेंद्रीकृत शासन को सुदृढ़ बनाने एवं विभागीय मामलों का विस्तृत जांच सुनिश्चित करती हैं।

1.3.2.2 नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत स्तर पर अध्यक्ष एवं पार्षदों की शक्तियाँ एवं कार्यपद्धति

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों द्वारा शासित छोटे एवं परिवर्तशील नगरीय क्षेत्रों में एक अध्यक्ष एवं पार्षद होते हैं, वे सभी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते हैं। धारा 70, 'अध्यक्ष-परिषद' के गठन के लिये प्रावधान करता है, जो कार्यपद्धति में नगरपालिक निगम में महापौर-परिषद के समान है।

अध्यक्ष एवं पार्षद स्थानीय नीतियों का निर्धारण, बजट एवं योजना की स्वीकृति तथा जन शिकायतों का निराकरण करते हैं। परिषद एवं अध्यक्ष-परिषद की बैठकों के माध्यम से, वे सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हैं तथा नागरिक परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी करते हैं।

नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के पार्षद विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी करने वाली विषय-विशिष्ट समितियों में भी भाग लेते हैं। ये समितियाँ विकेन्द्रीकृत निरीक्षण के लिये आवश्यक है तथा यह सुनिश्चित करती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशासनिक एवं विकासात्मक मामलों में शामिल रहें।

1.4 हस्तांतरण का संक्षिप्त अवलोकन

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों द्वारा 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियों को समाविष्ट करते हुए, क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर कुछ अनिवार्य कार्यों का दायित्व निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 243 (जी) राज्यों को, 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का अधिकार प्रदान करता है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) राज्यों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों के अंतर्गत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का दायित्व शहरी स्थानीय निकायों को सौंपने का अधिकार देता है।

पंचायती राज संस्थाएं - पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में 29 विषयों के अंतर्गत कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय II के कंडिका 2.4.2 में की गई हैं।

शहरी स्थानीय निकाय - राज्य वित्त आयोग की चतुर्थ प्रतिवेदन (जनवरी 2024) के अनुसार, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अनिवार्य एवं विवेकाधीन कार्य

क्रमशः छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 66 एवं 67 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 123 एवं 124 में निर्दिष्ट हैं। इन अनिवार्य एवं विवेकाधीन कार्यों में 12वीं अनुसूची के 18 विषयों से संबंधित कार्य भी सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ में 74वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन 18 विषयों से संबंधित कार्य किए जा रहे थे।

1.5 लेखों का संधारण

1.5.1 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों का संधारण

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पंचायती राज संस्थाओं के लिए मॉडल लेखा प्रणाली वर्ष 2009 में जारी की गयी। इसके अनुसार, किसी भी पंचायती राज संस्थाओं के लेखें निम्नलिखित अभिलेखों से युक्त होंगे – वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखें (प्रपत्र-I), जो समेकित सारांश (प्रपत्र- II), मिलान विवरण (प्रपत्र-III), प्राप्य एवं देय विवरण (प्रपत्र-IV), अचल संपत्ति पंजी (प्रपत्र-V), चल संपत्ति पंजी (प्रपत्र-VI), भंडार पंजी (प्रपत्र- VII) तथा मांग, वसूली एवं शेष पंजिका (प्रपत्र- VIII) द्वारा विधिवत समर्थित होगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इस मॉडल लेखा प्रणाली को पंचायती राज संस्थाओं के लेखा सॉफ्टवेयर (प्रियासॉफ्ट) में समाहित किया गया तथा इसके बाद प्रियासॉफ्ट को पंचायत के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म 'ई-ग्रामस्वराज' में विलय कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में ऑनलाइन लेखांकन अप्रैल 2020 से लागू किया गया। वर्तमान में ई-ग्रामस्वराज में पाँच प्रपत्र (I, II, III, VII एवं VIII) उपलब्ध हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पंचायती राज संस्थाएं अपने लेखों को नकद आधारित प्रणाली पर संधारित करती हैं। आगे, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरित निधियों का लेखांकन ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर किया जा रहा है। इसके विपरीत, राज्य वित्त आयोग, स्वयं के राजस्व स्रोतों एवं विभिन्न योजनाओं से प्राप्त निधियों का लेखांकन मैनुअल रूप से किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं में लेखों के संधारण की विद्यमान प्रणाली छत्तीसगढ़ ग्राम/जनपद/जिला पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के अनुरूप है। पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की तैयारी से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय- II के कंडिका 2.13.3 में की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 23(xi) के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को वार्षिक लेखों की शुद्धता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है।

पंचायत संचालनालय ने बताया (जून 2024) कि वर्ष 2022-23 के लिए 11,818 पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया गया है तथा कोई भी लेखा प्रमाणीकरण हेतु लंबित नहीं है। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (जुलाई 2024) से पता चला कि वर्ष 2022-23 के लिए केवल 10,268 पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणीकरण किया गया था। अतः पंचायत संचालनालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य

संपरीक्षा द्वारा प्रदत्त प्रमाणीकरण की स्थिति में अंतर को विभाग द्वारा मिलान किये जाने की आवश्कता है। उत्तर अपेक्षित है (नवंबर 2025)।

1.5.2 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखों का संधारण

भारत सरकार द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से वित्तीय मामलों में अधिक पारदर्शिता एवं नियंत्रण के लिये द्विप्रविष्टि प्रणाली वाला राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (दिसंबर 2004) तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम,1956 की धारा 125-बी तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 119-बी में यह भी प्रावधान है कि राज्य शासन एक नियमावली, जिसमें नगरपालिक निकायों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों और उनसे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का विवरण समाहित करने वाली छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा नियमावली निर्धारित एवं संधारित करेगा। तदनुसार, छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा नियमावली एवं लेखा चार्ट को राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली, 2004 के अनुरूप तैयार किए गए, किन्तु इनका क्रियान्वयन वर्तमान में राज्य शासन के अनुमोदन हेतु लंबित है।

राज्य शहरी विकास अभिकरण ने सूचित (मार्च 2024) किया कि वर्तमान में सभी शहरी स्थानीय निकाय एकल-प्रविष्टि नकद आधारित लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखा-बही तैयार कर रहे हैं। इन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों के माध्यम से द्वि-प्रविष्टि उपार्जन आधारित लेखा प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों के लिये उपार्जन-आधारित लेखा प्रणाली में स्थानांतरण की यह प्रक्रिया जनवरी 2023 से प्रारंभ की गई थी। मार्च 2024 तक, वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों का स्थानांतरण पूर्ण हो चुका था, लेकिन वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिये वे कार्य अभी भी प्रगतिरत थे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बताया (जून 2024) कि वर्ष 2022-23 के लिए कुल 170 में से 162 शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की तैयारी पूर्ण कर ली गई थी।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के संचालक ने बताया (अगस्त 2024) कि वर्ष 2022-23 के लिए 170 में से 84 शहरी स्थानीय निकायों के लेखों का प्रमाणीकरण किया जा चुका था।

1.6 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.6.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 को राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबंधन या नियंत्रण के अधीन स्थानीय निधियों के संपरीक्षा करने एवं विनियमन हेतु अधिनियमित किया गया। राज्य शासन ने (फरवरी 2004) छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की संपरीक्षा हेतु प्राथमिक लेखापरीक्षक नामित किया।

पंचायती राज संस्थाएं - छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संपरीक्षा की स्थिति एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय-II के कंडिका 2.13.4 में की गई हैं।

शहरी स्थानीय निकाय - छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के संचालक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (अगस्त 2024) के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए 170 में से 33 शहरी स्थानीय निकायों के लेखों का संपरीक्षा पूर्ण किया जा चुका था।

1.6.2 छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा तैयार संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति एवं लोक लेखा समिति में चर्चा

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8-ए (1) एवं (2) में कहा गया है कि स्थानीय निकायों के संपरीक्षा पर संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन (वित्त विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा तथा फिर राज्य शासन (वित्त विभाग) वार्षिक प्रतिवेदन को इसके प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

वर्ष 2018-23 के दौरान स्थानीय निकायों पर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किये जाने की स्थिति नीचे दी गई **तालिका 1.2** में प्रदर्शित है:

तालिका 1.2: छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा तैयार किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति (सितंबर 2025 तक)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संपरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि</th><th>राज्य शासन को संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि</th><th>राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि</th><th>लोक लेखा समिति में चर्चा की तिथि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2018-19</td><td>19/02/2020</td><td>09/06/2020</td><td rowspan="5">अभी तक चर्चा नहीं की गई है</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2019-20</td><td rowspan="2">12/11/2021</td><td rowspan="2">13/12/2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2020-21</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2021-22</td><td>20/01/2023</td><td>28/02/2023</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2022-23</td><td>19/04/2024</td><td>15/07/2024</td></tr>
</table>

(स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

1.6.3 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों का नमूना जांच

प्राथमिक लेखापरीक्षा संस्थाओं के नमूना जांच के एक भाग के रूप में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा उन चयनित इकाइयों का लेखापरीक्षा किया जाता है जिनका पूर्व में प्राथमिक लेखापरीक्षा संस्थाओं द्वारा संपरीक्षा किया जा चुका है। लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 के विनियम 120 (5) के अनुसार, प्राथमिक लेखापरीक्षा संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इस प्रकार की नमूना जांच की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित इकाइयों में से तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्था के अंतर्गत कुल 108 पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की इकाइयों का चयन प्राथमिक लेखापरीक्षा संस्थाओं के नमूना जांच हेतु किया गया।

1.7 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा का दायित्व, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 की उपधारा (1) के तहत सौंपी (अक्टूबर 2011) गई थी। यह दायित्व, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2020 के विनियमन 120 के साथ पठित सौपने की प्रक्रिया, स्थानीय निकायों में वित्तीय प्रबंधन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किये जाने हेतु, स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक अर्थात स्थानीय निधि संपरीक्षा के संचालनालय को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करता है।

1.7.1 पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, 197 पंचायती राज संस्थाओं की इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ के कार्यालय द्वारा 2,258 लेखापरीक्षा आपत्तियों सहित 197 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की स्थानीय निकाय के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियां

क्र. सं.	वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये जाने की तिथि	चर्चा हेतु लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	लोक लेखा समिति में चर्चा किए गए लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	निस्तारित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या जिसपर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन जारी किया गया
1	2017-18	स्थानीय निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है					
2	2018-19						
3	2019-20						
4	2020-21						
5	2021-22	19.03.2025	01	निरंक	01	निरंक	निरंक

1.7.2 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, 145 शहरी स्थानीय निकायों की इकाइयों का लेखापरीक्षा किया गया तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ के कार्यालय द्वारा 1,523 लेखापरीक्षा

आपत्तियों सहित, 145 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की स्थानीय निकाय के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लिए शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के स्थानीय निकाय के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियां

क्र. सं.	वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये जाने की तिथि	चर्चा हेतु लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	लोक लेखा समिति में चर्चा किए गए लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	निस्तारित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या जिसपर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन जारी किया गया
1	2017-18	स्थानीय निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है					
2	2018-19						
3	2019-20	26.07.2022	10	निरंक	10	निरंक	निरंक
4	2020-21	स्थानीय निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है					
5	2021-22	19.03.2025	31	निरंक	31	निरंक	निरंक
योग			**41**		**41**		

1.8 सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण, योजनाओं/कार्यक्रमों की एक लेखापरीक्षा है, जो शासन के पदाधिकारियों एवं लोग, विशेषकर उन लोगों द्वारा जो योजनाओं/कार्यक्रमों से प्रभावित या उसके इच्छित हितग्राहियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

संचालक, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का प्रमुख होता है तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यों एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर राज्य सामाजिक अंकेक्षण द्वारा चिन्हांकित व्यक्तियों (ग्राम सभा के सदस्य/हितग्राही) की सहायता एवं समर्थन से, ग्राम सभा द्वारा राज्य की सभी पंचायतों में प्रत्येक छः महीने में कम से कम एक बार संपन्न कराता है। जो भारत सरकार के सामाजिक लेखापरीक्षा मानकों एवं छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम, 2015 के अनुरूप होता है।

चिन्हांकित व्यक्ति, प्राथमिक हितधारकों के साथ मिलकर, भुगतान, सामग्रियों का क्रय एवं अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करेंगे तथा सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर चर्चा करने एवं निष्कर्षों के अनुपालन समीक्षा करने हेतु ग्राम सभा का आयोजन करेंगे। सामाजिक अंकेक्षण इकाई सभी निष्कर्षों का समेकन कर सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार

करती है। अंतिम दिन एक विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाती है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष को पढ़ा जाता हैं तथा ग्राम सभा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

1.8.1 सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान महत्वपूर्ण आपत्तियां

मनरेगा वेबसाइट से प्राप्त रिपोर्ट संख्या 9.2.4 के अनुसार, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण में महत्वपूर्ण अनियमितताएँ सामने आई। ध्यान में आये हुये प्रमुख आपत्तियों की श्रेणियों को ***परिशिष्ट 1.1*** में सूचीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान संपन्न किये गये सामाजिक अंकेक्षणों की स्थिति पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय-II के कंडिका 2.11.3.1 में की गई है।

1.9 वित्तीय प्रतिवेदन

पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के प्रमुख स्रोत सरकारी सहायता/अनुदान तथा स्वयं के राजस्व होते हैं। सरकारी सहायता/अनुदान में राज्य वित्त आयोग/केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर, राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निधि के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त की गई निधि शामिल होती हैं। पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्रोतों में उनके द्वारा प्राप्त हुये कर एवं गैर-कर राजस्व सम्मिलित हैं।

ग्राम पंचायतें, करों एवं शुल्कों जैसे संपत्ति कर, निजी शौचालयों की सफाई पर कर, प्रकाश कर, व्यवसाय/व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर कर, बाजार शुल्क तथा पशुओं की किसी भी बाजार में बिक्री का पंजीकरण शुल्क आदि अनिवार्य कर के रूप में एकत्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ वैकल्पिक कर एवं शुल्क भी ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जा सकते हैं।

शहरी स्थानीय निकाय, विभिन्न प्रकार के करों जैसे संपत्ति कर, जल कर, मनोरंजन कर, जल आपूर्ति, जल निकासी या सीवरेज निस्तारण/उपचार तथा ठोस अपशिष्ट के घर-घर संग्रहण के लिए उपभोक्ता शुल्क आदि एकत्रित करते हैं।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्षवार राजस्व प्राप्तियाँ एवं उपयोग क्रमशः निम्न **तालिकाओं 1.5 एवं 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व के स्रोत	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		प्राप्तियां	उपयोग	प्राप्तियां	उपयोग	प्राप्तियां	उपयोग	प्राप्तियां	उपयोग	प्राप्तियां	उपयोग
1	स्वयं का राजस्व	107.38	107.38	113.02	113.02	103.30	103.30	107.83	107.83	124.82	124.82
2	आवंटित राजस्व	89.56	89.29	74.61	55.44	99.03	98.82	65.00	65.00	70.00	70.00
3	राज्य योजनाएं	128.67	113.95	123.09	120.31	122.28	120.88	122.70	119.75	219.74	216.86
4	राज्य वित्त आयोग	859.49	839.09	751.46	750.47	616.30	606.38	729.45	652.37	1209.36	1209.10
5	केन्द्रीय योजनाएं	17.58	4.36	18.20	17.54	6.73	6.73	13.22	13.22	0.00	0.00
6	केंद्रीय वित्त आयोग	1,052.23[2]	949.46	1,415.89	1,285.76	1,454.00	171.97	1,075.00	1,145.85[3]	1,114.00	1,766.02
कुल राजस्व		**2,254.91**	**2,103.53**	**2,496.27**	**2,342.54**	**2,401.64**	**1,108.08**	**2,113.20**	**2,104.02**	**2,737.92**	**3,386.80**

(स्रोतः पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

नोटः राज्य योजनाओं में राज्य अनुदान तथा सहायता-अनुदान शामिल हैं।

तालिका 1.6: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व के स्रोत	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		प्राप्तियां	उपयोग	प्राप्तियां	उपयोग	प्राप्तियां	उपयोग	प्राप्तियां	उपयोग	प्राप्तियां	उपयोग
1	स्वयं का राजस्व	611.58	582.27	577.41	475.37	654.44	608.92	851.36	780.83	1,265.38	1,067.52
2	आवंटित राजस्व	1,525.50	895.16	1,120.32	1,120.32	1,125.31	1,125.31	1,112.76	1,112.76	1,142.57	1,142.57
3	राज्य प्रवर्तित योजनाएं	519.70	72.43	289.47	259.47	436.94	373.28	545.44	545.24	4,909.28	4,263.95
4	राज्य वित्त आयोग	299.76	299.76	320.73	320.73	443.93	443.93	451.45	451.45	423.00	423.00
5	केंद्र प्रवर्तित योजनाएं	1,259.25	936.99	1,68.95	649.30	1,306.28	1,108.10	1,386.88	882.25	1,964.12	1,623.45
6	केंद्रीय वित्त आयोग	282.04	282.04	381.09	381.09	700.00	700.00	530.00	530.00	543.50	543.50
कुल राजस्व		**4,497.83**	**3,068.65**	**4,378.97**	**3,206.28**	**4,666.90**	**4,359.54**	**4,877.89**	**4,302.53**	**10,247.85**	**9,063.99**

(स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

नोटः स्वयं के राजस्व में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा अन्य प्राप्तियां शामिल है।

[2] पंचायती राज संस्थाओं को विलंब से अनुदान आवंटन किये जाने हेतु ₹ 4.37 करोड़ ब्याज शामिल है।

[3] वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष का शेष वर्तमान वर्ष में उपयोग किया गया है तथा इसी प्रकार 2022-23 में भी किया गया है।

1.9.1 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ एवं राज्य वित्त आयोग के निधियों का जारी करना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) एवं 243 (वाई) के अनुसार, राज्य शासन से स्थानीय निकायों को निधि के हस्तांतरण की अनुशंसा किये जाने एवं उनके स्वयं के संसाधनों में वृद्धि हेतु उपाय सुझाने के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना है। तदनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2000 में राज्य के गठन से अब तक चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है।

1.9.1.1 पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाएँ एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृति

राज्य वित्त आयोगों द्वारा राज्य शासन को विभिन्न अनुशंसाएँ की गई थीं। पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्येक राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए अनुशंसाओं की संक्षिप्त स्थिति नीचे **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: अनुशंसाएं एवं उनकी स्वीकृति का विवरण

क्र. सं	विवरण	प्रथम राज्य वित्त आयोग (2005-12)	द्वितीय राज्य वित्त आयोग (2012-20)	तृतीय राज्य वित्त आयोग (2020-26)	योग
1	स्वीकार्य	33	95	34	**162**
2	संशोधनों सहित स्वीकार्य	06	11	03	**20**
3	परीक्षण के बाद या संबंधित विभागों के साथ चर्चा के उपरांत निर्णय	03	04	02	**09**
4	अस्वीकार्य	32	30	19	**81**
योग		**74**	**140**	**58**	**272**

(स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से ली गई जानकारी)

सभी राज्य वित्त आयोगों की एक प्रमुख वित्तीय अनुशंसा यह रही है कि, राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित किया जाए। विवरण पर चर्चा नीचे किया गया है।

1.9.1.2 पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हस्तांतरण

राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य राज्य के स्वयं के कर राजस्व का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण निम्न **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य राज्य के स्वयं के कर राजस्व का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	गठन की तिथि	समयावधि	राज्य वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरण की अनुशंसाएं	राज्य शासन द्वारा हस्तांतरण की स्वीकृति
1	प्रथम	22.08.2003	2005-12	6.63	4.79
2	द्वितीय	23.07.2011	2012-20	6.15	6.15
3	तृतीय	20.01.2016	2020-26	6..91	6.91

(स्रोतः छत्तीसगढ़ के तृतीय एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हस्तांतरण, वास्तविक बजट आवंटन एवं पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए गए निधि प्रवाह की स्थिति तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय-II के कंडिका 2.12.3 (बी) में की गई है।

1.9.1.3 शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हस्तांतरण

राज्य वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राज्य के स्वयं के कर राजस्व का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण का विवरण नीचे **तालिका 1.9** में दी गई है।

तालिका 1.9: राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राज्य के स्वयं के कर राजस्व का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	गठन की तिथि	समयावधि	राज्य वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरण की अनुशंसाएं	राज्य शासन द्वारा हस्तांतरण की स्वीकृति
1	प्रथम	22.08.2003	2005-12	1.66	1.21
2	द्वितीय	23.07.2011	2012-20	1.85	1.85
3	तृतीय	20.01.2016	2020-26	2.09	2.09

(स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय लेखों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत प्रतिशत के आधार पर राज्य के स्वयं के कर राजस्व हेतु ₹ 2,237.21 करोड़ की राशि का हस्तांतरण किया जाना था, हाँलांकि राज्य शासन द्वारा केवल ₹ 1,938.87 करोड़ राशि का ही आवंटन एवं जारी किया गया।

1.9.2 केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएँ एवं केंद्रीय वित्त आयोग के निधियों का जारी करना

1.9.2.1 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए मूल अनुदान तथा निष्पादन अनुदान नामक, दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई थी। मूल अनुदान का उद्देश्य ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को उनके अधिनियमों के अंतर्गत सौंपे गए मूलभूत कार्यों के निर्वहन हेतु बिना शर्त सहायता प्रदान करना है। निष्पादन अनुदान के मामले में, संबंधित राज्य शासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को (राजस्व में सुधार के आधार पर) निष्पादन अनुदान के वितरण हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया, आवश्यक पात्रता मानदंडों के अधीन निर्धारित किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं में चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन एवं व्यय का विवरण नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10: पंचायती राज संस्थाओं में 14वें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	घटक	14वें वित्त आयोग के अनुसार अनुशंसित आवंटन	भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को वास्तविक जारी राशि	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जारी राशि	व्यय
2018-19	मूल अनुदान	1,047.86	1,047.86	1,047.86[4]	949.46
	निष्पादन अनुदान	132.16	00	00	00
2019-20	मूल अनुदान	1,415.89	1,415.89	1,415.89	1,285.76
	निष्पादन अनुदान	173.05	00	00	00
योग		**2,768.96**	**2,463.75**	**2,463.75**	**2,235.22**

(स्रोतः पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा अनुदानों के जारी किये जाने में विलंब से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय-II के कंडिका 2.12.5 (ए) में की गई है।

वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन एवं जारी किये जाने का विवरण निम्न **तालिका 1.11** में दिया गया है।

[4] इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2018-19 के दौरान 14वें केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों को जारी किये जाने मे हुई विलम्ब के कारण पंचायती राज संस्थाओं को ब्याज के रूप में ₹ 4.37 करोड़ की राशि का भुगतान किया था।

तालिका 1.11: शहरी स्थानीय निकायों में 14वें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	घटक	14वें वित्त आयोग के अनुसार अनुशंसित आवंटन	भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को वास्तविक जारी राशि	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी राशि	व्यय
2018-19	मूल अनुदान	282.04	282.04	282.04	282.04
	निष्पादन अनुदान	80.03	00	00	00
2019-20	मूल अनुदान	381.09	381.09	381.09	381.09
	निष्पादन अनुदान	104.80	00	00	00
योग		**847.96**	**663.13**	**663.13**	**663.13**

(स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

1.9.2.2 पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा बद्ध अनुदान एवं अनाबद्ध अनुदान नामक दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है। बद्ध अनुदान (60 प्रतिशत) पेयजल, स्वच्छता एवं वर्षा जल संचयन हेतु निर्धारित हैं, जबकि अनाबद्ध अनुदान (40 प्रतिशत) का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बुनियादी सेवाओं के सुधार हेतु अपने विवेक से तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की 12वीं अनुसूची में सम्मिलित 18 विषयों के अंतर्गत आवश्यकता महसूस होने पर किया जाना हैं।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं में पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्न **तालिका 1.12** में दिया गया है।

तालिका 1.12: पंचायती राज संस्थाओं में 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	घटक	15वें वित्त आयोग के अनुसार अनुशंसित आवंटन	भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को जारी वास्तविक राशि	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जारी राशि	व्यय
2020-21	बद्ध अनुदान	727.00	727.00	727.00	171.97
	अनाबद्ध अनुदान	727.00	727.00	727.00	
2021-22	बद्ध अनुदान	645.00	645.00	645.00	1,145.85[5]
	अनाबद्ध अनुदान	430.00	430.00	430.00	
2022-23	बद्ध अनुदान	668.40	668.40	668.40	1,766.02
	अनाबद्ध अनुदान	445.60	445.60	445.60	
योग		**3,643.00**	**3,643.00**	**3,643.00**	**3,083.84**

(स्रोतः पंचायत संचालनालय, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन एवं व्यय का विवरण नीचे **तालिका 1.13** में दिया गया है।

तालिका 1.13: शहरी स्थानीय निकायों में 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के आवंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	15वें वित्त आयोग के अनुसार अनुशंसित आवंटन	भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को वास्तविक जारी राशि	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी राशि	कुल व्यय
1	2020-21	700.00	700.00	700.00	700.00
2	2021-22	530.00	530..00	530.00	530.00
3	2021-22	549.00	543.50	543.50	543.50
योग		**1,779.00**	**1,773.50**	**1,773.50**	**1,773.50**

(स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी)

इसके अतिरिक्त, राज्य शासन को शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता बनाये रखने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹ 14.70 करोड़ प्राप्त (30 मई 2022) हुए।

---

[5] वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष की शेष राशि का उपयोग वर्तमान वर्ष में, तथा इसी प्रकार वर्ष 2022-23 के लिये भी किया गया।

1.10 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय – II

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने पंचायतों में स्थानीय स्व-शासन को मजबूत करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (अप्रैल 1993 से लागू) को अधिनियमित किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायत संरचना की स्थापना करना; पंचायतों में प्रत्येक पांच वर्ष में नियमित निर्वाचन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आनुपातिक सीट आरक्षण; राज्य वित्त आयोग एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का गठन करना है। इसके अतिरिक्त, जिले की व्यापक योजना के लिए जिला योजना समिति का गठन करना है।

मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 को अधिनियमित किया, जो जनवरी 1994 में लागू हुआ। मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात, यह अधिनियम नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ द्वारा नवंबर 2000 में अंगीकार किया गया तथा यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के नाम से जाना गया। इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिसमें बजट, वार्षिक लेखें और विकास योजनाएं तैयार करने के लिए प्रत्येक पंचायती राज संस्था स्तर पर स्थायी समिति के गठन; जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को पर्यवेक्षी शक्ति तथा ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन की शक्ति प्रदान करने हेतु प्रावधान सम्मिलित किया।

संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) द्वारा संदर्भित 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों का पंचायतों को हस्तांतरण के दृष्टिगत, मध्य प्रदेश शासन ने कार्यक्रम, गतिविधियों और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण पंचायतों को किए जाने के लिए विभागों को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया (अगस्त, 1998)। तदुपरांत, विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों, गतिविधियों, कर्मचारियों एवं बजट के हस्तांतरण के लिए गतिविधि मानचित्रण प्रक्रिया प्रारंभ (2006-07) किया।

वर्ष 2018-23 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के हस्तांतरण और क्रियान्वयन की स्थिति का जांच किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993, 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है तथा गतिविधि-मानचित्रण कार्य ने भी वर्ष 2006-07 में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण के लिए 12 कार्यों का पहचान किया, हालांकि, कार्यात्मक हस्तांतरण के लिए परिचालनात्मक ढांचा विद्यमान नहीं था और पंचायती राज संस्थाएं अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपर्याप्त रूप से सक्षम था।

आगे, लेखापरीक्षा ने संस्थागत व्यवस्थाओं में कमियां पाई। नमूना जाँच किए गए ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित पदों पर रिक्तियां मौजूद थीं। जिला योजना समिति की निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं।

वित्तीय हस्तांतरण के संबंध में, वर्ष 2018-23 के दौरान आवंटित राजस्व जैसे भू-राजस्व, भू-राजस्व पर उपकर और उत्पाद शुल्क अधिभार के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं को कोई राशि अंतरित नहीं की गई थी। आगे, राज्य के स्वयं के कर राजस्व से पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण राशि से कम था, जिसके परिणामस्वरूप पांच साल की अवधि (2018-23) के दौरान ₹ 3,243.46 करोड़ रुपये की संचयी कमी हुई।

लेखापरीक्षा जांच ने सहभागिता और वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में कमियों को प्रकट किया। नमूना जांच किए गए ग्राम पंचायतों में, ग्राम सभा की बैठकों में निर्धारित गणपूर्ति आवश्यकता पूर्ण नहीं हुआ। नमूना जांच किए गए जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा की अवधि वर्ष 2018-22 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षण विस्तार पंचायती राज संस्थाओं की कुल संख्या से उल्लेखनीय रूप से कम था।

जिला पंचायत और जनपद पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की कमी देखी गई। आगे, नमूना जांच किए गए पंचायती राज संस्थाओं में स्थायी समितियों की बैठकें निर्धारित समय-सीमा, के अंदर आयोजित नहीं की गई थीं जैसा कि नियमों में दिया गया है।

2.1 प्रस्तावना

2011 की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ की 76.76 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्व-शासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकता थी। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन से संबंधित प्रावधानों को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा 1992 में पारित किया गया तथा 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और संविधान में 'भाग IX: पंचायतें' नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया।

इस परिप्रेक्ष्य में, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप 1993 में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम नामक एक नया अधिनियम अधिनियमित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात नए राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में पंचायत राज से संबंधित मध्य प्रदेश की पद्धति, प्रणाली, प्रक्रियाएँ और कार्यकारी नियमों को अंगीकार किया। छत्तीसगढ़ शासन ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के वैधानिक प्रावधानों को सम्मिलित किया। इसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के रूप में अंगीकार किया गया। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम राज्य में पंचायतों के कार्यात्मक और वित्तीय क्षेत्र को संचालित करता है।

2.2 छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

पंचायती राज संस्थाएं, छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत हैं। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के गतिविधियों को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 49, 50 और 52 के अनुसार, त्रि-स्तरीय इकाइयां पंचायतों को सौंपी गई हैं। इस पद्धति के अंतर्गत ग्राम पंचायतें क्रियान्वयन इकाइयां, जनपद पंचायतें प्रशासनिक इकाइयां एवं जिला पंचायतें पंचायतों की प्रशासनिक, समन्वय और नियंत्रण इकाइयां हैं।

मार्च 2023 तक राज्य में जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों की संख्या नीचे **तालिका 2.1** में दर्शायी गई है:

तालिका 2.1: मार्च 2023 तक पंचायती राज संस्थाओं के त्रि-स्तरीय संस्थान

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1	जिलों की संख्या	33
2	जिला पंचायतों की संख्या	27[1]
3	जनपद पंचायतों की संख्या	146
4	ग्राम पंचायतों की संख्या	11,656

(स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23)

[1] छ: नवगठित जिलों के लिए जिला पंचायतों का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 13 सितंबर 2024 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।

2.3 पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति एवं कार्यपद्धति

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रावधानों की परिकल्पना की गई है। जिला स्तर पर, जिला पंचायत को जनपद और ग्राम पंचायतों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षी शक्तियां सौंपी गई हैं। जनपद पंचायत विकासखंड स्तर पर योजनाओं, कार्यों और परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर वार्षिक सामाजिक-आर्थिक योजना तैयार करते हैं तथा विभिन्न योजनाओं को निष्पादित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, जिले के समग्र विकास हेतु पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों के गठन और पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकास योजनाओं, बजट और वार्षिक लेखाओं को तैयारी करने हेतु स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है।

2.4 संगठनात्मक संरचना

राज्य, जिला, जनपद और ग्राम स्तरों पर शासन की संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है:

पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक संरचना

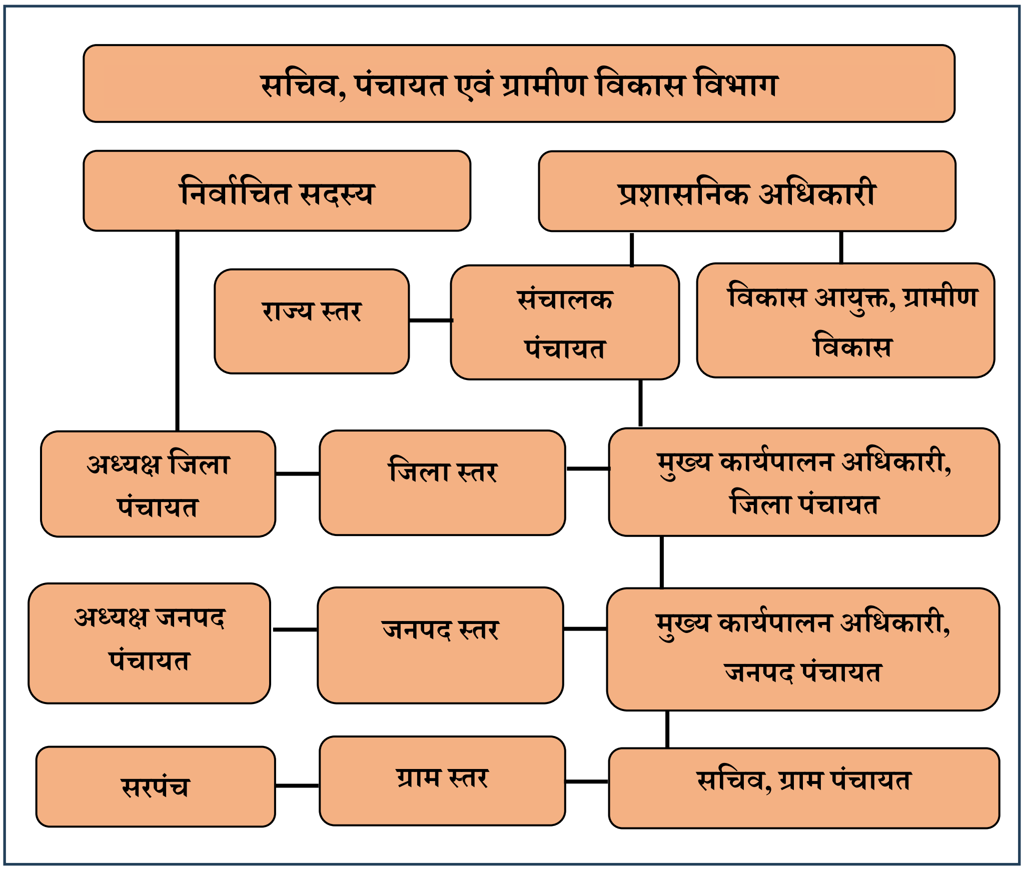

प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के नीति निर्धारण, समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। प्रधान सचिव के अधीन दो बजट नियंत्रण अधिकारी कार्य करते हैं:

संचालक पंचायत - पंचायती राज संस्थाओं की सभी विकासात्मक गतिविधियों की देखरेख करने, जिला प्रशासन का मार्गदर्शन करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की नीतियों को समान रूप से लागू किया गया है, के लिए उत्तरदायी है।

विकास आयुक्त – मुख्य रूप से केंद्र प्रवर्तित योजनाओं और प्रमुख राज्य-वित्त पोषित योजनाओं के निष्पादन और निगरानी, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने एवं परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है।

2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमारा लक्ष्य यह आकलन करना था कि क्या:

1. राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को उपयुक्त रूप से डिज़ाइन की गई संस्थाओं/संस्थागत तंत्रों के निर्माण के माध्यम से उनके कार्यों/उत्तरदायित्वों का प्रभावी निर्वहन करने हेतु अधिकार प्रदान किया गया है तथा वे एक प्रभावी प्रतिनिधि स्थानीय स्व-शासन के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करते हैं,
2. निधियों, कार्यों एवं कर्मचारियों का हस्तांतरण 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुरूप किया गया है,
3. हस्तांतरित कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया और पर्याप्त निगरानी तंत्र विद्यमान था,
4. पंचायती राज संस्थाओं को अपने कार्यों को किए जाने हेतु अपेक्षित क्षमता निर्माण विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं, तथा
5. पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कार्यों के निर्वहन हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है तथा निधि एकत्र करने की शक्तियों का प्रभावी उपयोग कर पर्याप्त वित्तीय संसाधन एकत्र किए गए हैं।

2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।
3. राज्य शासन/केन्द्र सरकार एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश/अनुदेश।
4. केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों का प्रतिवेदन।

2.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाँच वर्षों की अवधि, अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा ने राज्य के कुल 33 जिलों में से आठ[2] चयनित

[2] बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, कांकेर, कोरिया, कोंडागांव और महासमुंद। आठ जिलों का चयन सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति द्वारा किया गया।

जिलों में पंचायती राज संस्थाओं (8 जिला पंचायतों, 17 जनपद पंचायतों एवं 85 ग्राम पंचायतों) के अभिलेखों की नमूना-जांच किया। (विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दर्शाया गया है)।

लेखापरीक्षा ने राज्य स्तर पर संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर सचिव, ग्राम पंचायत के कार्यालयों की नमूना-जांच किया।

प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ 3 अगस्त 2023 को एक आगम बैठक आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, पद्धति, मानदंड तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए नमूने पर चर्चा की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 20 जून 2025 को प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ निर्गम बैठक आयोजित की गई थी। विभाग ने निर्गम बैठक के उपरांत (जुलाई 2025) अपना उत्तर प्रस्तुत किया, जिसे संबंधित कंडिकाओं में उपयुक्त रूप से समाहित किया गया है।

2.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**,** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा तथा पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के प्रति आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संकलित अभिलेखों एवं आँकड़ों के विश्लेषण के उपरांत लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकरण पाये गए :

2.9 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

2.9.1 राज्य विधानों की 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ तुलना

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, संविधान के अनुच्छेद 243 जी में उल्लेखित 11वीं अनुसूची के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों के हस्तांतरण की परिकल्पना की गयी है। इस प्रावधान के अनुरूप, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 को अधिनियमित किया। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में इन 29 कार्यों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण करना सम्मिलित है। राज्य विधानों की 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ तुलना नीचे **तालिका 2.2** में दी गई है:

तालिका 2.2: राज्य विधान की 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ तुलना

संविधान के प्रावधान		छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में प्रावधान	
अनुच्छेद	**शीर्षक**	**धारा**	**इसके लिए नियम और उसका शीर्षक**
अनुच्छेद 243ए	ग्राम सभा की शक्ति और कार्य	3, 5ए, 6 (ए, बी), 7, 129 (बी और सी)	छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया), 1994
अनुच्छेद 243बी	पंचायतों का गठन	8 से 13, 27, 125, 127, 29- जिला पंचायत	छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच और उप- सरपंच की शक्ति और ज़िम्मेदारी सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) नियम, 1994
अनुच्छेद 243सी	पंचायतों की संरचना	22, 112	छत्तीसगढ़ (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम, 1994
अनुच्छेद 243डी	सीटों का आरक्षण	13 (4, 6) (ग्राम पंचायत), 17, 23 और 25 (जनपद पंचायत), 30 (जिला पंचायत), 32, 129 बी (4)	छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995
अनुच्छेद 243ई	पंचायतों की अवधि	9, 20, 34 (37 के साथ पढ़ें)	अनुच्छेद 243ई के लिए अलग से नियम नहीं बनाए गए हैं
अनुच्छेद 243एफ	सदस्यता के लिए अयोग्यता	21-जनपद पंचायत, 28-जेपी 35-जिला पंचायत (36 के साथ पढ़ें), 39 और 40-सभी स्तर	छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप-सरपंच, जनपद पचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994
अनुच्छेद 243जी	पंचायतों को स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य किए जाने हेतु शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	7, (2, 2 ए और 3), 38, अध्याय -5 और 6, 6 ए, 48, 49, 89, 129 डी और 129 एफ	• छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच और उप- सरपंच की शक्ति और ज़िम्मेदारी सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) नियम, 1994 • छत्तीसगढ़ पंचायत (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 • छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्थायी समितियां (सदस्यों का निर्वाचन, उनकी शक्तियां और कृत्य तथा

			सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994
अनुच्छेद 243 एच	पंचायतों के करों और निधियों को लागू करने की शक्ति	110, 115, 116, 123, 124, अध्याय -7 और 9	• छत्तीसगढ़ ग्राम सभा वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्ते तथा अपवाद) नियम, 1996 • छत्तीसगढ़ पंचायत (करों के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण तथा विनियमन) नियम, 1995 • छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत (कृषि भूमि पर विकास कर का अधिरोपण) नियम, 1999
अनुच्छेद 243आइ	वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन	छत्तीसगढ़ वित्त आयोग अधिनियम, 1994	कोई नियम नहीं बनाया गया
अनुच्छेद 243जे	पंचायतों के लेखाओं का रखरखाव और लेखाओं का अंकेक्षण	73(1), (2) और (3) तथा 129	• छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 • छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 • छत्तीसगढ़ जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 • छत्तीसगढ़ पंचायत संपरीक्षा नियम, 1997 • छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 • छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 • छत्तीसगढ़ जिला पंचायत (लेखा) नियम, 1999 • छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (वार्षिक लेखा तथा प्रशासन प्रतिवेदन), 1998 • छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत (वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की प्रतिवेदन), 1998
अनुच्छेद 243के	पंचायतों के चुनाव	17(18 के साथ पढ़ें), 19, 23, 25, 30 और 32, (41 के साथ पढ़ें) अध्याय 4, 47बी, 121 और 122	छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995

अनुच्छेद 243ओ	चुनावी प्रकरणों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक	धारा 121	छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन अर्जियाँ, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995
अनुच्छेद 243 ज़ेडडी	जिला योजना समिति	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995

(स्रोत: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम)

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन याचिका प्रतिभूति निक्षेप (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1996, छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996; ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008; पशु अतिचार अधिनियम, 1871 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिनियमित/अंगीकार किये गये थे।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राज्य शासन ने 93 नियमों ***(परिशिष्ट 2.2)***, अधिसूचनाओं और उपनियमों को तैयार करके छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ पर्याप्त रूप से संरेखित किया गया था। यह पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक विधायी ढांचा स्थापित करने के प्रति राज्य शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण के अभिप्रेत उद्देश्य के अनुरूप, राज्य शासन (अविभाजित मध्य प्रदेश) ने अगस्त, 1998 में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया। इन सिद्धांतों ने पंचायतों को कार्यक्रमों, गतिविधियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण पर विभागों का मार्गदर्शन किया। तत्पश्चात, विभाजन के पश्चात, नए राज्य छत्तीसगढ़ ने 2006-07 में गतिविधि मानचित्रण की प्रक्रिया शुरू किया। इस प्रक्रिया में राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों, गतिविधियों, कर्मचारियों और बजट के हस्तांतरण को शामिल किया गया था।

हालांकि, पंचायती राज संस्थाएं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपर्याप्त रूप से सक्षम था, जैसा कि आगामी कंडिका में चर्चा की गई है।

2.9.2 कार्यों, निधियों और कर्मचारियों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति

लेखापरीक्षा ने कार्यों/गतिविधियों, कर्मचारियों और निधियों के हस्तांतरण, जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों से संबंधित नस्तियों की नमूना जांच किया। कार्यों/गतिविधियों, निधियों और कर्मचारियों के हस्तांतरण की स्थिति नीचे **तालिका 2.3** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.3: कार्यों, निधियों और कर्मचारियों के हस्तांतरण की स्थिति

क्र.सं.	हस्तांतरण का घटनाक्रम	की गई कारवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया जाना	मध्य प्रदेश शासन (पृथक राज्य छत्तीसगढ़ के गठन से पहले) ने पंचायतों को कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए संबंधित विभागों को 1998 में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया था।	--
2	गतिविधि मानचित्रण	मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद, नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ ने अपने विभागों को त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां, गतिविधियां, कर्मचारी और बजट हस्तांतरित करने के लिए गतिविधि मानचित्रण करने का निर्देश दिया।	उक्त निर्देशों के अनुपालन में, 15 विभागों ने 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से 12 कार्यों के लिए (विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया) गतिविधि मानचित्रण तैयार किया (2006-07) हालांकि, इस प्रक्रिया[3] को औपचारिक रूप देने के लिए कोई कार्यकारी आदेश जारी नहीं किया गया था।
3	हस्तांतरण के लिए कार्ययोजना	वर्ष 2011 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक कार्ययोजना जारी किया गया था और छत्तीसगढ़ शासन ने भी सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया के सहयोग से 2013-20 की अवधि के लिए एक कार्ययोजना तैयार किया (2012) था जो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों के हस्तांतरण से संबंधित विषयों को संबोधित करता था।	कार्ययोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पूछे जाने पर, संचालक, पंचायत ने उत्तर दिया (नवंबर 2025) कि विभागों के कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है, परंतु विभागों ने इन विषयों के लिए कोई कर्मचारी या निधि प्रदान नहीं किया है। जिसके कारण, पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए स्थानीय विकास और प्रशासन में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ हैं।
4	कार्यात्मक उत्तरदायित्व का हस्तांतरण	पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों/ योजनाओं के अंतरण/सौपने/हस्तांतरण के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित (दिसंबर 2016) एक अंतर विभागीय समिति ने उल्लेख किया कि इस संबंध में	उक्त समिति के निर्देशों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति पूछे जाने पर संचालक, पंचायत ने उत्तर दिया (नवंबर 2025) कि 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से अधिकांश, विभागों द्वारा अंतरित कर दिए गए थे,

[3] तृतीय राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन (सितंबर 2018) के पैरा 4.27 के अनुसार।

		विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, समिति ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे पंचायतों को अपनी योजना/कार्यक्रम/गतिविधियां फरवरी 2017 तक पंचायतों को वास्तविक रूप से सौंपने के लिए 2006-07 में किए गए गतिविधि मानचित्रण में संशोधन करने तथा इसके पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों एवं कर्मचारियों के हस्तांतरण के लिए अधिसूचनाएं/आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया।	लेकिन उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मानव संसाधन और निधि प्रदान नहीं किया था। आगे यह बताया कि मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समिति की बैठक बुलाकर 29 विषयों से संबंधित शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में प्रयास की जाएगी।

(स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिलेख)

हस्तांतरण की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए मई 2024 में राज्य शासन के 23 विभागों[4] से जानकारी मांगी गई थी। मांगी गई जानकारी में शामिल थे: (ए) कार्यों के गतिविधि मानचित्रण की वर्तमान स्थिति, (बी) विभागों द्वारा कार्यक्रमों, कार्यों और शक्तियों के अंतरण की वर्तमान स्थिति, एवं (सी) ऐसे अंतरणों के लिए जारी आधिकारिक अधिसूचनाएं। हालांकि, केवल चार विभागों[5] ने उत्तर दिया। किसी ने भी गतिविधि मानचित्रण अथवा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों के अंतरण के संबंध में पर्याप्त या विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किया।

अतः लेखापरीक्षा ने नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं से हस्तांतरण की स्थिति के संबंध में वास्तविक जमीनी स्तर की जानकारी प्राप्त करने हेतु सहयोग लिया। सात जिला पंचायतों, 12 जनपद पंचायतों और 64 ग्राम पंचायतों के संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों /सचिवों ने उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर में बताया कि इस संबंध में संचालक, पंचायत से आदेश अपेक्षित थी तथा अन्य विभागों द्वारा निधियों, कार्यों एवं कर्मचारियों का हस्तांतरण नहीं किया गया था। यह कार्यात्मक उत्तरदायित्वों के संबंध में स्पष्टता के अभाव तथा 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों एवं कर्मचारियों के अंतरण के लिए ढांचे के संचालन नहीं किये जाने की ओर इंगित करता है।

इंगित किए जाने पर राज्य शासन ने इसे स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2025) कि 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों से संबंधित विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को केवल गतिविधियों का हस्तांतरण किया जाता हैं, परन्तु उनके द्वारा निधियों और कर्मचारियों का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। आगे यह भी बताया कि 11वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 29

4 राज्य शासन के विभिन्न कार्यों का निर्वहन करने वाले विभाग: श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, पशुपालन विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, मछली पालन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तकनीकी शिक्षा, उद्योग विभाग, पंजीयन एवं सहकारी समितियां, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खनन विभाग, लोक निर्माण विभाग

5 श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और वन विभाग

विषयों के अंतरण एवं क्रियान्वयन के लिए एक अंतर्विभागीय बैठक आयोजित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: - "छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 ने 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना प्रावधानित किया। वर्ष 2006-07 में गतिविधि-मानचित्रण कार्य में भी 12 कार्यों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया गया। तथापि, हस्तांतरण के लिए परिचालन ढांचा स्थापित नहीं किया गया था। परिणामस्वरुप, पंचायती राज संस्थाएं, अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपर्याप्त रूप से सक्षम था।"

2.10 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत सशक्तिकरण

73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243 आई, जे एवं के जोड़े गए थे। ये अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी एवं सुचारू संचालन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करते हैं। इन प्रावधानों में संस्थानों के गठन द्वारा वित्तीय हस्तांतरण, जन भागीदारी, सामाजिक अंकेक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 243 जेडडी, जिले की व्यापक योजना के लिए एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान करता है। उपरोक्त व्यवस्थाओं को नीचे दिए गए चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1: पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए दर्शाये गए संस्थागत सशक्तिकरण

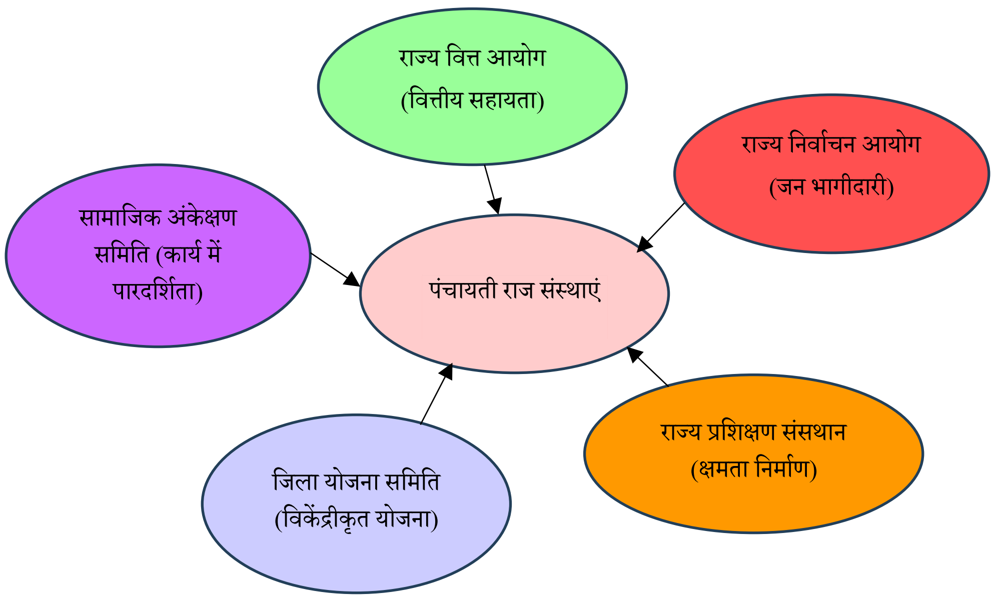

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित संस्थानों एवं उनके कामकाज की स्थिति की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है:

2.10.1 राज्य वित्त आयोग का गठन

संविधान के अनुच्छेद 243 आई के साथ पठित छत्तीसगढ़ वित्त आयोग अधिनियम, 1994 की कंडिका तीन राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। राज्य वित्त आयोग को प्रत्येक पाँच वर्ष में गठित किया जाना होता है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन से स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण की अनुशंसा करना तथा अपने स्वयं के संसाधनों में वृद्धि हेतु उपाय सुझाना है। राज्य के गठन के बाद से राज्य शासन ने चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। राज्य वित्त आयोगों के गठन, उसकी अनुशंसाओं के प्रस्तुतिकरण एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं की स्थिति नीचे **तालिका 2.4** में वर्णित है:

तालिका 2.4: राज्य वित्त आयोगों, प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं छतीसगढ़ शासन द्वारा अनुशंसाओं की स्वीकृति की स्थिति

राज्य वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोगों के गठन की नियत तिथि (वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल)	गठन की वास्तविक तिथि	राज्य वित्त आयोगों के गठन में विलंब (दिनों में)	राज्य वित्त आयोगों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुशंसाओं की स्वीकृति	राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं की स्वीकृति में लगने वाला समय (दिनों में)	अवधि
प्रथम	2001-02	22.08.2003	873	30.05.2007	जुलाई-2009	886	2007-12
द्वितीय	2006-07	23.07.2011	1,939	31.03.2013	जुलाई-2013	92	2012-20
तृतीय	2011-12	20.01.2016	1,541	30.09.2018	अक्टूबर-2019	366	2020-26
चतुर्थ	2016-17	29.07.2021	1,731	14.02.2024	जनवरी-2025	322	2026-30

(स्रोत: राज्य वित्त आयोग के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ शासन ने सभी राज्य वित्त आयोग का गठन विलंब से किया। यह विलंब की सीमा 873 से 1,939 दिनों तक थी। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन की अनुशंसाओं को स्वीकार करने में भी 92 से 886 दिन का समय लिया।

राज्य वित्त आयोग के गठन और उनकी अनुशंसाओं को स्वीकार करने में विलंब से राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुकूल अनुशंसाओं से पंचायती राज संस्थाओं को अपेक्षित लाभ पहुंचने में विलंब हो सकता है।

2.10.2 राज्य निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 243 के एवं जेडए को क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इन प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सितंबर 2002 में किया गया था। आगे, पंचायती राज संस्थाओं में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियमित निर्वाचन कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 बनाया गया था।

वर्ष 2019-20 में हुए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के अनुसार, निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों का विवरण निम्न **तालिका 2.5** में दिया गया है:

तालिका 2.5: जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का विवरण

पंचायती राज संस्थाओं का नाम	निर्वाचित प्रतिनिधि	पुरुष					महिला					कुल निर्वाचित प्रतिनिधि
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल	
जिला पंचायत	अध्यक्ष	1	6	3	2	12	2	7	4	2	15	27
	सदस्य	18	68	26	55	167	27	84	31	64	206	373
जनपद पंचायत	अध्यक्ष	1	40	3	11	55	10	54	13	14	91	146
	सदस्य	143	536	204	444	1,327	191	600	225	490	1,506	2,833
ग्राम पंचायत	सरपंच	539	3,274	715	1,225	5,753	574	3,342	744	1,251	5,911	11,664
	पंच	7,569	30,367	9,066	24,817	71,819	11,198	35,630	13,233	28,845	88,906	1,60,725
कुल		**8,271**	**34,291**	**10,017**	**26,554**	**79,133**	**12,002**	**39,717**	**14,250**	**30,666**	**96,635**	**1,75,768**

(स्रोत: संचालक, पंचायत का प्रशासकीय प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 243 डी[6] और के[7] के अंतर्गत परिकल्पित संस्थागत व्यवस्थाओं को स्थापित किया है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व वृहद रूप से प्रावधानों के अनुरूप था। विशेष रूप से, सभी स्तरों पर कुल पदों के 55 प्रतिशत से अधिक में महिलाएं निर्वाचित हुई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का समावेश उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुपात में था। इसने स्थानीय स्व-शासन में समावेशी और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक आदेश को पूरा किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित आपत्तियाँ भी पाया:

2.10.3 निर्वाचित प्रतिनिधियों के रिक्त पदों को न भरा जाना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 13(2) के अनुसार, सरपंच और पंच के जो पद निर्वाचन के उपरांत रिक्त हो जाते हैं, उन्हें छ: महीने के अंदर नए चुनाव के माध्यम से भरा जाना चाहिए। आगे, अधिनियम की धारा 38 आकस्मिक रिक्तियों को संबोधित करती है। यदि किसी पंचायत पदाधिकारी की मृत्यु हो जाती है, त्याग-पत्र दे देता है, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करता है, हटा दिया जाता है, या अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले विधान सभा या संसद का सदस्य बन जाता है तो आकस्मिक रिक्ति सृजित मानी जाती है। इस रिक्ति को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराकर यथाशीघ्र अवश्य भरा जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किए गए 21 ग्राम पंचायतों में 22 पद (सरपंच के 03 और पंच के 19 पद) रिक्त थे। ये पद छ: महीने से अधिक समय तक रिक्त रहे तथा लेखापरीक्षा के समय (जनवरी-मार्च 2024) तक भी भरे नहीं गये थे। इस संबंध में विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है।

राज्य शासन ने बताया (जुलाई 2025) कि अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने एवं चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, जिला

[6] पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों में सीटों का आरक्षण

[7] पंचायतों का निर्वाचन

पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जा रहे थे। मृत्यु, त्याग-पत्र या निष्कासन से उत्पन्न रिक्तियों को नियमों के अनुसार तुरंत भरा गया था।

राज्य शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कहा गया है कि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को शीघ्रता से भरा गया था। हालांकि, कोई सहायक दस्तावेज़, जैसे कि निर्वाचन अधिसूचनाएँ, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश या उप-चुनाव की तिथियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

2.11 निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों का क्षमता निर्माण

2.11.1 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान

फरवरी 2011 में स्थापित, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर, एक स्वायत्त निकाय है जो पंचायतों के तीन स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित और क्षमता निर्माण करता है। इसकी देखरेख पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जाती है तथा छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान पूरे राज्य में पांच क्षेत्रीय/पंचायत प्रशिक्षण केंद्रों और विस्तारित प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ 21 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों और 146 जनपद पंचायत संसाधन केंद्रों के साथ कार्य करता है। ये संस्थान निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं, वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करते हैं, और तदनुसार प्रशिक्षण आयोजित करते हैं।

2.11.1.1 निर्वाचित प्रतिनिधयों और पंचायती राज संस्था के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की स्थिति

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क 2014 प्रारंभ किया। राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, पंचायत संचालनालय और चयनित जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित तथ्य का उजागर हुआ:

- राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क अधिदेशित प्रमुख प्रक्रियाएं, जैसे प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करना तथा प्रशिक्षण का प्रभाव आकलन किए जाने से संबंधित कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। वर्ष 2018-23 के लिए केवल समेकित प्रशिक्षु आंकड़े (निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारी) प्रदान किए गए थे।

- नमूना-जांच किए गए चार जिला पंचायतों[8] और 13 जनपद पंचायतों में से जिला पंचायत बालोद और जनपद पंचायत नरहरपुर, को छोड़कर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे। इन दो इकाइयों में भी, वर्ष 2018-23 के अवधि में निर्वाचित प्रतिनिधि की भागीदारी कम थी (जनपद पंचायत नरहरपुर में 4 से 53 प्रतिशत के बीच तथा जिला पंचायत बालोद में 37 से 96 प्रतिशत के बीच)।

राज्य शासन ने बताया (जुलाई 2025) कि राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्था के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय को वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करता है, तथा अनुमोदन के पश्चात राज्य, जिला और जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करता है। आगे यह भी बताया कि प्रशिक्षण निर्धारित कैलेंडर का अनुसरण करते है, छूटे हुए विषयों को बाद के सत्रों में शामिल किया जाता है और कैलेंडर के अनुपालन में सुधार हुआ है। यह प्रस्तुत किया कि वर्ष 2023-24 में 1.69 लाख और वर्ष 2024-25 में 0.90 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

हालांकि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं तथा जिला पंचायत/जनपद पंचायत-वार प्रशिक्षण अभिलेखों के संबंध में कोई भी सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

2.11.2 जिला योजना समिति

संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुपालन में, जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 को तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित (मई 1995) किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अंगीकार किया गया। जिला योजना समिति का गठन जिला पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के 10 से 20 निर्वाचित सदस्यों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नामित दो सदस्यों, के साथ किया जाना था। जिला योजना समिति का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामित राज्य के मंत्री को बनाया जाना था। जिला योजना समिति पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करने और जिले के लिए जिला विकास योजना पर एक मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। जिला कलेक्टर, जिला योजना समिति के सदस्य सचिव के रूप में, सभी अभिलेख संधारित करने, बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करने, जिला डेटाबेस को संधारित करने, पंचायती राज संस्थाओं में वर्तमान सुविधाओं की सूची तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के सचिव, जिला पंचायत विकास योजनाओं/जनपद पंचायत विकास योजनाओं और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के पश्चात, सामान्य सभा/ ग्राम सभा से अनुमोदन के उपरांत जिला योजना समिति को प्रेषित करते हैं। जिला योजना समिति को जिलों में कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करनी चाहिए और राज्य शासन को नियमित प्रगति प्रतिवेदन भेजी जानी चाहिए।

---

[8] जिला पंचायतें - बालोद, बिलासपुर, बेमेतरा, कोरिया तथा जनपद पंचायतें - नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, डोंडी, कोटा, बेमेतरा, साजा, कोंडागांव, बैकुंठपुर, खड़गवां, माकड़ी, कुरूद और मगरलोड

जिला योजना और सांख्यिकी अधिकारियों से एकत्र की गई जानकारी की जांच में लेखापरीखा ने आठ जिलों में पाया कि यद्यपि जिला योजना समिति का गठन किया गया था, परंतु वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान आवश्यक 160 बैठकों[9] के विरुद्ध कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। बैठकों का आयोजन न किए जाने का कारण उपलब्ध नहीं था।

इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच किए गए आठ जिलों में किसी भी जिला योजना समिति ने पंचायतों और नगरपालिकाओं से प्राप्त विकास योजनाओं को समेकित करने के उपरांत जिला विकास योजना तैयार नहीं की थी।

राज्य शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि सभी जिला कलेक्टरों को वार्षिक योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया गया है। तथापि, ग्राम पंचायत विकास योजना, जनपद पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना अलग-अलग तैयार किये जाने के कारण जिला विकास योजना की तैयारी ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। आगे, सभी जिला स्तरीय योजनाओं की निगरानी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति द्वारा की जाती है।

राज्य शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत विकास योजना, जनपद पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना को अलग-अलग तैयार करने से जिला विकास योजना अप्रासंगिक नहीं हो जाती तथा साथ ही, जिला विकास योजना को तैयार न करना संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के तहत दिए गए प्रावधान के अनुरूप नहीं है। जिला योजना समिति का मुख्य कार्य पंचायती राज और नगरपालिकाओं की इन एकल योजनाओं को एकीकृत जिला विकास योजना में समेकित करना है, जिससे संतुलन सुनिश्चित हो सके।

2.11.3 सामाजिक अंकेक्षण इकाई

73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अनुच्छेद 243 जे प्रावधान करता है कि राज्य शासन, विधि द्वारा, पंचायत के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान कर सकता है। सामाजिक अंकेक्षण एक सहभागी प्रकिया है, जो समुदायों को राज्य सरकार की योजनाओं के पारदर्शिता एवं जवाबदेही की समीक्षा करने हेतु सशक्त बनाती है। यह प्रकिया प्राधिकृत संस्थायों द्वारा की जाने वाली औपचारिक वितीय लेखापरीक्षा से भिन्न है। इस प्रक्रिया को संस्थागत स्वरुप प्रदान करने हेतु वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की स्थापना की गयी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है तथा इसमें अधिकारी, विशेषज्ञों एवं नागरिक समाज के सदस्य शामिल होते हैं। आगे, जैसा कि मनरेगा अधिनियम, 2005 और सामाजिक अंकेक्षण इकाई के उपनियमों द्वारा अधिदेशित किया गया है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास योजनाएं, विशेष रूप से मुख्य धारा से दूर रहने वाले समूहों के लिए, उद्देश्य के अनुरूप कार्यान्वित किया गया है, जनपद सामाजिक अंकेक्षण सुविधाकर्ता के माध्यम से द्विवार्षिक अंकेक्षण (मनरेगा-छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई नियम, 2015 का नियम 5) संपादित किया जाना आवश्यक है। आगे, मनरेगा-छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई नियम, 2015 के नियम 11(बी) के अंतर्गत, सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन से प्राप्त होने वाले आपत्तियों की 15 दिनों के अन्दर सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

[9] 8 जिले * 4 तिमाही/वर्ष* 5 वर्ष

2.11.3.1 सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में निष्पादित कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु वार्षिक कैलेंडर तैयार किया था। वर्ष 2018-23 के दौरान नियोजित और निष्पादित सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति निम्नलिखित **तालिका 2.6** में दी गई है:

तालिका 2.6: नियोजित, निष्पादित और कमी वाले सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या[10]	संपादित किए जाने वाले सामाजिक लेखापरीक्षा का लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध नियोजित (प्रतिशत)	नियोजन के विरुद्ध उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य के विरुद्ध कमी (प्रतिशत)
1	2018-19	10,976	21,952	6,561 (30)	6,490 (99)	15,462 (70)
2	2019-20	10,978	21,956	6,951 (32)	6,635 (95)	15,321 (70)
3	2020-21	11,464	22,928	11,295 (49)	0 (0)	22,928(100)
4	2021-22	11,664	23,328	11,494 (49)	7,996 (70)	15,332 (66)
5	2022-23	11,658	23,316	11,480 (49)	4,506 (39)	18,810 (81)
कुल			**1,13,480**	**47,781 (41)**	**25,627 (54)**	**87,853 (77)**

(स्रोत: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रबंधन सूचना प्रणाली अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने प्रावधान के अनुसार आवश्यक 1.13 लाख सामाजिक अंकेक्षण से कम, केवल 47,781 (41 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण का नियोजन किया। आगे, नियोजन के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा केवल 25,627 (54 प्रतिशत) सामाजिक अंकेक्षण संपादित किए गए थे। इस प्रकार, वर्ष 2018-23 के दौरान लक्ष्य के विरुद्ध सामाजिक अंकेक्षण में 77 प्रतिशत की कमी थी।

प्रत्युत्तर में, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने निर्धारित मानदंडों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण न किये जाने के कारणों के रूप में कर्मचारियों की कमी, कोविड-19 महामारी का प्रभाव और चुनाव आचार संहिता का लागू होने का उल्लेख किया। आगे, राज्य शासन ने बताया (जुलाई 2025) कि पंचायती राज व्यवस्था द्वारा क्रियान्वित योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और जहां प्रवधानित हो, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सामाजिक अंकेक्षण संपादित की जाती है। हालांकि, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण के लिए अलग से कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

---

[10] प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार, मार्च 2023 तक कुल ग्राम पंचायतें 11,656 हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर्मचारियों की कमी, कोविड-19 महामारी का प्रभाव और चुनाव संबंधी प्रतिबंध जैसी बाधाएं सामाजिक अंकेक्षण करने की वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन न किये जाने को उचित नहीं ठहरा सकता है।

2.11.3.2 सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई

सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के पश्चात, निर्गम बैठक के दिनांक से 15 दिनों के अंदर, प्रतिवेदन में दर्शाये गए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों पर कार्रवाई प्रारंभ किए जाने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक उत्तरदायी होगा।

वर्ष-वार प्रकरणों का विवरण, वसूली योग्य राशि, लंबित प्रकरण और उनकी राशि का विवरण निम्नलिखित **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: वर्ष 2018-23 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण में उठाए गए एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	शेष प्रकरण	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली योग्य शेष राशि
2018-19	17,242	12,203	5,039	15.41	3.46	11.95
2019-20	13,860	8,769	5,091	11.67	3.81	7.86
2020-21	0	0	0	0	0	0
2021-22	16,987	8,354	8,633	16.08	3.27	12.81
2022-23	11,298	2,773	8,525	8.7	2.27	6.43
योग	**59,387**	**32,099**	**27,288**	**51.86**	**12.81**	**39.05**

(स्रोत: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 51.86 करोड़ में से अगस्त 2024 तक केवल ₹ 12.81 करोड़ (25 प्रतिशत) वसूल किया जा सका है तथा 27,288 प्रकरणों से संबन्धित ₹ 39.05 करोड़ (75 प्रतिशत) की राशि अभी तक वसूली नहीं गई है।

इस प्रकार, सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनो में उठाए गए आपत्तियों का निपटारा न किया जाना, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा की गई अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शाता है।

संचालक, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का उत्तर अपेक्षित है तथा राज्य शासन ने भी अपने उत्तर (जुलाई 2025) में इस प्रकरण की चर्चा नहीं की थी।

2.11.3.3 सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों को अधिदेशित निधियों का कम अंतरण

मनरेगा-छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम, 2015 के नियम 15 के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत कुल वार्षिक व्यय का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत तथा अधिकतम एक प्रतिशत सामाजिक अंकेक्षण निधि के रूप में आवंटित करने हेतु अधिदेशित किया गया है। यह निधि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मनरेगा के प्रशासनिक लागत के छ: प्रतिशत से प्राप्त की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य मनरेगा परियोजनाओं की सामाजिक अंकेक्षण के संपादन को सुगम बनाना है। मनरेगा के आयुक्त,

निर्बाध सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को सक्रिय रूप से निधियों का संवितरण करेगा।

छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को अंतरित की जाने वाली निधियों और वास्तविक अंतरित की गई निधियों की वर्ष-वार तुलना **निम्न तालिका 2.8** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.8: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को अपर्याप्त धनराशि जारी किया जाना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**मनरेगा का कुल व्यय**	**छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को अंतरित की जाने वाली राशि (कुल व्यय का 0.5 प्रतिशत)**	**छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को वास्तविक अंतरण**	**छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को कम अंतरण राशि (प्रतिशत)**
2018-19	3,054.64	15.27	7.03	8.24 (53.97)
2019-20	3,225.88	16.13	7.61	8.52 (52.82)
2020-21	4144.77	20.72	13.91	6.81 (32.88)
2021-22	3,556.94	17.78	0	17.78 (100.00)
2022-23	4,168.06	20.84	13.39	7.45 (35.75)
कुल	**18,150.29**	**90.74**	**41.94**	**48.81 (53.79)**

(स्रोत: संचालक, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आयुक्त, मनरेगा द्वारा वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण निधि के रूप में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को ₹ 18,150.29 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध कुल ₹ 90.74 करोड़ अंतरित किया जाना था। हालांकि, इस अवधि में केवल ₹ 41.94 करोड़ अंतरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 48.81 करोड़ (53.79 प्रतिशत) की कमी हुई।

संचालक, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का उत्तर अपेक्षित है एवं राज्य शासन ने भी अपने उत्तर (जुलाई 2025) में इस विषय का उल्लेख नहीं किया।

2.11.3.4 अन्य शासकीय कार्यक्रमों/ योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण ना किया जाना

छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के उपनियमों के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार, इकाई को न केवल मनरेगा के अंतर्गत बल्कि अन्य शासकीय कार्यक्रमों और योजनाओं के वंचितों को लाभान्वित करने के लिए भी सामाजिक अंकेक्षण संपादित किए जाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इन प्रावधानों के अनुरूप, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), रुअर्बन मिशन, जिला खनिज निधि, गोधन न्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इत्यादि जैसी योजनाओं के लिए सामाजिक अंकेक्षण संपादित किए जाने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई, मनरेगा के लिए सामाजिक अंकेक्षण संपादित करता है। आगे, अन्य योजनाओं के संबंध में, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने जानकारी उपलब्ध कराया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की 78 ग्राम पंचायतों और रुअर्बन मिशन योजना की 14 ग्राम पंचायतों में केवल एक प्रयोग के रूप में सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया गया है। जिला खनिज संस्थान न्यास, गोधन न्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन में होने वाले बजट एवं व्यय के लिए प्रस्ताव संबंधित योजनाओं के नोडल विभागों को भेजा गया। हालांकि, केवल प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को संबंधित नोडल विभाग द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के लिए अनुमोदित किया गया था।

सामाजिक अंकेक्षण का विस्तार अन्य कार्यक्रमों तक नहीं किए जाने से हितग्राहियों को सहभागीदारी प्रक्रियाओं और जन सुनवाई का हिस्सा बनने के अवसर से वंचित रहना पड़ सकता है।

संचालक, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण का उत्तर अपेक्षित है एवं राज्य शासन ने भी अपने उत्तर (जुलाई 2025) में इस विषय का कोई उल्लेख नहीं किया।

2.12 पंचायती राज संस्थाओं की राजस्व रुपरेखा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एच के अंतर्गत पंचायतों को कर लगाने की शक्ति प्रदान की गयी है तथा यह परिकल्पना की गयी है कि राज्य सरकार कानून द्वारा निर्दिष्ट कर, शुल्क, फ़ीस से प्राप्त राजस्व का अनुदान एवं आवंटन करेगी। अनुच्छेद 243 एच के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 77 के अंतर्गत पंचायती राज संथाओं को अपने क्षेत्राधिकार में कर लगाने एवं उनके वसूली करने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अनिवार्य कर एवं शुल्क (शर्त एवं अपवाद) तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत वैकल्पिक कर एवं शुल्क (शर्त एवं अपवाद) नियम, 1996 नामक पृथक नियमावली बनाये गए हैं। आगे, केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग ने भी पंचायती राज संस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए अनुदान प्रदान करने की अनुशंसा की है।

2.12.1 राजस्व के स्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधियों के मुख्य रूप से तीन स्रोत हैं, अर्थात् (क) शासकीय अनुदान केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग (ख) स्वयं का राजस्व और (ग) विभिन्न केंद्रीय/राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता। शासकीय अनुदान, समय-समय पर गठित केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित होते हैं। आगे, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, स्वयं के राजस्व में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए गए कर और शुल्क शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधियों के स्रोतों का चित्रात्मक निरूपण नीचे **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.2: पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधियों के स्रोत

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

वर्ष 2018-23 के दौरान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण नीचे **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: वर्ष 2018-23 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	राज्य वित्त आयोग अनुदान		राज्य अनुदान	विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता		कुल
		राज्य के स्वयं के कर राजस्व	आवंटित राजस्व		केंद्र प्रायोजित योजनाएं	राज्य प्रायोजित योजनाएं	
2018-19	1,052.23	859.49	89.56	105.73	17.58	22.94	**2,147.53**
2019-20	1,415.89	751.46	74.61	105.77	18.20	17.32	**2,383.25**
2020-21	1,454.00	616.30	99.03	107.19	6.73	15.09	**2,298.34**
2021-22	1,075.00	729.45	65.00	114.87	13.22	7.83	**2,005.37**
2022-23	1,114.00	1,209.36	70.00	211.47	0	8.27	**2,613.10**
कुल	**6,111.12**	**4,166.06**	**398.20**	**645.03**	**55.73**	**71.45**	**11,447.59**

(स्रोत: संचालक, पंचायत द्वारा जारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इस संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.12.2 स्वयं के राजस्व के स्थान पर राज्य/केंद्र सरकार से अनुदान/सहायता पर निर्भरता

पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्व-शासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए कई करों और शुल्कों को एकत्र करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तथापि, उन्हें राज्य शासन और केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान स्वयं के राजस्व और वित्तीय सहायता को निम्नलिखित **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.10: वर्ष 2018-23 के दौरान जारी केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग अनुदान तथा पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं का स्वयं का राजस्व (प्रतिशत)	केंद्र/राज्य वित्त आयोग अनुदान एवं राज्य/ केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता (प्रतिशत)	कुल प्राप्तियां
1	2018-19	107.38 (4.76)	2,147.53 (95.24)	2,254.91
2	2019-20	113.02 (4.53)	2,383.25 (95.47)	2,496.27
3	2020-21	103.30 (4.30)	2,298.34 (95.70)	2,401.64
4	2021-22	107.83 (5.10)	2,005.37 (94.90)	2,113.20
5	2022-23	124.82 (4.56)	2,613.10 (95.44)	2,737.92
कुल		**556.35 (4.63)**	**11,447.59 (95.37)**	**12,003.94**

(स्रोत: संचालक पंचायत)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-23 के दौरान कुल प्राप्तियां ₹ 12,003.94 करोड़ में से, पंचायती राज संस्थाओं का स्वयं का राजस्व केवल 4.63 प्रतिशत था, शेष अनुदान राज्य वित्त आयोग और केन्द्रीय वित्त आयोग से हस्तांतरित किया गया था। आगे, इस अवधि के दौरान भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त होने वाले निधियों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि स्वयं के राजस्व संग्रह में वृद्धि मात्र 16 प्रतिशत हुई।

राज्य शासन ने स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2025) कि पंचायती राज संस्थाओं में कर राजस्व संग्रह को सुदृढ़ करने के लिए करारोपन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मास्टर ट्रेनर नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि, कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कर संग्रह में गिरावट आई थी, तथापि वर्ष 2022-23 में इसमें सुधार हुआ है।

2.12.3 राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अपर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना

पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता केन्द्र और राज्य दोनों स्त्रोतों से प्रदान की जाती है, मुख्य रूप से केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, राज्य के स्वयं के कर

राजस्व की भागीदारी, आवंटित राजस्व जैसे भू-राजस्व, रॉयल्टी और उत्पाद शुल्क राजस्व के साथ-साथ केन्द्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियां है।

(ए) राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित राजस्व का कम अंतरण

ग्राम पंचायतों को कुछ करों के वितरण के रूप में छत्तीसगढ़ शासन से आवंटित राजस्व प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रावधानों के अनुसार आवंटित राजस्व के मुख्य घटकों में भू-राजस्व, भू-राजस्व उपकर तथा अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क शामिल हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत आवंटित राजस्वों के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915[11] के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण हेतु कई अन्य राजस्व भी सौपें गए हैं। ये नियम तथा अधिनियम संयुक्त रूप से भू राजस्व, भू-राजस्व उपकर, गौण खनिजों पर रॉयल्टी तथा आबकारी शुल्क पर अधिभार जैसे राजस्वों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण करने हेतु प्रावधान करता हैं। इन आवंटित राजस्वों के विरुद्ध किये गए कुल संग्रहण के संबंध में संचालक, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

वर्ष 2018-23 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित राजस्व के वास्तविक अंतरण की स्थिति नीचे **तालिका 2.11** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.11: पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित राजस्व के वास्तविक अंतरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

आवंटित राजस्व	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
गौण खनिज रॉयल्टी	64.56	19.17	38.25	0	उपलब्ध नहीं करायी गई	121.98
मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	25.00	55.44	60.78	65.00	70.00	276.22
भू-राजस्व	0	0	0	0	0	0
भू-राजस्व पर उपकर	0	0	0	0	0	0
उत्पाद शुल्क अधिभार	0	0	0	0	0	0
कुल	**89.56**	**74.61**	**99.03**	**65.00**	**70.00**	**398.20**

(स्रोत: संचालक, पंचायत)

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-23 के दौरान त्रि-स्तरीय पंचायतों को आवंटित राजस्व के रूप में ₹ 398.20 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। आगे, भू-राजस्व, भू-राजस्व उपकर एवं उत्पाद शुल्क अधिभार के लिए कोई राशि का अंतरण किया जाना नहीं पाया गया।

[11] राजपत्र अधिसूचना संख्या 312 दिनांक 07.12.2010

राज्य शासन ने स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2025) कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निधि प्राप्त होता है, जिसमें से भू-राजस्व, भू-राजस्व उपकर और उत्पाद शुल्क अधिभार की राशि, वित्त विभाग के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रदान की जाती है। तथापि, ये निधियां शासन स्तर से जारी नहीं की जा रही हैं।

(बी) पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का कम अंतरण

द्वितीय राज्य वित्त आयोग (अवार्ड अवधि 2012-20) और तीसरे राज्य वित्त आयोग (अवार्ड अवधि 2020-26) की अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य के स्वयं के कर राजस्व का क्रमशः 6.15 प्रतिशत और 6.91 प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शुद्ध स्वयं के कर राजस्व से पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का हस्तांतरण, राज्य वित्त आयोग के स्वीकृत अनुशंसाओं से कम था जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.12: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वयं के कर राजस्व निधियों से पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण में कमी

वर्ष	राज्य के स्वयं के कर राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	शुद्ध राज्य के स्वयं के कर राजस्व[12] (₹ करोड़ में)	राज्य वित्त आयोग के अनुसार हस्तांतरित किए जाने योग्य धनराशि		निधियों का अंतरण (₹ करोड़ में)	हस्तांतरण में कमी (₹ करोड़ में)	कमी का प्रतिशत
			स्वीकृत प्रतिशत	कुल धनराशि (₹ करोड़ में)			
2018-19	21,427.26	18,855.99	6.15	1,159.64	859.49	300.15	25.88
2019-20	22,117.85	19,463.71	6.15	1,197.02	751.46	445.56	37.22
2020-21	22,889.20	20,142.50	6.91	1,391.85	616.3	775.55	55.72
2021-22	27,083.73	23,833.68	6.91	1,646.91	729.45	917.46	55.70
2022-23	33,122.31	29,147.63	6.91	2,014.10	1,209.36	804.74	39.95
कुल	**1,26,640.35**	**1,11,443.51**		**7,409.52**	**4,166.06**	**3,243.46**	**43.77**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ शासन ने यद्यपि राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 6.15 तथा 6.91 प्रतिशत हस्तांतरित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार

---

[12] द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग के अनुसार, शुद्ध राज्य के स्वयं के कर राजस्व तीन करों के लिए (भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर) राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 10 प्रतिशत एवं करों के संग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किये गए व्यय का दो प्रतिशत की कटौती करके प्राप्त किया जाता है)

किया था, फिर भी, वर्ष 2018-23 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को अनुशंसित राशि के विरुद्ध ₹ 3,243.46 करोड़ की निधियों का अल्प हस्तांतरण किया गया।

राज्य शासन ने इस विषय पर कोई स्पष्ट उत्तर (जुलाई 2025) प्रदाय नहीं किया।

2.12.4 महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष अनुदान का अंतरण नहीं किया जाना

तृतीय राज्य वित्त आयोग ने महिला सशक्तिकरण हेतु वैसे प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ₹ 50 लाख के विशेष अनुदान का अनुशंसा किया था, जहां ग्राम पंचायतों के कुल पदों के दो-तिहाई या उससे अधिक पदों पर महिला निर्वाचित की जाती हैं। तृतीय राज्य वित्त आयोग के अनुशंसाओं की कृत कार्यवाही प्रतिवेदन के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने इस अनुशंसा को स्वीकार (अक्टूबर 2019) किया था।

नमूना जाँच किये गए 85 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि आठ ग्राम पंचायतों[13] ने ग्राम पंचायतों की कुल पदों के दो-तिहाई या उससे अधिक पर महिलाओं के निर्वाचन हेतु मापदंडो को पूरा किया। तथापि, इनमें से किसी भी ग्राम पंचायत को ऐसा विशेष अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इन अनुदानों के लिए कोई स्वीकृति जारी नहीं की गयी थी।

राज्य शासन ने स्वीकार (जुलाई 2025) किया कि दो-तिहाई से अधिक महिला प्रतिनिधियों वाली ग्राम पंचायतों के लिए ₹ 50 लाख की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है।

2.12.5 पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त निधि जारी करना

(ए) 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान को जारी करने में विलम्ब

केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, राज्य द्वारा भारत सरकार से प्राप्त राशि को 15 दिनों के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किया जाना आवश्यक है। विलम्ब की स्थिति में, राज्य शासन को विलम्ब के दिनों की संख्या के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर से ब्याज भुगतान करने का दायित्व होगा।

संचालनालय, पंचायत में अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2018-19 के दौरान 14वें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान को जारी करने में विलम्ब के कारण पंचायती राज संस्थाओं को ब्याज के रूप में ₹ 4.37 करोड़ की राशि का भुगतान किया था, जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है:

[13] अमोड़ा (78 प्रतिशत, नरहरपुर, कांकेर), भर्रीटोला (66.67 प्रतिशत, डोंडी, बालोद), अरमुरकसा (75 प्रतिशत, डोंडी, बालोद), मुल्ला (70 प्रतिशत, भानुप्रतापपुर, कांकेर), लारीपुर (70 प्रतिशत, पिथोरा, महासमुंद), केकराखोली (70 प्रतिशत, मगरलोड, धमतरी), चंद्रसुर (67 प्रतिशत, मगरलोद, धमतरी) और भगत सरायपाली (70 प्रतिशत, सरायपाली, महासमुंद)

तालिका 2.13: अनुदान वितरण और विलम्ब दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क़िस्त	भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	छत्तीसगढ़ शासन के खाते में प्राप्ति की तिथि	पंचायती राज संस्थाओं को जारी की गई राशि	पंचायती राज संस्थाओं को जारी करने की तिथि	दिनों में देरी	विलंब के कारण जारी किया गया दंडात्मक ब्याज
2018-19	प्रथम	523.93	06.09.2018	523.93	14.09.2018	कोई देर नहीं	लागू नही
	द्वितीय	523.93	26.02.2019	523.93	01.03.2019 और 01.05.2019	49 दिन	4.37

(स्रोत: संचालक, पंचायत द्वारा प्रदत्त जानकारी)

राज्य शासन ने स्वीकार (जुलाई 2025) किया कि तकनीकी कारणों से 14वें केंद्रीय वित्त आयोग की निधि जारी करने में विलम्ब हुई थी।

(बी) पंचायती राज संस्थाओं को 14वें केंद्रीय वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान का आंशिक जारी किया जाना

14वें केंद्रीय वित्त आयोग ने वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ छत्तीसगढ़ के पंचायती राज संस्थाओं को राशि ₹ 524.41 करोड़ के कुल निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की:

i. लेखापरीक्षित लेखाओं के माध्यम से सभी प्राप्तियों और व्यय पर विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध कराना; तथा
ii. स्वयं के राजस्व में सुधार

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल अनुशंसित राशि में से ₹ 219.21 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे, और यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तक सीमित था। वर्ष 2015-16, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए कोई निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 305.20 करोड़ के अनुशंसित अनुदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जारी नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर, राज्य शासन ने (जुलाई 2025) बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने निष्पादन -आधारित अनुदान की शर्तों को पूरा करने के पश्चात इसे जारी करने के लिए मांग पत्र भेजा था। हालाँकि, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित किसी भी राज्य को ऐसा कोई अनुदान जारी नहीं किया।

राज्य शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह दावा करना कि निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए सभी शर्तों को पूरा किया गया था, इसकी पुष्टि नहीं की गई, विशेष रूप से लेखापरीक्षा आवृति के संबंध में, क्योंकि इन अवधियों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थायों की इकाइयों की अपेक्षित संख्या की संपरीक्षा नहीं की गई थी (इस अध्याय के कंडिका

2.13.4 में संदर्भित) जो निष्पादन अनुदान जारी किए जाने के लिए पात्रता मानदंडों में से एक था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को भेजे गए मांग पत्र के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

2.13 पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन

2.13.1 ग्राम पंचायतों में आयोजित बैठकें

73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संदर्भित अनुच्छेद 243ए, एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 6 और 7 के साथ पठित , ग्राम सभा को अपना व्यवसाय संचालित करने की शक्तियां प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,1993 की धारा 129-क के अनुसार, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में शामिल होते हैं। आगे, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,1993 की धारा 6(1) में यह परिकल्पना की गई है कि ग्राम सभा की बैठकें तिमाही (जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर) आयोजित की जानी चाहिए एवं अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार, वार्षिक ग्राम सभा बैठक आगामी वित्तीय वर्ष से कम से कम तीन माह पूर्व आयोजित की जानी चाहिए। वार्षिक ग्राम सभा बैठक के दौरान, पूर्व वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखें, आगामी वर्ष का बजट तथा प्रशासकीय प्रतिवेदन पर चर्चा किया जाना है।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 6(2)(ए) के अनुसार, ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) हेतु कुल सदस्यों का दसवां भाग आवश्यक है, जिसमें कम से कम एक-तिहाई महिला सदस्य शामिल हों। यदि गणपूर्ति पूरा नहीं होता है, तो बैठक स्थगित की जा सकती है, और आगामी बैठक बिना गणपूर्ति की आवश्यकता के आयोजित की जा सकती है। आगे, धारा 6(3) के अनुसार, यदि लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति नहीं होता है, तो संबंधित पंच/सरपंच को सूचित किया जाएगा एवं उन्हें दो अतिरिक्त ग्राम सभा में गणपूर्ति पूरा करने के लिए अवसर दिए जाएंगे। ऐसा करने में विफल होने पर संबंधित पंच/सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उन्हें उनके पद से हटाया जाना भी सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा ने 36 ग्राम पंचायतों[14] के नमूना जाँच करते हुए ग्राम सभा पंजीयों की जांच के दौरान पाया कि किसी भी बैठको में, बिना गणपूर्ति के लगातार तीन बैठकों के उपरांत अगले दो ग्राम सभा में भी आवश्यक गणपूर्ति पूर्ण नहीं था। ग्राम पंचायतों में उत्तरदायी पदधारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई किया जाना नहीं पाया गया।

[14] बैकुंठपुर (आनी, मुरमा, पिपरा, करजी), खडगवां (टटगांव, पोंडी, कटकोना, फुनगा, जिलीबान्द), माकड़ी (सोडमा, करमरी, बिंजोली, तोरांडी), अंतागढ़ (तालाबेड़ा, ताडोकी, कडाईखोदरा, बोंडानार, कोलार), गुरुर (उसरवारा, सरबदा, अरमरीकला, बासीन, बालोदगहन), डोंडी (अरमुरकसा, कुसुमकसा, भर्रीटोला-36, धोवनी-ब, पुसावड), नरहरपुर (अमोड़ा, बाबुसाल्हेटोला, मरकाटोला), भानुप्रतापपुर (इरागॉन, कच्चे, मुल्ला, साल्हे, संबलपुर)

राज्य शासन ने स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2025) कि ग्राम सभा की बैठकों और अनुसूचित क्षेत्रों में गणपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को आदेश एवं दिशानिर्देश जारी किए गए थे। नियमों की जानकारी के अभाव के कारण, ग्राम सभा में बैठकों के लिए गणपूर्ति बनाये नहीं रखा गया।

2.13.2 जनपद पंचायत के गठन हेतु रोटेशन

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभा के सदस्यों जिनके निर्वाचन क्षेत्र जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, सम्मिलित होंगे तथा जनपद पंचायत के प्रादेशित क्षेत्र के सरपंचों का पाँचवां हिस्सा भी एक वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर सदस्य होंगे, जिन्हें विहित प्राधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से तय किया जा सकेगा; बशर्ते कि एक सरपंच जो इस खण्ड के अधीन एक अवधि के लिए समिति का सदस्य हैं दूसरे अवधि हेतु सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा तथा अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत एक सरपंच जो इस खण्ड के अधीन सदस्य है, अन्य गठित समितियों का सदस्य नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-23 के लिए नमूना जांच किए गए जनपद पंचायतों में पाया कि जनपद पंचायतों का गठन तो किया गया था, लेकिन किसी भी जनपद में (जनपद गुरुर, जिला बालोद को छोड़कर, जहाँ वर्ष 2020-21 और 2021-22 में रोटेशन संबंधी आदेश जारी किए गए थे) प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष सरपंचों के पाँचवें भाग का रोटेशन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, जनपद पंचायत में सभी सरपंचों का प्रतिनिधित्व जनपद पंचायत के प्रादेशित क्षेत्र में बनाई गई योजना एवं किये गए विकास में उनकी भागीदारी को बनाए रखने हेतु सुनिश्चित नहीं किया गया था।

राज्य शासन ने स्वीकार किया और बताया (जून 2025) कि सभी कलेक्टरों को अधिनियम के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देश (जून 2025) जारी किए गए हैं।

2.13.3 निर्धारित प्रारूप के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं को तैयार न किया जाना

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसरण में अनुच्छेद 243जे, पंचायतों द्वारा लेखाओं के संधारण तथा उनके लेखापरीक्षा का प्रावधान करता है। उक्त प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने पंचायती राज संस्थाओं में लेखाओं के संधारण के लिए जिला पंचायत/ जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 एवं जिला पंचायत/ जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 अधिनियमित किया। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 7(2) एवं 73 बजट और वार्षिक लेखें तैयार करने का परिकल्पना करता है।

11वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 में बजट और लेखांकन प्रारूप (आठ[15]) निर्धारित किए। तत्पश्चात, पंचायती राज मंत्रालय और

[15] बैंक समाधान विवरण, तुलन पत्र, समेकित सार का प्रारूप, मांग और संग्रह का प्रारूप, इन्वेंटरी रजिस्टर, मासिक/वार्षिक प्राप्तियां और भुगतान खाते, चल संपत्ति का प्रारूप, प्राप्य और देय का विवरण/प्रारूप।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2009 में मॉडल लेखा प्रणाली[16] को पंचायती राज संस्थाओं में क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया, जिसे वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायती राज संस्था में लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये 23 पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत-7[17], जनपद पंचायत -16[18]) केवल लेनदेन दर्ज करने के लिए रोकड़ बही (प्रारूप IV) का संधारण कर रहे थे। किन्तु वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान लेखें (प्रारूप-I), समेकित सारांश पंजी (प्रारूप-II), मासिक मिलान विवरण (प्रारूप-III), लेजर बुक (प्रारूप-V), स्थायी परिसंपत्तियों की पंजी (प्रारूप-VI),भंडार (स्टॉक) पंजी (प्रारूप-VII) तथा मांग, वसूली एवं शेष पंजिका (प्रारूप-VIII) का संधारण वर्ष 2018-23 की अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की मॉडल लेखा प्रणाली द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं किया गया।

राज्य शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2025) कि पंचायतें छत्तीसगढ़ पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के अनुसार लेखाओं का संधारण करती हैं। इस सम्बन्ध में वर्ष 2012 एवं 2015 में विभागीय पत्रों के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे और समीक्षा बैठकों में चर्चा की गई थी। वर्तमान में, वार्षिक लेखों को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अंतिम रूप देकर बंद किया जा रहा है।

राज्य शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित प्रारूप में पंचायती राज संस्थाओं के लेखों को तैयार न किए जाने के विषय पर उल्लेख नहीं है।

2.13.4 छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा पंचायत लेखाओं की संपरीक्षा

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 में राज्य के स्थानीय प्राधिकरणों के नियंत्रण के अधीन स्थानीय निधियों की संपरीक्षा का प्रावधान करने और विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए प्राथमिक संपरीक्षक के रूप में संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को अधिदेशित किया, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के अंतर्गत कार्य करेगा। जून 2020 में, इसका नाम परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ पंचायत संपरीक्षा नियम, 1997 के नियम (3) के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष किया जाना अपेक्षित है।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किए गए लेखाओं की संपरीक्षा की वर्ष-वार स्थिति निम्न **तालिका 2.14** में दर्शाया गया है:

---

[16] (i) वार्षिक प्राप्तियां और भुगतान लेखें (प्रारूप-I), (ii) समेकित सारांश पंजी (प्रारूप-II), (iii) मासिक मिलान विवरण (प्रारूप-III), (iv) रोकड़ बही (प्रारूप-IV), (v) लेजर बुक (प्रारूप-V), (vi) स्थायी परिसंपत्तियों की पंजी (प्रारूप-VI), (vii) भंडार (स्टॉक) पंजी (प्रारूप-VII) तथा (viii) मांग, वसूली एवं शेष पंजिका (प्रारूप-VIII)

[17] कांकेर, बालोद, बेमेतरा, कोंडागांव, धमतरी, कोरिया और महासमुंद

[18] नरहरपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, डोंडी, गुरुर, बेमेतरा, साजा, कोटा, बिल्हा, कुरुद, मगरलोड, खडगवां, बैकुंठपुर, माकड़ी, सरायपाली और पिथौरा

तालिका 2.14: छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किये गए संपरीक्षा की स्थिति

वर्ष	जिला पंचायतों की संख्या	जनपद पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	संपरीक्षा इकाइयों[19] की कुल संख्या	संपरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या (प्रतिशत)
2018-19	27	146	10,976	11,149	497 (4.45)
2019-20	27	146	10,978	11,151	175 (1.60)
2020-21	27	146	11,464	11,637	52 (0.44)
2021-22	27	146	11,664	11,837	30 (0.25)
2022-23	27	146	11,658	11,831	10,755 (90.90)

(स्रोत: स्थानीय निधि संपरीक्षा का अंकेक्षण योजना एवं प्रगति प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक सीमित संख्या में इकाइयों का संपरीक्षा किया, हालाँकि वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का उत्तर आपेक्षित है तथा राज्य शासन ने भी अपने उत्तर (जुलाई 2025) में इस विषय का उल्लेख नहीं किया।

2.13.5 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 के क्रियान्वयन की स्थिति

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243एम प्रावधानित करता है कि संसद विधि द्वारा इसके उपबंधों को अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है। पेसा अधिनियम, 1996 का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को स्व-शासन के केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए लोगों की परंपराओं एवं रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवादों के पारंपरिक समाधान के उपायों आदि का संरक्षण करना है। पेसा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, भूमि एवं वन प्रबंधन, ग्राम विकास योजनाओं की स्वीकृति तथा सामुदायिक परंपराओं एवं रीति-रिवाजों की सुरक्षा जैसे विषयों पर अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम अधिदेशित करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के कानून जनजातीय रीति-रिवाजों के अनुरूप हों तथा महत्वपूर्ण निर्णयों में ग्राम सभाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित करें।

[19] वर्ष 2022-23 के प्रशासकीय प्रतिवेदन अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं की कुल संख्या मार्च 2023 की स्थिति में 11,829 (जिला पंचायत -27, जनपद पंचायत-146, ग्राम पंचायत-11,656) है।

छत्तीसगढ़ की एक तिहाई आबादी (31 प्रतिशत) जनजातीय है और वर्ष 2022-23 की प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार, इसके 16 जिलें[20] अनुसूची-V क्षेत्र (पेसा) में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, पांच जिलें[21] आंशिक रूप से अनुसूची-V क्षेत्र में आते हैं

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य राजपत्र संख्या 4879/पीआरडीडी/22/2022 के माध्यम से "छत्तीसगढ़ पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) नियम, 2022" (अगस्त 2022) अधिसूचित किया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.13.6 पेसा ग्राम पंचायतों को निधियों का कम आवंटन

पेसा ग्राम पंचायतों के अत्यंत निम्न राजस्व आधार तथा कमजोर अधोसंरचना को देखते हुए, द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण की जाने वाली प्रस्तावित कुल निधियों में से प्रत्येक पेसा ग्राम पंचायतों को ₹ दो लाख का विशेष आवंटन किया जाय, तथा छत्तीसगढ़ शासन इस व्यवस्था को सहायता अनुदान के रूप में पाँच वर्षों (अर्थात वर्ष 2012-17) तक जारी रखें। उक्त अनुशंसा को छत्तीसगढ़ शासन ने जैसा कि कृत कार्यवाही प्रतिवेदन में वर्णित था, स्वीकार किया था तथा इसे द्वितीय राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2018-20 के लिए भी जारी रखा था। तथापि, छत्तीसगढ़ शासन ने तृतीय राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 से आगे इस अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया।

पेसा ग्राम पंचायतों को अंतरित अतिरिक्त निधियों का विवरण नीचे **तालिका 2.15** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.15: पेसा ग्राम पंचायतों को वर्षवार अतिरिक्त आवंटन का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	पेसा ग्राम पंचायतों की संख्या	प्रति पेसा ग्राम पंचायत अनुशंसित अतिरिक्त आवंटन	अनुशंसित कुल अतिरिक्त आवंटन	प्रति पेसा ग्राम पंचायत वास्तविक अतिरिक्त आवंटन	पेसा ग्राम पंचायतों को वास्तविक कुल अतिरिक्त आवंटन	अनुशंसित अतिरिक्त आवंटन की तुलना में कमी
2018-19	5,055	2	10,110	0	0	10,110
2019-20	5,055	2	10,110	2	10,110	0
2020-21	छत्तीसगढ़ शासन ने तृतीय राज्य वित्त आयोग में पेसा ग्राम पंचायतों के लिए अतिरिक्त विशेष निधियों के आवंटन के संबंध में सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।					
2021-22						
2022-23						

(स्रोत: संचालक, पंचायत द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

[20] सरगुजा, जशपुर, कोरिया, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कोरबा, बलरामपुर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, सूरजपुर, गौरेला-पेंड्रा-मारवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

[21] रायगढ़, बिलासपुर, गरियाबंद, बालोद और धमतरी

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में प्रति पेसा ग्राम पंचायत के लिए ₹ दो लाख के स्वीकृत आवंटन का पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 101.10 करोड़ की निधियों के अंतरण में कमी हुई।

राज्य शासन ने (जुलाई 2025) स्वीकार किया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, प्रति ग्राम पंचायत ₹ दो लाख अनुदान के रूप में राज्य के अपने संसाधनों से प्रदान किए जाने थे, लेकिन वर्ष 2018-20 के दौरान बजटीय बाधाओं के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, शासन द्वारा वर्ष 2020-23 के दौरान प्रति ग्राम पंचायत ₹ 0.65 लाख आवंटित किया गया।

2.14 शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु जनशक्ति

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 69 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 जी राज्य शासन या विहित प्राधिकारी को जिला पंचायत/जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा ग्राम पंचायत में सचिव नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। यह जिला पंचायतों को स्थानीय स्व-शासन के रूप में कार्य करने के लिए, जनपद पंचायतों को इसकी मुख्य कार्यकारी इकाइयों के रूप में एवं ग्राम पंचायतों को कार्यकारी इकाइयों के रूप में योजनाओं को लागू करने और कार्यों को निष्पादित करने के लिए सशक्त बनाता है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 49, 50 और 52 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1995 और ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायतों/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अन्य कर्मचारियों और ग्राम पंचायतों के सचिव) के उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया गया है, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है। अभिलेखों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को पाया गया:

2.14.1 पंचायती राज संस्थाओं में अपर्याप्त कार्यकारिणी कर्मचारी

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 70(2) के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 जिला पंचायत और जनपद पंचायत में कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें प्रदान करता है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की चयन समिति के पूर्व अनुमोदन से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए और जिला पंचायत के सामान्य सभा के पूर्व अनुमोदन से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की चयन समिति की पूर्व अनुमोदन से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर एवं जनपद पंचायत की सामान्य सभा की पूर्व अनुमोदन से द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायतों में सचिव का नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी है।

इन प्रावधानों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई उत्तरदायित्व का निर्वहन इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कर्मचारियों द्वारा किया जाना आपेक्षित था। पंचायती राज संस्थाओं का

प्रभावी कार्यपद्धति राज्य में संचालनालयों, जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती पर निर्भर करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वीकृत पदों एवं कार्यरत क्षमता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था, जैसा कि नीचे **तालिका 2.16** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.16: पंचायती राज संस्थाओं में स्वीकृत एवं कार्यरत क्षमता का विवरण

पंचायती राज संस्थाओं का नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त (प्रतिशत)
संचालनालय	41	22	19 (46)
जिला पंचायत/ जनपद पंचायत	2,219	850	1,369 (61)
ग्राम पंचायत	11,656	10,378	1,278 (11)

(स्रोत: संचालक, पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख)

कुल मिलाकर, संचालनालय और जिला पंचायतों / जनपद पंचायतों में 2,260 स्वीकृत पदों में से 872 (39 प्रतिशत) पद भरे हुए थे, जबकि 1,388 पद (61 प्रतिशत) रिक्त थे। संचालनालय एवं जिला पंचायतों /जनपद पंचायतों के स्तर पर पदवार रिक्ति का विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दर्शाया गया है। इस भारी कमी को दूर करने एवं संचालनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, संचालनालय पंचायत/ जिला पंचायतों/ जनपद पंचायतों ने संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया। आगे, ग्राम पंचायतों में 11,656 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1,278 सचिवों की कमी के साथ 10,378 सचिवों को पदस्थ किया गया था।

राज्य शासन ने स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2025) कि जिला पंचायतों/ जनपद पंचायतों में भर्ती वित्त विभाग के अनुमोदन से समय-समय पर की जाती हैं एवं नए पदों के सृजन के लिए रिक्तियों का विवरण नियमित रूप से भेजे जाते हैं। साथ ही, वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात, ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

राज्य शासन के उत्तर से यह पुष्टि होता है कि आवश्यक दस्तावेजों एवं पंजीयों जैसे कि बैंक समाधान विवरण, अनुदान पंजी, वार्षिक किराया, दरों एवं करों की पंजी, जुर्माना एवं दंड पंजी, प्राप्ति पुस्तिका, बैंक पंजी, अचल संपत्तियों की पंजी तथा प्रमुख वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्ति एवं वितरण लेखें, आय और व्यय लेखों की पंजी एवं बैलेंस शीट, जनशक्ति/कर्मचारियों की कमी के कारण तैयार नहीं किए जा रहे थे।

2.15 निगरानी तंत्र

योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन के प्रत्येक स्तर पर निगरानी आवश्यक है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाया गया:

2.15.1 रोस्टर तैयार और निरीक्षण किया जाना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 84 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत (कार्यवाही का निरीक्षण) नियम, 1995 के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, आयुक्त/

संचालक पंचायत, जिला अंकेक्षक, पंचायत या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यवाहियों एवं संचालन का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे निरीक्षण रोस्टर के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना आवश्यक है और औचक आधार पर भी किए जा सकते हैं।

नमूना जांच किए गए ग्राम/जनपद/जिला पंचायतों में न तो निरीक्षण रोस्टर और न ही निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया। उचित अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सकता कि निरीक्षण वास्तव में किए गए थे अथवा नहीं।

राज्य शासन ने स्वीकार (जुलाई 2025) किया कि वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण और करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षक, पंचायत के साथ, ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत है; तथापि, मानव संसाधनों की कमी और कोविड-19 के व्यवधानों के कारण, निरीक्षण नहीं किया गया था।

2.16 सहायक मुद्दें

2.16.1 पंचायती राज संस्थाओं में विकास योजनाओं की स्थिति

ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों के साथ लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुए ग्राम स्तर पर भागीदारी एवं आवश्यकता-आधारित योजना को सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य पंचायतों को प्रभावी स्थानीय स्व-शासन के रूप में सक्रिय करना, स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन हेतु एक संरचित मंच प्रदान करने के लिए निर्णय-निर्माण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, विकास अंतराल की पहचान करना एवं ग्राम की प्रगति के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। विभिन्न योजनाओं और विभागीय प्रयासों के अभिसरण के द्वारा, ग्राम पंचायत विकास योजना संसाधनों का सर्वोच्तम उपयोग, एकीकृत योजना एवं समग्र और सतत विकास के लिए समुदायिक दृष्टिकोण को साकार करते हुए सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों हेतु निधि का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना अनिवार्य किया था। पंचायती राज मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए प्रथम दिशानिर्देश वर्ष 2015 में जारी किए और तदनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2018 में राज्य विशेष दिशानिर्देश बनाए। समकालीन विकास और व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को चालू वर्ष के लिए संसाधनों और वार्षिक कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक योजना तैयार करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए एवं ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए और जनपद पंचायत को भेजा जाना चाहिए। तत्पशचात जनपद पंचायत सभी ग्राम पंचायत विकास योजना को जनपद पंचायत विकास योजनाओं के रूप में समेकित करेगा

और जिला पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए इसे जिला पंचायत को भेजेगा। विकास योजना निर्माण की इस प्रक्रिया में वे परियोजनाएँ एवं गतिविधियाँ, जिन्हें एक से अधिक पंचायती राज संस्था के क्षेत्रों में लागू किया जाना है तथा जिनके लिए उच्च संस्थागत क्षमता एवं तकनीकी दक्षता की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यकता अनुसार उच्च स्तर की पंचायती राज संस्थाओं अर्थात जनपद/जिला पंचायत को संदर्भित किया जा सकता है। जिला पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया था।

नमूना जांच किये गए ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों के ग्राम सभा की कार्यवृत से संबंधित तैयारी और अनुमोदन तथा नस्तियों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि:-

- नमूना जांच किये गए 85 ग्राम पंचायतों ने 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किया तथा ई-ग्रामस्वराज में अपलोड किया, हालाँकि, ग्राम पंचायत विकास योजना को जनपद स्तर पर समेकित नहीं किया गया था।
- नमूना जांच किए गए केवल नौ जनपद पंचायतों[22] द्वारा जनपद पंचायत विकास योजना बनाया गया था जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना का समेकन नहीं किया गया था तथा ई-ग्राम स्वराज में अपलोड किया गया था, हालाँकि जनपद पंचायत विकास योजना को जिला पंचायत स्तर पर समेकित नहीं किया गया था।
- नमूना जांच किए गए केवल छ: जिला पंचायतों[23] द्वारा जिला पंचायत विकास योजना तैयार किया गया तथा ई-ग्रामस्वराज में अपलोड किया गया।

राज्य शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत, 29 कार्यों हेतु कार्य योजनाओं में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग, ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व और मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं के निधि के साथ एकीकृत किया गया है। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित इन योजनाओं को जनपद या जिला पंचायत को अग्रेषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 में प्रारंभ किए गए जिला पंचायत विकास योजना और जनपद पंचायत विकास योजना को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समन्वय के माध्यम से तैयार किया जा रहा है।

हालाँकि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को तैयार करने से संबन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22 अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, डोंडी, गुरुर, कोंडागांव, नरहरपुर, साजा, पिथौरा और सरायपाली

23 बालोद, बिलासपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और महासमुंद

2.16.2 छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं योजना विशेष समूह का कार्यपद्धति

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार[24] द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति "छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं योजना विशेष समूह" का गठन[25] किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं योजना विशेष समूह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि, ग्राम पंचायतों के मानव संसाधन सहायता में वृद्धि, ग्राम पंचायतों को कार्यों और अधिकारियों के प्रत्यायोजन, राज्य निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण, राज्य वित्त आयोग का सशक्तिकरण, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के सशक्तिकरण की व्यवस्था, उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/ पंचायतों के लिए पुरस्कार, सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पंचायतों की जवाबदेही में सुधार करना, लेखांकन एवं वित्तीय प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना, लेखापरीक्षा को अधिक प्रभावी बनाना, जिला योजना समिति को सशक्त बनाना तथा जिला योजना के लिए एक प्रक्रिया विकसित करना, आदि है।

संचालक, पंचायत, छत्तीसगढ़ के अभिलेखों के जांच के दौरान पाया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं योजना विशेष समूह की बैठक वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान केवल एक बार आयोजित की गई थी। आगे, इस अवधि के दौरान, विशेषज्ञ समूह द्वारा कोई अनुशंसा/मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए कोई कृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

राज्य शासन ने स्वीकार किया (जुलाई 2025) कि छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं योजना विशेष समूह की बैठक वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान केवल एक बार आयोजित की गई थी। बैठकें आने वाले वर्षों में नियमित रूप से आयोजित की जाएगी।

2.16.3 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रशासकीय प्रतिवेदन तैयार न किया जाना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 73 के साथ पठित छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत (वार्षिक लेखा एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन) नियम, 1998 एवं छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (वार्षिक लेखा एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन) नियम, 1998 के अनुसार, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों को उचित वित्तीय अभिलेख संधारण करने तथा वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अनुमोदन के लिए सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आगे, प्रशासकीय प्रतिवेदनों को संबंधित पंचायती राज

---

[24] पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30 नवंबर, 2015 के एन-11011/2/2015- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक रोडमैप तैयार करने और ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत "छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत और योजना विशेष समूह" का गठन करने के निर्देश दिए गए थे।

[25] राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत एवं योजना विशेष समूह के गठन के संबंध में आदेश क्र. पंचायती विद्या/14वां वित्त /जीपीडीपी-एमडीजी/111/2016/643 दिनांक 17-2-2016 को जारी किया गया।

संस्था द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है और प्रत्येक वर्ष 30 जून (जनपद पंचायत और जिला पंचायत) और 1 जून (ग्राम पंचायतों) तक सबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।

प्रतिवेदन में कुल 18 विवरण शामिल होंगे जिनमें प्राप्तियों, बजट अनुमानों, प्राप्त और वितरित अनुदानों, बजट अनुमान और भिन्नता के कारणों, वित्तीय लक्ष्यों और योजनाओं की उपलब्धियों, वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों और योजनाओं का विवरण, प्राप्त ऋण और भुगतान, चल संपत्ति और देनदारियां, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सामान्य जानकारी, सदस्यों का विवरण, स्थायी समितियों का विवरण, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए गठित समितियों, बैठकों का विवरण और निरीक्षण/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपालन का विवरण आदि शामिल है।

नमूना जांच किये गए पंचायती राज संस्थाओं में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान किसी भी ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/ जिला पंचायतो ने प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किये थे।

राज्य शासन ने बताया (जुलाई 2025) कि राज्य में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत /जिला पंचायत (वार्षिक लेखा और प्रशासनिक प्रतिवेदन) नियम, 1998 प्रभावी हैं जिसके तहत पंचायतों द्वारा वार्षिक लेखें तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में, इन लेखाओं की तैयारी, सत्यापन और समापन ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है।

राज्य शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर में प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार न किए जाने से सबंधित विषय का उल्लेख नहीं किया गया है।

2.16.4 स्थायी समिति का गठन एवं कार्यप्रणाली

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 46(1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी समितियां (स्थायी समिति प्रक्रिया) नियम, 1994 के उप-नियम (3) में ग्राम पंचायत स्तर पर पांच स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 47 में जिला पंचायत/जनपद स्तर पर उनके निर्वाचित सदस्यों में से पांच स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है।

स्थायी समितियों का विवरण निम्न **तालिका 2.17** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.17: ग्राम/जनपद/जिला पंचायत में गठित समितियों का उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं का नाम	गठित की जाने वाली समिति का नाम	समितियों का उत्तरदायित्व
ग्राम पंचायत	क) सामान्य प्रशासन समिति	ग्राम पंचायत के प्रशासन, स्थापना और सेवाओं, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण की अनुमोदन, बजट, लेखे, कराधान और अन्य वित्तीय विषय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और ग्राम पंचायत को आवंटित किए गए अन्य सभी विषय जो किसी अन्य समिति को आवंटित नहीं किया गया है।
	ख) निर्माण तथा विकास समिति	ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी निर्माण कार्यों का योजना बनाना, प्रबंधन, क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण, लेआउट की योजना, बजट और क्रियान्वयन, सभी प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों, संचार में सुधार, ग्राम कुटीर और खादी उद्योगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए उद्यानों और पार्कों के विकास पर विशेष महत्त्व, भविष्य के निर्माण के लिए स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव, ग्रामीण विद्युतीकरण, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी।
	ग) शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति	ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी का निरीक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, टीकाकरण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार एवं निरीक्षण तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण।
	घ) कृषि समिति, पशुपालन और मत्स्य पालन समिति	कृषि, भूमि विकास एवं संरक्षण, उन्नत बीज, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई, श्रम, राजस्व, वन, सामाजिक वानिकी, उद्यान, लघु वन उपज का विकास और अन्य वानिकी कार्यक्रम।
	ङ) राजस्व एवं वन समिति	
जिला/जनपद पंचायत	क) सामान्य प्रशासन समिति	जनपद पंचायत या जिला पंचायत के प्रशासन एवं स्थापना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना, बजट, लेखा, कराधान एवं अन्य वित्तीय मामलें तथा किसी अन्य समिति को आवंटित नहीं किए गए विषयों से सबंधित सभी मामलों के लिए।
	ख) कृषि समिति	कृषि, पशुपालन, विद्युत, मृदा संरक्षण सहित सुधार और समोच्च बंधान और मत्स्य पालन, कम्पोस्ट खाद, बीज वितरण और कृषि और पशुधन के विकास से जुड़े अन्य विषयों के लिए।
	ग) शिक्षा समिति	प्रौढ़ शिक्षा सहित शिक्षा, नि:शक्तों और निराश्रितों का सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, हुड से होने वाले संकट से मुक्ति, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, अभाव, टिड्डी कीट एवं ऐसी अन्य आपात स्थिति, मद्यत्याग या निषेध, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जनजातीय एवं हरिजन कल्याण।
	घ) संचार एवं संकर्म समिति	संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, जल निकासी और अन्य लोक संकर्मों के लिए।
	ङ) सहकारिता और उद्योग समिति	सहकारिता, मितव्ययता और अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी के लिए।

नमूना जाँच किये गए 85 ग्राम पंचायतों, आठ जिला पंचायतों और 17 जनपद पंचायतों में स्थायी समितियों के गठन एवं स्थायी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त से संबंधित अभिलेखों के जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया कि:

1. **ग्राम पंचायत-** समितियों के गठन के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था, यद्यपि, वर्ष 2018-23 के दौरान 85 ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित बैठकों की कुल निर्धारित संख्या 25,500 बैठकों[26] के विरुद्ध 143 थी। आगे, बैठकों के कार्यवृत्त के संबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत-वार बैठकों का विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दर्शाया गया है।

2. **जिला/जनपद पंचायत** – वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान, आठ जिला पंचायतों ने सभी अनिवार्य पांच स्थायी समितियों का गठन किया, लेकिन निर्धारित 2,400 बैठकों[27] के विरुद्ध केवल 201 बैठकें आयोजित किए गए। इसके अलावा, 17 जनपद पंचायतों ने सभी अनिवार्य पांच स्थायी समिति का गठन किया, लेकिन निर्धारित 5,100 बैठकों[28] के विरुद्ध केवल 496 बैठकें आयोजित किए गए। स्थायी समिति के गठन और बैठकों का जनपद पंचायत-वार और जिला पंचायत-वार विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में दर्शाया गया है।

राज्य शासन ने (जुलाई 2025) स्वीकार किया कि अधिनियम के अनुसार, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत स्तरों पर स्थायी समिति का गठन किया गया है और समय-समय पर बैठकें बुलाई जाती हैं। तथापि, गणपूर्ति की कमी और अन्य अपरिहार्य कारणों से, ये बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं। इस संबंध में, जून 2025 में अनुपालन हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

2.17 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि 73वें संविधान संशोधन एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण करने के लिए सशक्त बनाना ताकि विकासात्मक गतिविधियों तथा स्थानीय स्व-शासन में उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जा सके जो निम्नलिखित कारणों से प्राप्त नहीं किया जा सका:

- ❖ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने के लिये अनिवार्य किया गया था तथा वर्ष 2006-07 में गतिविधि-मानचित्रण प्रक्रिया में भी पंचायती राज संस्थाओं को 12 कार्यों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था, हालाँकि, कार्यात्मक हस्तांतरण हेतु परिचालन ढांचा स्थापित नहीं था।
- ❖ संस्थागत तंत्र भी कमजोर थे। निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रमुख पदों पर रिक्तियां, निर्धारित समय-सीमा के अंदर स्थायी समिति की बैठकें आयोजित न करना और आवश्यक गणपूर्ति

[26] 85 ग्राम पंचायतें *5 समिति *5 वर्ष* प्रति वर्ष 12 बैठक = 25,500

[27] 8 जिला पंचायतें *5 समिति *5 वर्ष* प्रति वर्ष 12 बैठक = 2,400

[28] 17 जनपद पंचायतें *5 समिति *5 वर्ष* प्रति वर्ष 12 बैठक = 5,100

के बिना ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना अपर्याप्त शासकीय निरीक्षण का संकेत देता है। जिला योजना समिति की बैठकें आयोजित न होने के कारण विकेन्द्रीकृत योजना अप्रभावी रही। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों द्वारा निर्धारित प्रारूपों में वार्षिक लेखें तैयार नहीं किए गए थे। वर्ष 2018-22 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षण कवरेज पंचायतों की कुल संख्या से अत्यधिक कम था।

❖ पंचायती राज संस्थाओं को निधि का हस्तांतरण कम किया गया था, क्योंकि राज्य के स्वयं के कर राजस्व से अंतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्तरों से लगातार कम रहा, जिसके परिणामस्वरूप पांच साल की अवधि (2018-23) के दौरान ₹ 3,243.46 करोड़ की संचयी कमी हुई। आगे, आवंटित राजस्व जैसे भू-राजस्व, भू-राजस्व पर उपकर तथा उत्पाद अधिभार को भी पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित नहीं किया गया था।

❖ जिला पंचायत और जनपद पंचायत स्तरों पर कर्मचारियों की भारी कमी के कारण पंचायती राज संस्थाओं को अपनी उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.18 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा आपत्तियों एवं निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा निम्नलिखित अनुशंसा करता है:

1. *राज्य शासन पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और कर्मचारियों (3 एफ) के हस्तांतरण को औपचारिक रूप देने के लिए एक व्यापक कार्यकारी आदेश जारी करने पर विचार कर सकती है तथा प्रभावी विकेंद्रीकरण को सक्षम बनाने के लिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों के गतिविधि मानचित्रण को पूरा करने एवं आवधिक अद्यतन को सुनिश्चित कर सकती है।*
2. *राज्य शासन जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभा की बैठकों और जिला योजना समिति की बैठकों के संचालन पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करके संस्थागत तंत्र को सशक्त कर सकती है। इसके अलावा, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने एवं निधि उपयोग की निगरानी करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में वार्षिक लेखों को समय पर तैयार करना तथा उन्हें अंतिम रूप देना सुनिश्चित किया जा सकता है।*
3. *प्रभावी वित्तीय विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हस्तांतरण तथा अन्य आवंटित राजस्वों का पंचायती राज संस्थाओं को अनिवार्य रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित कर सकती है।*
4. *राज्य शासन को प्रशासनिक क्षमता एवं ग्राम पंचायतों की पर्यवेक्षण को सशक्त बनाने के लिए जिला और जनपद पंचायतों में रिक्त स्वीकृत पदों को भरने हेतु कदम उठा सकती है।*

अध्याय III
शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा

अध्याय - III

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

3.1 किराये पर दुकानों के आवंटन में विलंब

नगरपालिक निगम, राजनांदगांव द्वारा निर्मित सुभाष द्वार बिजनेस कॉम्प्लेक्स में दुकानों के आवंटन में विलंब के कारण किराये से ₹ 39.11 लाख के संभावित राजस्व की हानि।

छत्तीसगढ़ नगर निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 निर्धारित करता है कि उस व्यक्ति को पट्टे पर, विक्रय करने या अंतरण किया जायेगा जो आमंत्रित निविदा में उस हेतु उच्चतम दर प्रस्तावित करेगा। छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 80 की उपधारा (2) के खंड (सी) के प्रावधान के अनुसार, आयुक्त निगम (सामान्य सभा) की स्वीकृति से निगम के स्वामित्व वाली किसी भी अचल संपत्ति को पट्टे पर दे सकता है, विक्रय कर सकता है अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकता है।

कार्यालय आयुक्त, नगरपालिक निगम, राजनांदगांव में अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2022) में यह पाया गया कि नगरपालिक निगम ने निगम क्षेत्र के वाणिज्यिक परिसर में स्थित सुभाष द्वार (दिल्ली दरवाजा) बिजनेस कॉम्प्लेक्स में 12 दुकानों (छः भूतल पर एवं छः प्रथम तल पर) का निर्माण (वर्ष 2015) किया गया। निगम ने दुकानों को किराये पर आवंटन हेतु नीलामी प्रक्रिया अक्टूबर 2015 में प्रारंभ किया। तत्पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र मार्च 2018 में जारी किया गया। दुकानों की नीलामी के साथ संलग्न सामान्य शर्तों में निर्धारित किया गया था कि, दुकानों के मासिक किराये में प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि या राज्य शासन एवं निगम के निर्देशानुसार वृद्धि की जा सकती है तथा वृद्धि अगले माह के प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर प्रत्येक तीन वर्ष में स्वतः लागू होगी।

आगे यह भी पाया गया कि भूतल[1] की छः दुकानों के लिए प्राप्त उच्चतम निविदा को नवंबर 2015 में महापौर-परिषद की बैठक में तथा तत्पश्चात दिसंबर 2015 में सामान्य सभा की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य सभा की स्वीकृति (अक्टूबर 2020) के पाँच वर्ष पश्चात, उच्चतम निविदा को स्वीकृत करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया। कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा अगस्त 2022 में इसे अनुमोदित किया गया। हालाँकि, उक्त अधिनियम की धारा 80 के अनुसार, सामान्य सभा की स्वीकृति के उपरांत राज्य शासन की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी।

दो वर्षों के अतिरिक्त विलंब के पश्चात उच्चतम निविदाकारों के साथ अनुबंध किया गया (अगस्त 2024)। आगे, अनुबंध निष्पादन (अगस्त 2024) के पश्चात छः में से केवल तीन निविदाकारों द्वारा कुल आगे ₹ 0.88 लाख का मासिक किराया जमा किया गया। यदि नगरपालिक निगम ने

1 निविदाकारो द्वारा केवल भूतल के छः दुकानों के लिये निविदायें प्रस्तुत की गई।

महापौर-परिषद एवं सामान्य सभा द्वारा उच्चतम निविदा की स्वीकृति के तुरंत बाद आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु तत्परता दिखाई होती, तो नगरपालिक निगम अप्रैल 2018[2] से जुलाई 2024 तक मासिक किराये के रूप में ₹ 39.11 लाख की संभावित राजस्व प्राप्ति कर सकता था, जिसका विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है :

तालिका 3.1: भूतल दुकानों के संदर्भ में संभावित किराया हानि का विवरण

दुकान	मासिक किराया (राशि ₹ में) (ए)	कुल माह (अप्रैल 2018 से जुलाई 2024 तक) (बी)	किराये की कुल संभावित हानि (राशि ₹ में) (सी) = (ए)* (बी)
जी-1	10,521	76	7,99,596
जी-2	10,521	76	7,99,596
जी-3	10,521	76	7,99,596
जी-4	10,521	76	7,99,596
जी-5	10,521	76	3,70,424
जी-6	4,874	76	3,42,912
योग	-	-	**39,11,720**

(स्रोत: नगरपालिक निगम, राजनाँदगाँव द्वारा प्रदाय जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, आयुक्त ने उत्तर दिया (मई 2022) कि नीलामी में प्राप्त उच्चतम निविदाओं की अनुशंसा महापौर-परिषद की बैठक (नवंबर 2015) के साथ-साथ सामान्य सभा की बैठक (दिसंबर 2015) में की गई थी। इस बीच, कोविड-19 महामारी तथा अन्य संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता के कारण विभागीय कार्य प्रभावित हुआ। सामान्य सभा की अनुशंसा के पश्चात, प्रस्ताव को राज्य शासन के अनुमोदन हेतु (अक्टूबर 2020, सितंबर 2021 एवं दिसंबर 2021) भेजा गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सामान्य सभा ने दिसंबर 2015 में उच्चतम निविदाओं की अनुशंसा की थी तथा पूर्णता प्रमाण पत्र मार्च 2018 में जारी किया था। कोविड-19 महामारी मार्च 2020 से प्रारंभ हुआ था, जिससे औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने हेतु 51 माह की अवधि (दिसंबर 2015 से मार्च 2020 तक) उपलब्ध थी। उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 'अन्य संबंधित जानकारी' क्या आवश्यक थीं या इस अवधि में उसे प्राप्त क्यों नहीं किया जा सका। आगे, छत्तीसगढ़ नगर निगम (अचल संपत्ति) अधिनियम की धारा 80 के अनुसार, राज्य शासन की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी, तथापि, निगम द्वारा ऐसी स्वीकृति मांगी गयी, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक विलंब एवं संभावित राजस्व की हानि हुई।

शासन को प्रकरण से अवगत कराया (दिसंबर 2024) गया। तथापि, उत्तर अपेक्षित (नवंबर 2025) है।

[2] पूर्णता प्रमाण पत्र मार्च 2018 में जारी किया गया।

3.2 जल आपूर्ति अवसंरचना का अपूर्ण कार्य

जल आपूर्ति अवसंरचना कार्यों के विलंबित एवं अपूर्ण निष्पादन के लिए ठेकेदारों से ₹ 5.18 करोड़ की पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि की वसूली न करना तथा अनुबंधीय प्रावधानों को लागू करने में विफलता।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अक्टूबर 2017 में जिला जांजगीर-चांपा के दो शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका परिषद, जांजगीर-नैला एवं नगरपालिका परिषद, अकलतरा) को जल वितरण पाइपलाइन कार्यों के निष्पादन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया। इन कार्यों के लिए दर अनुबंधों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 में अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात, कार्य ठेकेदारों[3] को क्रमशः ₹ 34.55 करोड़ (जांजगीर-नैला) एवं ₹ 27.59 करोड़ (अकलतरा) पर दिया (अक्टूबर 2018 एवं जून 2019) गया, जिसकी निर्धारित पूर्णता अवधि 24 माह अर्थात जांजगीर-नैला हेतु अक्टूबर 2020 तथा अकलतरा हेतु मई 2021 थी। अक्टूबर 2025 तक कुल ₹ 36.68 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें जांजगीर-नैला में ₹ 24.35 करोड़ (70.48 प्रतिशत) तथा अकलतरा में ₹ 12.33 करोड़ (44.69 प्रतिशत) शामिल है, जो क्रमशः 64.48 प्रतिशत एवं 55.11 प्रतिशत भौतिक प्रगति के अनुरूप है।

दोनों शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जांजगीर-नैला द्वारा ठेकेदार के आवेदन पर कोविड-19 महामारी एवं अन्य विविध कारणों को ध्यान में रखते हुए 24 माह का समय-वृद्धि प्रदान किया गया, जो अक्टूबर 2022 तक था। तथापि, कार्य अपूर्ण रहा तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने पुनः 13 माह का समय-वृद्धि प्रदान किया जो नवंबर 2023 तक था। इसी प्रकार, ठेकेदार के आवेदन के आधार पर अकलतरा में भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ने 715 दिनों का समय-वृद्धि प्रदान किया जो मार्च 2023 तक था, लेकिन कार्य अपूर्ण रहा। इस प्रकार, ₹ 36.68 करोड़ के व्यय के बावजूद, समय-वृद्धि अवधि की अंतिम तिथि से क्रमशः 22 एवं 30 माह का समय व्यतीत होने के पश्चात भी दोनों कार्य सितंबर 2025 तक अपूर्ण हैं।

तथापि, दोनों शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनुबंध की शर्त संख्या 13 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने में विफल रहें। जिसमें निर्धारित है कि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 24 माह के अन्दर सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। यदि, किसी कारणवश, कार्य निर्धारित अवधि में मुख्य नगरपालिका अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण नहीं होता है, तो ठेकेदार को पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक दिन के विलंब हेतु ₹ 37,500 प्रति दिन (जांजगीर-नैला)/ ₹ 30,000 प्रति दिन (अकलतरा) की दर से शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के पास जब्त कराना होगा।

3 मेसर्स मल्टीअर्बन इंफ्रा सर्विसेस प्राइवेट लिमिटड नागपुर (दोनों शहरी स्थानीय निकायों में न्यूनतम निविदाकार)

आगे, यह पाया गया कि ठेकेदारों के चल देयकों से कुल ₹ 1.67 करोड़ (जांजगीर-नैला से ₹ 1.08 करोड़ तथा अकलतरा से ₹ 0.59 करोड़) सुरक्षा जमा के रूप में रोका गया था। समय वृद्धि अवधि से अधिक विलम्ब हेतु ठेकेदार से वसूले जाने योग्य क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 5.18 करोड़ है। तदनुसार, कुल क्षतिपूर्ति राशि ₹ 5.18 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.67 करोड़ की सुरक्षा जमा को जब्त किया जाना चाहिए था तथा शेष ₹ 3.51 करोड़ की राशि ठेकेदारों से वसूल की जानी चाहिए थी। तथापि, प्रावधानों को लागू करने के बजाय, दोनों शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने ठेकेदारों को केवल सूचनायें जारी किये। सितंबर 2025 तक वसूले जाने योग्य क्षतिपूर्ति राशि की गणना का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि की गणना

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	निर्धारित पूर्णता तिथि	समय-वृद्धि के पश्चात संशोधित पूर्णता तिथि	संशोधित पूर्णता तिथि से माह में विलम्ब (सितम्बर 2025 तक)	पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति दर (₹ /दिन)	पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति[4] के रूप में वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)
1	नगरपालिका परिषद, जांजगीर-नैला	34.55	04.10.2020	30.11.2023	22	37,500	2.48
2	नगरपालिका परिषद, अकलतरा	27.59	13.06.2021	31.03.2023	30	30,000	2.70
योग		**62.14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.18**

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि लंबे समय तक विलंब के बावजूद, पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि ₹ 5.18 करोड़ की वसूली नहीं की गई है। शहरी स्थानीय निकायों को वसूली की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करनी चाहिए थी तथा अनुबंधीय प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, जांजगीर-नैला ने बताया (दिसंबर 2023) कि कार्य अपूर्ण रहा तथा संशोधित पूर्णता तिथि से अधिक विलम्ब के उपरांत भी ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादित नहीं किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद, अकलतरा ने बताया (अक्टूबर 2023) कि नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि दोनों शहरी स्थानीय निकायों ने पर्याप्त भुगतान एवं दीर्घकालीन विलम्ब के उपरांत भी अनुबंधीय प्रावधानों को लागू कराने में विफल रहे। अनुबंध की शर्त संख्या

---

[4] अ) जांजगीर-नैला: गणना: ₹ 37,500 * 22 माह * 30 दिन = ₹ 2.48 करोड़ (10 प्रतिशत पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति सीमा के अन्दर)

ब) अकलतरा: गणना: ₹ 30,000 * 30 माह * 30 दिन = ₹ 2.70 करोड़ (10 प्रतिशत पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति सीमा के अन्दर)

13 के अनुसार, दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने तथा पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाने हेतु त्वरित कार्यवाही किया जाना चाहिए था।

शासन का उत्तर अपेक्षित (नवंबर 2025) है।

रायपुर **(मो. फैज़ान नैय्यर)**
दिनांक: 20 जून 2026 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 24 जून 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट- 1.1

(कंडिका 1.8.1 में संदर्भित)

पंचायती राज संस्थाओं के सामाजिक अंकेक्षण ईकाई द्वारा चिन्हित प्रमुख निष्कर्षों की सूची का विवरण

क्रं. सं.	प्रमुख निष्कर्षों की श्रेणी
1	स्वीकृत राशियों से अधिक व्यय
2	कार्यस्थल के वास्तविक माप एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज प्रविष्टियों के मध्य भिन्नता
3	पंचायत पंजियों का खराब संधारण
4	नकली बिलों के माध्यम से भुगतान का दुरूपयोग
5	संबंधित माप पुस्तिका में प्रविष्टियों के बिना ही भुगतान किया जाना
6	ग्राम सभा की स्वीकृति के बिना कार्यों का संपादित किया जाना
7	बिल के मात्रा से कम सामग्री का क्रय किया जाना
8	आंशिक रूप से पूर्ण व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों हेतु पूर्ण भुगतान जारी किया जाना
9	मापों का अनिवार्य जाँच एवं उच्च स्तरीय जाँच के बिना भुगतान किया जाना
10	सांकेतिक मस्टर रोल में स्वीकृत राशि से अधिक भुगतान किया जाना इत्यादि

परिशिष्ट- 2.1

(कंडिका 2.7 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	जिला पंचायत (जिला)	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	
1	धमतरी (पूर्णत: अनुसूची V)	1. मगरलोड	1	भोथा
			2	भोथीडीह
			3	चंद्रसुर
			4	केकराखोली
			5	खैरझिट्टी
		2. कुरूद	1	भाटागांव
			2	कोलियारी
			3	कन्हारपुरी
			4	जोरातराई
			5	सिलौटी
2	कांकेर (अनुसूची V)	1. भानुप्रतापपुर	1	इरागांव
			2	कच्चे
			3	मुल्ला
			4	साल्हे
			5	संबलपुर
		2. नरहरपुर	1	अमोड़ा
			2	मावलीपारा
			3	मांडाभर्री
			4	मरकाटोला
			5	बाबुसाल्हेटोला
		3. अंतागढ़	1	बोंदानार
			2	कोलार
			3	कढ़ाउखोदरा
			4	ताडोकी
			5	तालाबेड़ा
3	कोरिया (पूर्णत: अनुसूची V)	1. बैकुंठपुर	1	करजी
			2	पिपरा
			3	पटना
			4	मुरमा
			5	आनी
		2. खडगवाँ	1	पोंडी
			2	फुनगा
			3	ठगाँव
			4	जिलीबांध
			5	कटकोना
4	महासमुंद (आंशिक अनुसूची V)	1. पिथौरा	1	बागरपाली

			2	भुरकोनी
			3	चिखली
			4	देवसराल
			5	लारीपुर
		2. सरायपाली	1	भगतसरायपाली
			2	बोडेसरा
			3	दर्राभाटा
			4	डुमरपाली
			5	मुंधा
5	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	मुनरबोड
			2	रामपुर
			3	बाबाघटोली
			4	निनवा
			5	गांगपुर
		2. साजा	1	खुरुसबोड
			2	पतोरा
			3	पथरीखुर्द
			4	बीजा
			5	कांचरी
6	बालोद (आंशिक अनुसूची V)	1. डोंडी	1	अरमुरकसा
			2	कुसुमकसा
			3	भर्रीटोला36
			4	धोवनी 'ब'
			5	पुसावद
		2. गुरूर	1	अरमरीकला
			2	बासीन
			3	बालोदगहन
			4	सरबदा
			5	उसरवारा
7	बिलासपुर (आंशिक अनुसूची V)	1. कोटा	1	रामदेई
			2	तेंदूभाटा
			3	खुरदुर
			4	तुलुफ
			5	बानाबेल
		2. बिल्हा	1	सेवाती
			2	उदगन
			3	पेंड्रिडीह
			4	मुरकुटा
			5	पिरेया
8	कोण्डागांव (पूर्णत: अनुसूची V)	1. कोण्डागांव	1	रनापाल
			2	चिंचडोगरी

			3	नेवता
			4	मसोरा
			5	बेतबेडा
		2. माकड़ी	1	बिंजोली
			2	तोरंडी
			3	छोटे सलना
			4	सोडमा
			5	करमरी

परिशिष्ट- 2.2

(कंडिका 2.9.1 में संदर्भित)

छत्तीसगढ़ में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों का विवरण

क्र. स.	नियम का नाम एवं धारा
1	छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 1994 [धारा 6(3)]
2	छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप-सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994 [धारा 21(2), 28(2) और 35(2)]
3	छत्तीसगढ़ पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम, 1994 [धारा 44 (1)]
4	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों के पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 [धारा 46(3)]
5	छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां (सदस्यों का निर्वाचन, उनकी शक्तियां और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल तथा कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 [धारा 47(4), (5), (6)]
6	छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच और उप-सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1994 [धारा 48]
7	छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत क्षेत्रों के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन) नियम, 1994 [धारा 58(2)]
8	छत्तीसगढ़ पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 [धारा 65(2)]
9	छत्तीसगढ़ पंचायत (पंचायतों और पंचायत तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों का विनियमन) नियम, 1994 [धारा 90 (2)]
10	छत्तीसगढ़ पंचायत उपविधियां नियम, 1994 [धारा 96(4)]
11	छत्तीसगढ़ पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम, 1994 [धारा 125(1), 126(1) और 127(1)]
12	छत्तीसगढ़ पंचायत (उप-सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 [धारा 17, 25, 32]
13	छत्तीसगढ़ पंचायत (पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र) नियम, 1995 [धारा 37]
14	छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 [धारा 43]
15	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (निर्धन व्यक्तियों को उधारों की मंजूरी) नियम, 1995 [धारा 49 (28)]
16	छत्तीसगढ़ पंचायत (संविदा निष्पादन का तरीका) नियम, 1995 [धारा 67]
17	छत्तीसगढ़ पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1995 [धारा 72]
18	छत्तीसगढ़ पंचायत (करों का अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण तथा विनियमन) नियम, 1995 [धारा 78(1)]
19	छत्तीसगढ़ पंचायत (कराधान के विरुद्ध अपीलों की रीति तथा परिसीमा) नियम, 1995 [धारा 79]
20	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत (फीस संग्रहण का पट्टा) नियम, 1995 [धारा 80]
21	छत्तीसगढ़ पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 [धारा 84(1), (2)]

22	छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1995 [धारा 91]
23	छत्तीसगढ़ पंचायत (अभिलेखों तथा वस्तु की वापसी और धन की वसूली) नियम, 1995 [धारा 92(2)]
24	छत्तीसगढ़ पंचायत (पत्र-व्यवहार) नियम, 1995 [धारा 95(1)]
25	छत्तीसगढ़ पंचायत (अवसूलिय राशियाँ) नियम, 1995 [धारा 116]
26	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ता) नियम, 1995 [धारा 117]
27	छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत सदस्य (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम, 1995 [धारा 117]
28	छत्तीसगढ़ जिला पंचायत सदस्य (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम, 1995 [धारा 117]
29	छत्तीसगढ़ पंचायत (अभिलेखों और प्रतियों का निरीक्षण) नियम, 1995 [धारा 118]
30	छत्तीसगढ़ पंचायत (सूचना तथा दस्तावेज की तामिल की पद्धति) नियम, 1995 [धारा 119]
31	छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन अर्जियाँ, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 [धारा 122 (1) और (3)]
32	छत्तीसगढ़ पंचायत (सरकारी भूमियों का प्रबंध) नियम, 1995 [धारा 128]
33	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995 [छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 11(1)]
34	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (यात्रा भत्ता) नियम, 1995 [छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 10 (5)]
35	छत्तीसगढ़ जिला योजना उप-समितियां (संरचना, कार्य, सदस्यों के कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995 [छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 9(2)]
36	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 1996 [धारा 77 (1)]
37	छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत रंगमंच कर (अधिरोपण, निर्धारण और संग्रह का विनियमन) नियम, 1996 [धारा 77 (1)]
38	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 1996 [धारा 77 (2)]
39	छत्तीसगढ़ पंचायत सदस्य (प्रतिनिधि का नामांकन) नियम, 1997 [धारा 22(1)]
40	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 [धारा 73(1)]
41	छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 [धारा 73(1)]
42	छत्तीसगढ़ जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 [धारा 73(1)]
43	छत्तीसगढ़ पंचायत संपरीक्षा नियम, 1997 [धारा 129 (1)]
44	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (मांस का विक्रय तथा परिरक्षण विनियमन) नियम, 1998 [धारा 49(14)]
45	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार का विनियमन) नियम, 1998 [धारा 54 (एच)]
46	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (पशुवध शाला का विनियमन) नियम, 1998 [धारा 54 (पांच)]
47	छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत (नौघाट प्रबंधन) नियम, 1998 [धारा 70(1)]
48	छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 [धारा 70(2)]
49	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (वार्षिक लेखा तथा प्रशासन रिपोर्ट) नियम, 1998 [धारा 73(3)]
50	छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत (वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट) नियम, 1998 [धारा 73(3)]
51	छत्तीसगढ़ जिला पंचायत राज निधि नियम, 1998 [धारा 76(1)]

52	छत्तीसगढ़ जिला पंचायत (कार्य) नियम, 1998 [धारा 95(1)]
53	छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 [धारा 29-बी]
54	छत्तीसगढ़ पंचायत एवं समाज कल्याण तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1998 [भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का परंतुक]
55	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (शवों, पशु शवों और घृणास्पद पदार्थों का व्ययन करने के लिए स्थानों का विनियमन) नियम, 1999 [धारा 49(12)]
56	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (संरचनाओं तथा वृक्षों को हटाने संबंधी शक्ति) नियम, 1999 [धारा 54(2)]
57	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्वच्छता, सफाई और न्यूसेंस का निवारण तथा उपशमन) नियम, 1999 [धारा 54 (तीन) और (सात), धारा 49 (एक)]
58	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 [धारा 61-क से 61-छ]
59	छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 [धारा 70 (2)]
60	छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 [धारा 70(2)]
61	छत्तीसगढ़ पंचायत (स्वास्थ्य सेवा भर्ती) नियम, 1999 [धारा 70(2)]
62	छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण विकास सेवा भर्ती) नियम, 1999 [धारा 70(2)]
63	छत्तीसगढ़ पंचायत (पशुपालन सेवा भर्ती) नियम, 1999 [धारा 70(2)]
64	छत्तीसगढ़ पंचायत (मत्स्य पालन सेवा भर्ती) नियम, 1999 [धारा 70 (2)
65	छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (कला कर्मी) भर्ती नियम, 1999 [धारा 70 (2)]
66	छत्तीसगढ़ पंचायत (तृतीय श्रेणी कार्यपालिका उद्यानिकी सेवा भर्ती) नियम, 1999 [धारा 70 (2)]
67	छत्तीसगढ़ पंचायत (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कृषि सेवा भर्ती) नियम, 1999 [धारा 70(2)]
68	छत्तीसगढ़ पंचायत (महिला एवं बाल विकास सेवा भर्ती) नियम, 1999 [धारा 70(2)]
69	छत्तीसगढ़ पंचायत शैक्षणिक (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1999 [धारा 70 (2)]
70	छत्तीसगढ़ पंचायत संविदा सेवा (भारतीय चिकित्सा पद्धति, यूनानी तथा होम्योपैथी) नियम, 1999 [धारा 70(2)]
71	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 [धारा 72]
72	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 [धारा 73(3)]
73	छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 [धारा 73(3)]
74	छत्तीसगढ़ जिला पंचायत (लेखा) नियम, 1999 [धारा 73(3)]
75	छत्तीसगढ़ पंचायत (भू-राजस्व पर उपकर की वृद्धि और वितरण) नियम, 1999 [धारा 74(2)]
76	छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत (कृषि भूमि पर विकास कर का अधिरोपन) नियम, 1999 [धारा 73(3) और 78(1)]
77	छत्तीसगढ़ पंचायत (सरकार या वित्तीय संस्थानों से ऋण) नियम, 1999 [धारा 115]
78	छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत (अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों के लिए आरक्षित स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जन) नियम, 1999 [धारा 129-ई (1)]
79	छत्तीसगढ़ जिला योजना समितियां (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1999 [छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 7-क]
80	छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 1999[छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम,1970 की धारा 9]
81	विभागीय परीक्षाओं और पाठ्यक्रम के संबंधी नियम

82	छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सीमाओं से निर्यात किए गए माल पर सीमा कर (निर्धारण तथा संग्रहण) नियम, 2003 [धारा 77(2), 78(1) और 79]
83	छत्तीसगढ़ पंचायत शाला संविदा शिक्षक (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2004 [धारा 70 (2)]
84	छत्तीसगढ़ पंचायत एवं समाज कल्याण तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 [भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का परंतुक]
85	छत्तीसगढ़ पंचायत एवं समाज कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 [भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का परंतुक]
86	छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2011 [भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का परंतुक]
87	छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 [धारा 70 (1) और 53 (1) (बी)]
88	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम, 2012
89	छत्तीसगढ़ पंचायत (सामग्री तथा माल का क्रय) नियम, 2013 [धारा 95 (1)]
90	छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 [भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का परंतुक]
91	छत्तीसगढ़ पंचायत (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2018 [भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का परंतुक]
92	छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2018
93	छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 2.3

(कंडिका 2.9.2 में संदर्भित)

विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने वाले कार्यों के गतिविधि मानचित्रण (2006-07 के दौरान संपादित) का विवरण

क्र. सं.	11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों को हस्तांतरित किया जाना	विभागों का नाम[1]	पत्र क्रमांक	जिला पंचायत			जनपद पंचायत			ग्राम पंचायत			प्रस्तावित गतिविधि मानचित्रण के अनुसार, हस्तांतरण की स्थिति
				कार्य	कर्मचारियों	निधि	कार्य	कर्मचारियों	निधि	कार्य	कर्मचारियों	निधि	
1	कृषि, जिसमे कृषि प्रसार भी सम्मिलित है	कृषि विकास	6.	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	आंशिक
2	भूमि अभिवृद्धि, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मिट्टी संरक्षण	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक विकास	जल संसाधन	13.	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	आंशिक
4	पशुपालन, दुग्ध-व्यवसाय और कुक्कुटादि	पशुपालन	7.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	आंशिक
5	मत्स्य क्षेत्र	मछली पालन	8.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	आंशिक
6	सामाजिक वानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी	वन	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
7	लघु वानिकी उपज	वन	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
8	लघु उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है	वाणिज्य और उद्योग	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										

[1] कार्य के साथ विभाग के नाम का मानचित्रण जैसा लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किया गया था।

9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग	ग्रामोद्योग	5.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	आंशिक
10	ग्रामीण गृह निर्माण	पंचायत	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
11	पेय जल	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	9.	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	×	×	आंशिक
12	ईंधन और चारा	वन विभाग	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
13	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन	लोक निर्माण, जल संसाधन	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
14	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमे विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है	ऊर्जा	12.	✓	×	×	✓	×	×	✓	×	×	आंशिक
15	गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत	ऊर्जा	12.	✓	×	×	✓	×	×	✓	×	×	आंशिक
16	गरीबी कम करने के कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
17	शिक्षा जिसमे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी सम्मिलित है	शिक्षा	1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	आंशिक
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा	जनशक्ति एवं तकनीकी शिक्षा	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
19	वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा	शिक्षा	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
20	पुस्तकालय	समाज कल्याण	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
21	सांस्कृतिक कार्यकलाप	संस्कृति एवं पुरातत्व	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
22	बाजार और मेले	पंचायत	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
23	स्वास्थ्य और सफाई जिसमे चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी सम्मिलित है	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
24	परिवार कल्याण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
25	स्त्री और बाल विकास	महिला एवं बाल विकास	3.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	आंशिक

26	सामाजिक कल्याण जिसमे विकलांगों और मानसिक अशक्तों का कल्याण भी सम्मिलित है	समाज कल्याण	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										
27	दुर्बल वर्गों का कल्याण और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	आदिम तथा अनुसूचित जाति कल्याण	2.	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	आंशिक
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण	10.	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	आंशिक
29	सामुदायिक संपत्तियों का अनुरक्षण	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है										

नोट: क्रम संख्या 4 (खनिज संसाधन विभाग), 11 (खेल और युवक कल्याण विभाग), 14 (ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी) और 15 (श्रम विभाग) में उल्लेखित विभागों द्वारा की गई गतिविधि मानचित्रण 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों के साथ संरेखित नहीं है।

परिशिष्ट- 2.4

(कंडिका 2.10.3 में संदर्भित)

निर्वाचित प्रतिनिधियों के ग्राम पंचायत-वार रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	जनपद पंचायतों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त पदों का विवरण		पदों के रिक्ति का कारण	रिक्ति की तिथि	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
			वार्ड नं.	वार्ड क्र. आरक्षण की स्थिति				
1	गुरुर	ओझागहन	12	अनारक्षित	मृत्यु	02.01.2023	पंच	1
		कोलिहामार	10	अनारक्षित	मृत्यु	02.04.2023	पंच	1
		डुपचेरा	3	अनुसूचित जनजाति	मृत्यु	25.03.2023	पंच	1
		सोनाईडोंगरी	2	अन्य पिछड़ा वर्ग	मृत्यु	10.07.2023	पंच	1
2	माकड़ी	तोरंडी	11	अनुसूचित जनजाति	मृत्यु	15.01.2023	पंच	1
		शामपुर	7	अनुसूचित जनजाति	मृत्यु	15.01.2023	पंच	1
		परला	16	अनुसूचित जनजाति	मृत्यु	27.06.2023	पंच	1
3	बेमेतरा	गांगपुर	9	अनुसूचित जाति -महिला	नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	2019-20	पंच	1
		भंवराडा	12	अनुसूचित जनजाति -महिला	नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	2019-20	पंच	1
		मार्टारा	4	अनारक्षित	नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	2019-20	पंच	1
		लोलेसरा	9	अनुसूचित जाति -महिला	नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	2019-20	पंच	1
		मऊ	6	अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला	नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	2019-20	पंच	1
		मऊ	19	अनारक्षित महिला	नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	2019-20	पंच	1
4	कोंडागांव	संबलपुर	11	अनारक्षित	नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ	2020-21	पंच	1
		बम्हाणी	7	अनारक्षित	मृत्यु	22.11.2022	पंच	1
		करंजी	9	अनुसूचित जाति	मृत्यु	08.07.2023	पंच	1
5	नरहरपुर	मालगांव	4	अनारक्षित	मृत्यु	11.02.2023	पंच	1
		मावलीपारा	अनुपलब्ध	अनुसूचित जनजाति महिला	-	01.10.2022	सरपंच	1
		धनेसरा	3	अनुसूचित जनजाति	मृत्यु	25.08.2021	पंच	1
6	बैकुंठपुर	चिरगुडा	अनुपलब्ध	अनुसूचित जनजाति महिला	अविश्वास प्रस्ताव	13.09.2021	सरपंच	1
		आनी	अनुपलब्ध	अनुसूचित जनजाति	अविश्वास प्रस्ताव	15.09.2021	सरपंच	1

		गिरजापुर	7	अनुसूचित जनजाति	मृत्यु	19.05.2023	पंच	1
योग								**22**
(पंच - 19, सरपंच -03)								

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 2.5

(कंडिका 2.14 में संदर्भित)

पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों को सौंपे गए शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विवरण

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम	सौंपी गई शक्ति एवं जिम्मेदारी
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/ जनपद पंचायत	• पंचायत के अधिकारियों एवं सेवकों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण • पंचायत और स्थायी समिति की बैठक बुलाना और उसकी कार्यवाही बनाए रखना • पंचायत और उसकी स्थायी समितियों की बैठक के कार्यवाहीयों से जुड़े सभी कागजात और दस्तावेजों का संरक्षक • पंचायत के अधीन पद धारण करने वाले किसी भी अधिकारी से कोई दस्तावेज़ जानकारी, रिटर्न, कथन या प्रतिवेदन मांग सकता है • पंचायत की सभी गतिविधियों के निष्पादन की पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा • पंचायतों की ओर से दीवानी या आपराधिक कार्यवाही आरम्भ करना • वार्षिक विकास योजनाएं और बजट तैयार करना तथा पंचायत के खातों से संबंधित सभी मामलों सहित योजनाओं के कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करना • मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसी समस्त शक्तियों का भी प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जैसे कि उसे पंचायत द्वारा प्रत्यायोजित किये जाएँ या राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किया जाएँ
2	सचिव ग्राम पंचायत	• ग्राम सभा आयोजित करने, तिथि, समय और स्थान तय करने, सदस्यों को सूचित करने और गणपूर्ति को पूरा करने का प्रयास करने, कार्यवाही को पंजीकृत करने और अगली ग्राम सभा में इसे अनुमोदित कराने के लिए • ग्राम सभा में अनुमोदित प्रस्ताव पर उचित कार्रवाई करना और उसकी प्रति जनपद पंचायत को भेजना • मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और कलेक्टर को धारा के तहत की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करें। पंच/सरपंच के खिलाफ पंचायती राज संस्था अधिनियम की धारा 39 • सरपंच की सहमति से कार्यसूची तैयार करना और सभी पंचों को सूचित करना • ग्राम सभा को सौंपे गए सभी कार्यों का निष्पादन करें। • मकानों के निर्माण की अनुमति देने के लिए। यदि अवैध पाया जाता है तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करें • अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाएँ। • ग्राम पंचायत के धन की सुरक्षित अभिरक्षा, सरपंच/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा डाकघर/बैंक में खाता खोलें • वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले, वार्षिक बैठक की व्यवस्था करें और केंद्र और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के तहत प्राप्त धन का आय-व्यय विवरण और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करें • विभिन्न योजनाओं से संबंधित बजट तैयार करना और इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करवाना • समय पर ग्राम पंचायत के वार्षिक खाते तैयार करना और अगले महीने की 5 तारीख से पहले जनपद पंचायत को भेजना

		• सभी करदाताओं की सूची तैयार करना और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर लगाना • अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा करने के लिए सभी रिकॉर्ड और जानकारी प्रस्तुत करना • पंचायती राज मंत्रलाय आवश्यकता के अनुसार, ग्राम पंचायत के खाते को प्रियासॉफ्ट प्रारूप में बनाए रखें

परिशिष्ट- 2.6

(कंडिका 2.14.1 में संदर्भित)

पंचायती राज संस्थाओं में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण

पंचायत संचालनालय				
क्र. सं.	**पद का नाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
1	संचालक	1	1	0
2	अपर संचालक	1	0	1
3	संयुक्त संचालक	1	1	0
4	संयुक्त संचालक वित्त	1	1	0
5	उप संचालक	3	2	1
6	सहायक संचालक	5	4	1
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	0	1
8	सहायक लेखा अधिकारी	1	1	0
9	जिला अंकेक्षक	1	0	1
10	उप अंकेक्षक	2	1	1
11	सहायक अधीक्षक	1	0	1
12	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0
13	स्टेनोग्राफर	2	0	2
14	वरिष्ठ अंकेक्षक	1	0	1
15	सहायक ग्रेड 2	4	3	1
16	लेखापाल	2	0	2
17	सहायक ग्रेड 3	6	2	4
18	डेटा एंट्री ऑपरेटर	5	5	0
19	दफ्तरी	2	0	2
योग		**41**	**22**	**19**
कार्यालय जिला पंचायत/जनपद पंचायत				
1	उप संचालक	33	0	33
2	सहायक संचालक	31	22	9
3	सहायक संचालक (कानूनी सलाहकार)	1	0	1
4	अनुदेशक/प्रशिक्षक (संकाय)	6	0	6
5	पंचायत और सामाजिक शिक्षा संगठन।	4	0	4
6	जिला अंकेक्षक	33	0	33
7	उप अंकेक्षक	108	10	98
8	वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण और करारोपण अधिकारी	98	1	97
9	आंतरिक लेखा परीक्षण और करारोपण अधिकारी	261	1	260
10	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण और करारोपण अधिकारी	1,308	669	639
11	मुख्य लिपिक	33	0	33
12	सहायक ग्रेड 2	63	41	22
13	लेखापाल	3	0	3

14	सहायक ग्रेड 3	129	77	52
15	डेटा एंट्री ऑपरेटर	56	27	29
16	भृत्य	6	2	4
17	चालक	3	0	3
18	सफाईकर्मी	35	0	35
19	पीटी ड्रिल ट्रेनर	1	0	1
20	जल वाहक	5	0	5
21	रसोईयाँ	2	0	2
योग		**2,219**	**850**	**1,369**
महायोग		**2,260**	**872**	**1,388**

(स्रोत: संचालनालय पंचायत)

परिशिष्ट- 2.7

(कंडिका 2.16.4 में संदर्भित)

चयनित ग्राम पंचायतों में आयोजित स्थायी समिति की बैठकों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्थायी समितियों की आयोजित बैठकों की संख्या					
				वर्ष	सामान्य प्रशासन समिति	निर्माण एवं विकास समिति	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण	कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन समिति	राजस्व एवं वन समिति
1	कांकेर	नरहरपुर	अमोड़ा	2018-19	0	0	0	0	0
2	कांकेर	नरहरपुर	अमोड़ा	2019-20	0	0	0	0	0
3	कांकेर	नरहरपुर	अमोड़ा	2020-21	0	0	0	0	0
4	कांकेर	नरहरपुर	अमोड़ा	2021-22	0	0	0	0	0
5	कांकेर	नरहरपुर	अमोड़ा	2022-23	0	0	0	0	0
6	कांकेर	नरहरपुर	मावलीपारा	2018-19	0	0	0	0	0
7	कांकेर	नरहरपुर	मावलीपारा	2019-20	0	0	0	0	0
8	कांकेर	नरहरपुर	मावलीपारा	2020-21	0	0	0	0	0
9	कांकेर	नरहरपुर	मावलीपारा	2021-22	0	0	0	0	0
10	कांकेर	नरहरपुर	मावलीपारा	2022-23	0	0	0	0	0
11	कांकेर	नरहरपुर	मांडाभर्री	2018-19	0	0	0	0	0
12	कांकेर	नरहरपुर	मांडाभर्री	2019-20	0	0	0	0	0
13	कांकेर	नरहरपुर	मांडाभर्री	2020-21	0	0	0	0	0
14	कांकेर	नरहरपुर	मांडाभर्री	2021-22	0	0	0	0	0
15	कांकेर	नरहरपुर	मांडाभर्री	2022-23	0	0	0	0	0
16	कांकेर	नरहरपुर	मरकाटोला	2018-19	0	0	0	0	0
17	कांकेर	नरहरपुर	मरकाटोला	2019-20	0	0	0	0	0
18	कांकेर	नरहरपुर	मरकाटोला	2020-21	0	0	0	0	0

19	कांकेर	नरहरपुर	मरकाटोला	2021-22	0	0	0	0	0
20	कांकेर	नरहरपुर	मरकाटोला	2022-23	0	0	0	0	0
21	कांकेर	नरहरपुर	बाबूसाल्हेटोला	2018-19	0	0	0	0	0
22	कांकेर	नरहरपुर	बाबूसाल्हेटोला	2019-20	0	0	0	0	0
23	कांकेर	नरहरपुर	बाबूसाल्हेटोला	2020-21	0	0	0	0	0
24	कांकेर	नरहरपुर	बाबूसाल्हेटोला	2021-22	0	0	0	0	0
25	कांकेर	नरहरपुर	बाबूसाल्हेटोला	2022-23	0	0	0	0	0
26	कांकेर	भानुप्रतापपुर	इरागांव	2018-19	0	0	0	0	0
27	कांकेर	भानुप्रतापपुर	इरागांव	2019-20	0	0	0	0	0
28	कांकेर	भानुप्रतापपुर	इरागांव	2020-21	0	0	0	0	0
29	कांकेर	भानुप्रतापपुर	इरागांव	2021-22	0	0	0	0	0
30	कांकेर	भानुप्रतापपुर	इरागांव	2022-23	0	0	0	0	0
31	कांकेर	भानुप्रतापपुर	कच्चे	2018-19	0	0	0	0	0
32	कांकेर	भानुप्रतापपुर	कच्चे	2019-20	0	0	0	0	0
33	कांकेर	भानुप्रतापपुर	कच्चे	2020-21	0	0	0	0	0
34	कांकेर	भानुप्रतापपुर	कच्चे	2021-22	0	0	0	0	0
35	कांकेर	भानुप्रतापपुर	कच्चे	2022-23	0	0	0	0	0
36	कांकेर	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	2018-19	0	0	0	0	0
37	कांकेर	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	2019-20	0	0	0	0	0
38	कांकेर	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	2020-21	0	0	0	0	0
39	कांकेर	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	2021-22	0	0	0	0	0
40	कांकेर	भानुप्रतापपुर	मुल्ला	2022-23	0	0	0	0	0
41	कांकेर	भानुप्रतापपुर	साल्हे	2018-19	0	0	0	0	0
42	कांकेर	भानुप्रतापपुर	साल्हे	2019-20	0	0	0	0	0
43	कांकेर	भानुप्रतापपुर	साल्हे	2020-21	0	0	0	0	0
44	कांकेर	भानुप्रतापपुर	साल्हे	2021-22	0	0	0	0	0
45	कांकेर	भानुप्रतापपुर	साल्हे	2022-23	0	0	0	0	0
46	कांकेर	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	2018-19	0	0	0	0	0

47	कांकेर	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	2019-20	0	0	0	0	0
48	कांकेर	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	2020-21	0	0	0	0	0
49	कांकेर	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	2021-22	0	0	0	0	0
50	कांकेर	भानुप्रतापपुर	संबलपुर	2022-23	0	0	0	0	0
51	कांकेर	अंतागढ़	बोंदानार	2018-19	0	0	0	0	0
52	कांकेर	अंतागढ़	बोंदानार	2019-20	0	0	0	0	0
53	कांकेर	अंतागढ़	बोंदानार	2020-21	0	0	0	0	0
54	कांकेर	अंतागढ़	बोंदानार	2021-22	0	0	0	0	0
55	कांकेर	अंतागढ़	बोंदानार	2022-23	0	0	0	0	0
56	कांकेर	अंतागढ़	कोलार	2018-19	0	0	0	0	0
57	कांकेर	अंतागढ़	कोलार	2019-20	0	0	0	0	0
58	कांकेर	अंतागढ़	कोलार	2020-21	0	0	0	0	0
59	कांकेर	अंतागढ़	कोलार	2021-22	0	0	0	0	0
60	कांकेर	अंतागढ़	कोलार	2022-23	0	0	0	0	0
61	कांकेर	अंतागढ़	कढाईखोदरा	2018-19	0	0	0	0	0
62	कांकेर	अंतागढ़	कढाईखोदरा	2019-20	0	0	0	0	0
63	कांकेर	अंतागढ़	कढाईखोदरा	2020-21	0	0	0	0	0
64	कांकेर	अंतागढ़	कढाईखोदरा	2021-22	0	0	0	0	0
65	कांकेर	अंतागढ़	कढाईखोदरा	2022-23	0	0	0	0	0
66	कांकेर	अंतागढ़	ताडोकी	2018-19	0	0	0	0	0
67	कांकेर	अंतागढ़	ताडोकी	2019-20	0	0	0	0	0
68	कांकेर	अंतागढ़	ताडोकी	2020-21	0	0	0	0	0
69	कांकेर	अंतागढ़	ताडोकी	2021-22	1	1	1	1	1
70	कांकेर	अंतागढ़	ताडोकी	2022-23	0	0	0	0	0
71	कांकेर	अंतागढ़	तालाबेड़ा	2018-19	0	0	0	0	0
72	कांकेर	अंतागढ़	तालाबेड़ा	2019-20	0	0	0	0	0
73	कांकेर	अंतागढ़	तालाबेड़ा	2020-21	0	0	0	0	0
74	कांकेर	अंतागढ़	तालाबेड़ा	2021-22	0	0	0	0	0

75	कांकेर	अंतागढ़	तालाबेड़ा	2022-23	0	0	0	0	0
76	बालोद	डोंडी	अरमुरकसा	2018-19	0	0	0	0	0
77	बालोद	डोंडी	अरमुरकसा	2019-20	0	0	0	0	0
78	बालोद	डोंडी	अरमुरकसा	2020-21	0	0	0	0	0
79	बालोद	डोंडी	अरमुरकसा	2021-22	0	0	0	0	0
80	बालोद	डोंडी	अरमुरकसा	2022-23	0	0	0	0	0
81	बालोद	डोंडी	कुसुमकसा	2018-19	0	0	0	0	0
82	बालोद	डोंडी	कुसुमकसा	2019-20	0	0	0	0	0
83	बालोद	डोंडी	कुसुमकसा	2020-21	0	0	0	0	0
84	बालोद	डोंडी	कुसुमकसा	2021-22	2	0	0	0	0
85	बालोद	डोंडी	कुसुमकसा	2022-23	2	0	0	0	0
86	बालोद	डोंडी	भर्रीटोला36	2018-19	0	0	0	0	0
87	बालोद	डोंडी	भर्रीटोला36	2019-20	0	0	0	0	0
88	बालोद	डोंडी	भर्रीटोला36	2020-21	0	0	0	0	0
89	बालोद	डोंडी	भर्रीटोला36	2021-22	0	0	0	0	0
90	बालोद	डोंडी	भर्रीटोला36	2022-23	0	0	0	0	0
91	बालोद	डोंडी	धोवनी बी	2018-19	0	0	0	0	0
92	बालोद	डोंडी	धोवनी बी	2019-20	0	0	0	0	0
93	बालोद	डोंडी	धोवनी बी	2020-21	0	0	0	0	0
94	बालोद	डोंडी	धोवनी बी	2021-22	0	0	0	0	0
95	बालोद	डोंडी	धोवनी बी	2022-23	0	0	0	0	0
96	बालोद	डोंडी	पुसावद	2018-19	0	0	0	0	0
97	बालोद	डोंडी	पुसावद	2019-20	0	0	0	0	0
98	बालोद	डोंडी	पुसावद	2020-21	3	3	1	1	1
99	बालोद	डोंडी	पुसावद	2021-22	0	0	0	0	0
100	बालोद	डोंडी	पुसावद	2022-23	0	0	0	0	0
101	बालोद	गुरुर	अरमरीकला	2018-19	0	0	0	0	0
102	बालोद	गुरुर	अरमरीकला	2019-20	0	0	0	0	0

103	बालोद	गुरुर	अरमरीकला	2020-21	0	0	0	0	0
104	बालोद	गुरुर	अरमरीकला	2021-22	0	0	0	0	0
105	बालोद	गुरुर	अरमरीकला	2022-23	0	0	0	0	0
106	बालोद	गुरुर	बासीन	2018-19	0	0	0	0	0
107	बालोद	गुरुर	बासीन	2019-20	0	0	0	0	0
108	बालोद	गुरुर	बासीन	2020-21	0	0	0	0	0
109	बालोद	गुरुर	बासीन	2021-22	0	0	0	0	0
110	बालोद	गुरुर	बासीन	2022-23	0	0	0	0	0
111	बालोद	गुरुर	बालोदगाहन	2018-19	0	0	0	0	0
112	बालोद	गुरुर	बालोदगाहन	2019-20	0	0	0	0	0
113	बालोद	गुरुर	बालोदगाहन	2020-21	0	0	0	0	0
114	बालोद	गुरुर	बालोदगाहन	2021-22	0	0	0	0	0
115	बालोद	गुरुर	बालोदगाहन	2022-23	0	0	0	0	0
116	बालोद	गुरुर	सरबदा	2018-19	0	0	0	0	0
117	बालोद	गुरुर	सरबदा	2019-20	0	0	0	0	0
118	बालोद	गुरुर	सरबदा	2020-21	0	0	0	0	0
119	बालोद	गुरुर	सरबदा	2021-22	0	0	0	0	0
120	बालोद	गुरुर	सरबदा	2022-23	0	0	0	0	0
121	बालोद	गुरुर	उसरवारा	2018-19	0	0	0	0	0
122	बालोद	गुरुर	उसरवारा	2019-20	0	0	0	0	0
123	बालोद	गुरुर	उसरवारा	2020-21	0	0	0	0	0
124	बालोद	गुरुर	उसरवारा	2021-22	0	0	0	0	0
125	बालोद	गुरुर	उसरवारा	2022-23	0	0	0	0	0
126	महासमुंद	सरायपाली	मुंधा	2018-19	0	0	0	0	0
127	महासमुंद	सरायपाली	मुंधा	2019-20	0	0	0	0	0
128	महासमुंद	सरायपाली	मुंधा	2020-21	0	0	0	0	0
129	महासमुंद	सरायपाली	मुंधा	2021-22	0	0	0	0	0
130	महासमुंद	सरायपाली	मुंधा	2022-23	0	0	0	0	0

131	महासमुंद	सरायपाली	डुमरपाली	2018-19	0	0	0	0	0
132	महासमुंद	सरायपाली	डुमरपाली	2019-20	0	0	0	0	0
133	महासमुंद	सरायपाली	डुमरपाली	2020-21	0	0	0	0	0
134	महासमुंद	सरायपाली	डुमरपाली	2021-22	0	0	0	0	0
135	महासमुंद	सरायपाली	डुमरपाली	2022-23	0	0	0	0	0
136	महासमुंद	सरायपाली	भगतसरायपाली	2018-19	0	0	0	0	0
137	महासमुंद	सरायपाली	भगतसरायपाली	2019-20	0	0	0	0	0
138	महासमुंद	सरायपाली	भगतसरायपाली	2020-21	0	0	0	0	0
139	महासमुंद	सरायपाली	भगतसरायपाली	2021-22	0	0	0	0	0
140	महासमुंद	सरायपाली	भगतसरायपाली	2022-23	0	0	0	0	0
141	महासमुंद	सरायपाली	बोडेसरा	2018-19	0	0	0	0	0
142	महासमुंद	सरायपाली	बोडेसरा	2019-20	0	0	0	0	0
143	महासमुंद	सरायपाली	बोडेसरा	2020-21	0	0	0	0	0
144	महासमुंद	सरायपाली	बोडेसरा	2021-22	0	0	0	0	0
145	महासमुंद	सरायपाली	बोडेसरा	2022-23	0	0	0	0	0
146	महासमुंद	सरायपाली	दर्राभाटा	2018-19	0	0	0	0	0
147	महासमुंद	सरायपाली	दर्राभाटा	2019-20	0	0	0	0	0
148	महासमुंद	सरायपाली	दर्राभाटा	2020-21	0	0	0	0	0
149	महासमुंद	सरायपाली	दर्राभाटा	2021-22	0	0	0	0	0
150	महासमुंद	सरायपाली	दर्राभाटा	2022-23	0	0	0	0	0
151	महासमुंद	पिथौरा	बागरपाली	2018-19	0	0	0	0	0
152	महासमुंद	पिथौरा	बागरपाली	2019-20	0	0	0	0	0
153	महासमुंद	पिथौरा	बागरपाली	2020-21	0	0	0	0	0
154	महासमुंद	पिथौरा	बागरपाली	2021-22	0	0	0	0	0
155	महासमुंद	पिथौरा	बागरपाली	2022-23	0	0	0	0	0
156	महासमुंद	पिथौरा	लारीपुर	2018-19	0	0	0	0	0
157	महासमुंद	पिथौरा	लारीपुर	2019-20	0	0	0	0	0
158	महासमुंद	पिथौरा	लारीपुर	2020-21	0	0	0	0	0

159	महासमुंद	पिथौरा	लारीपुर	2021-22	0	0	0	0	0
160	महासमुंद	पिथौरा	लारीपुर	2022-23	0	0	0	0	0
161	महासमुंद	पिथौरा	चिखली	2018-19	0	0	0	0	0
162	महासमुंद	पिथौरा	चिखली	2019-20	0	0	0	0	0
163	महासमुंद	पिथौरा	चिखली	2020-21	0	0	0	0	0
164	महासमुंद	पिथौरा	चिखली	2021-22	0	0	0	0	0
165	महासमुंद	पिथौरा	चिखली	2022-23	0	0	0	0	0
166	महासमुंद	पिथौरा	भुरकोनी	2018-19	0	0	0	0	0
167	महासमुंद	पिथौरा	भुरकोनी	2019-20	0	0	0	0	0
168	महासमुंद	पिथौरा	भुरकोनी	2020-21	0	0	0	0	0
169	महासमुंद	पिथौरा	भुरकोनी	2021-22	0	0	0	0	0
170	महासमुंद	पिथौरा	भुरकोनी	2022-23	0	0	0	0	0
171	महासमुंद	पिथौरा	देवसराल	2018-19	0	0	0	0	0
172	महासमुंद	पिथौरा	देवसराल	2019-20	0	0	0	0	0
173	महासमुंद	पिथौरा	देवसराल	2020-21	0	0	0	0	0
174	महासमुंद	पिथौरा	देवसराल	2021-22	0	0	0	0	0
175	महासमुंद	पिथौरा	देवसराल	2022-23	0	0	0	0	0
176	धमतरी	कुरुद	राखी	2018-19	0	0	0	0	0
177	धमतरी	कुरुद	राखी	2019-20	0	0	0	0	0
178	धमतरी	कुरुद	राखी	2020-21	0	0	0	0	0
179	धमतरी	कुरुद	राखी	2021-22	0	0	0	0	0
180	धमतरी	कुरुद	राखी	2022-23	0	0	0	0	0
181	धमतरी	कुरुद	कोलियारी	2018-19	0	0	0	0	0
182	धमतरी	कुरुद	कोलियारी	2019-20	0	0	0	0	0
183	धमतरी	कुरुद	कोलियारी	2020-21	0	0	0	0	0
184	धमतरी	कुरुद	कोलियारी	2021-22	0	0	0	0	0
185	धमतरी	कुरुद	कोलियारी	2022-23	0	0	0	0	0
186	धमतरी	कुरुद	कन्हारपुरी	2018-19	0	0	0	0	0

187	धमतरी	कुरुद	कन्हारपुरी	2019-20	0	0	0	0	0
188	धमतरी	कुरुद	कन्हारपुरी	2020-21	0	0	0	0	0
189	धमतरी	कुरुद	कन्हारपुरी	2021-22	0	0	0	0	0
190	धमतरी	कुरुद	कन्हारपुरी	2022-23	0	0	0	0	0
191	धमतरी	कुरुद	जोरातराई	2018-19	0	0	0	0	0
192	धमतरी	कुरुद	जोरातराई	2019-20	0	0	0	0	0
193	धमतरी	कुरुद	जोरातराई	2020-21	0	0	0	0	0
194	धमतरी	कुरुद	जोरातराई	2021-22	0	0	0	0	0
195	धमतरी	कुरुद	जोरातराई	2022-23	0	0	0	0	0
196	धमतरी	कुरुद	सिलौटी	2018-19	0	0	0	0	0
197	धमतरी	कुरुद	सिलौटी	2019-20	0	0	0	0	0
198	धमतरी	कुरुद	सिलौटी	2020-21	0	0	0	0	0
199	धमतरी	कुरुद	सिलौटी	2021-22	0	0	0	0	0
200	धमतरी	कुरुद	सिलौटी	2022-23	0	0	0	0	0
201	धमतरी	मगरलोड	केकराखोली	2018-19	0	0	0	0	0
202	धमतरी	मगरलोड	केकराखोली	2019-20	0	0	0	0	0
203	धमतरी	मगरलोड	केकराखोली	2020-21	0	0	0	0	0
204	धमतरी	मगरलोड	केकराखोली	2021-22	0	0	0	0	0
205	धमतरी	मगरलोड	केकराखोली	2022-23	0	0	0	0	0
206	धमतरी	मगरलोड	भोथीडीह	2018-19	0	0	0	0	0
207	धमतरी	मगरलोड	भोथीडीह	2019-20	0	0	0	0	0
208	धमतरी	मगरलोड	भोथीडीह	2020-21	0	0	0	0	0
209	धमतरी	मगरलोड	भोथीडीह	2021-22	0	0	0	0	0
210	धमतरी	मगरलोड	भोथीडीह	2022-23	0	0	0	0	0
211	धमतरी	मगरलोड	खैरझिट्टी	2018-19	0	0	0	0	0
212	धमतरी	मगरलोड	खैरझिट्टी	2019-20	0	0	0	0	0
213	धमतरी	मगरलोड	खैरझिट्टी	2020-21	0	0	0	0	0
214	धमतरी	मगरलोड	खैरझिट्टी	2021-22	0	0	0	0	0

215	धमतरी	मगरलोड	खैरझिट्टी	2022-23	0	0	0	0	0
216	कोरिया	बैकुंठपुर	पिपरा	2018-19	0	0	0	0	0
217	कोरिया	बैकुंठपुर	पिपरा	2019-20	0	0	0	0	0
218	कोरिया	बैकुंठपुर	पिपरा	2020-21	0	0	0	0	0
219	कोरिया	बैकुंठपुर	पिपरा	2021-22	12	12	12	12	12
220	कोरिया	बैकुंठपुर	पिपरा	2022-23	12	12	12	12	12
221	कोरिया	बैकुंठपुर	पटना	2018-19	0	0	0	0	0
222	कोरिया	बैकुंठपुर	पटना	2019-20	0	0	0	0	0
223	कोरिया	बैकुंठपुर	पटना	2020-21	0	0	0	0	0
224	कोरिया	बैकुंठपुर	पटना	2021-22	0	0	0	0	0
225	कोरिया	बैकुंठपुर	पटना	2022-23	0	0	0	0	0
226	कोरिया	बैकुंठपुर	करजी	2018-19	0	0	0	0	0
227	कोरिया	बैकुंठपुर	करजी	2019-20	0	0	0	0	0
228	कोरिया	बैकुंठपुर	करजी	2020-21	0	0	0	0	0
229	कोरिया	बैकुंठपुर	करजी	2021-22	0	0	0	0	0
230	कोरिया	बैकुंठपुर	करजी	2022-23	0	0	0	0	0
231	कोरिया	बैकुंठपुर	मुरमा	2018-19	0	0	0	0	0
232	कोरिया	बैकुंठपुर	मुरमा	2019-20	0	0	0	0	0
233	कोरिया	बैकुंठपुर	मुरमा	2020-21	0	0	0	0	0
234	कोरिया	बैकुंठपुर	मुरमा	2021-22	0	0	0	0	0
235	कोरिया	बैकुंठपुर	मुरमा	2022-23	0	0	0	0	0
236	कोरिया	बैकुंठपुर	आनी	2018-19	0	0	0	0	0
237	कोरिया	बैकुंठपुर	आनी	2019-20	0	0	0	0	0
238	कोरिया	बैकुंठपुर	आनी	2020-21	0	0	0	0	0
239	कोरिया	बैकुंठपुर	आनी	2021-22	0	0	0	0	0
240	कोरिया	बैकुंठपुर	आनी	2022-23	1	1	1	1	1
241	कोरिया	खडगवां	पोंडी	2018-19	0	0	0	0	0
242	कोरिया	खडगवां	पोंडी	2019-20	0	0	0	0	0

243	कोरिया	खडगवां	पोंडी	2020-21	0	0	0	0	0
244	कोरिया	खडगवां	पोंडी	2021-22	0	0	0	0	0
245	कोरिया	खडगवां	पोंडी	2022-23	0	0	0	0	0
246	कोरिया	खडगवां	फुनगा	2018-19	0	0	0	0	0
247	कोरिया	खडगवां	फुनगा	2019-20	0	0	0	0	0
248	कोरिया	खडगवां	फुनगा	2020-21	0	0	0	0	0
249	कोरिया	खडगवां	फुनगा	2021-22	0	0	0	0	0
250	कोरिया	खडगवां	फुनगा	2022-23	0	0	0	0	0
251	कोरिया	खडगवां	ठगाँव	2018-19	0	0	0	0	0
252	कोरिया	खडगवां	ठगाँव	2019-20	0	0	0	0	0
253	कोरिया	खडगवां	ठगाँव	2020-21	0	0	0	0	0
254	कोरिया	खडगवां	ठगाँव	2021-22	0	0	0	0	0
255	कोरिया	खडगवां	ठगाँव	2022-23	0	0	0	0	0
256	कोरिया	खडगवां	कटकोना	2018-19	0	0	0	0	0
257	कोरिया	खडगवां	कटकोना	2019-20	0	0	0	0	0
258	कोरिया	खडगवां	कटकोना	2020-21	0	0	0	0	0
259	कोरिया	खडगवां	कटकोना	2021-22	0	0	0	0	0
260	कोरिया	खडगवां	कटकोना	2022-23	0	0	0	0	0
261	कोरिया	खडगवां	जिलीबांध	2018-19	0	0	0	0	0
262	कोरिया	खडगवां	जिलीबांध	2019-20	0	0	0	0	0
263	कोरिया	खडगवां	जिलीबांध	2020-21	0	0	0	0	0
264	कोरिया	खडगवां	जिलीबांध	2021-22	0	0	0	0	0
265	कोरिया	खडगवां	जिलीबांध	2022-23	0	0	0	0	0
266	कोंडागांव	माकड़ी	बिंजोली	2018-19	0	0	0	0	0
267	कोंडागांव	माकड़ी	बिंजोली	2019-20	0	0	0	0	0
268	कोंडागांव	माकड़ी	बिंजोली	2020-21	0	0	0	0	0
269	कोंडागांव	माकड़ी	बिंजोली	2021-22	0	0	0	0	0
270	कोंडागांव	माकड़ी	बिंजोली	2022-23	0	0	0	0	0

271	कोंडागांव	माकड़ी	तोरंडी	2018-19	0	0	0	0	0
272	कोंडागांव	माकड़ी	तोरंडी	2019-20	0	0	0	0	0
273	कोंडागांव	माकड़ी	तोरंडी	2020-21	0	0	0	0	0
274	कोंडागांव	माकड़ी	तोरंडी	2021-22	0	0	0	0	0
275	कोंडागांव	माकड़ी	तोरंडी	2022-23	0	0	0	0	0
276	कोंडागांव	माकड़ी	छोटे सलना	2018-19	0	0	0	0	0
277	कोंडागांव	माकड़ी	छोटे सलना	2019-20	0	0	0	0	0
278	कोंडागांव	माकड़ी	छोटे सलना	2020-21	0	0	0	0	0
279	कोंडागांव	माकड़ी	छोटे सलना	2021-22	0	0	0	0	0
280	कोंडागांव	माकड़ी	छोटे सलना	2022-23	0	0	0	0	0
281	कोंडागांव	माकड़ी	सोडमा	2018-19	0	0	0	0	0
282	कोंडागांव	माकड़ी	सोडमा	2019-20	0	0	0	0	0
283	कोंडागांव	माकड़ी	सोडमा	2020-21	0	0	0	0	0
284	कोंडागांव	माकड़ी	सोडमा	2021-22	0	0	0	0	0
285	कोंडागांव	माकड़ी	सोडमा	2022-23	0	0	0	0	0
286	कोंडागांव	माकड़ी	करमरी	2018-19	0	0	0	0	0
287	कोंडागांव	माकड़ी	करमरी	2019-20	0	0	0	0	0
288	कोंडागांव	माकड़ी	करमरी	2020-21	0	0	0	0	0
289	कोंडागांव	माकड़ी	करमरी	2021-22	0	0	0	0	0
290	कोंडागांव	माकड़ी	करमरी	2022-23	0	0	0	0	0
291	बिलासपुर	कोटा	रामदेई	2018-19	0	0	0	0	0
292	बिलासपुर	कोटा	रामदेई	2019-20	0	0	0	0	0
293	बिलासपुर	कोटा	रामदेई	2020-21	0	0	0	0	0
294	बिलासपुर	कोटा	रामदेई	2021-22	0	0	0	0	0
295	बिलासपुर	कोटा	रामदेई	2022-23	0	0	0	0	0
296	बिलासपुर	कोटा	तेंदूभाटा	2018-19	0	0	0	0	0
297	बिलासपुर	कोटा	तेंदूभाटा	2019-20	0	0	0	0	0
298	बिलासपुर	कोटा	तेंदूभाटा	2020-21	0	0	0	0	0

299	बिलासपुर	कोटा	तेंदूभाटा	2021-22	0	0	0	0	0
300	बिलासपुर	कोटा	तेंदूभाटा	2022-23	0	0	0	0	0
301	बिलासपुर	कोटा	खुरदुर	2018-19	0	0	0	0	0
302	बिलासपुर	कोटा	खुरदुर	2019-20	0	0	0	0	0
303	बिलासपुर	कोटा	खुरदुर	2020-21	0	0	0	0	0
304	बिलासपुर	कोटा	खुरदुर	2021-22	0	0	0	0	0
305	बिलासपुर	कोटा	खुरदुर	2022-23	0	0	0	0	0
306	बिलासपुर	कोटा	तुलुफ	2018-19	0	0	0	0	0
307	बिलासपुर	कोटा	तुलुफ	2019-20	0	0	0	0	0
308	बिलासपुर	कोटा	तुलुफ	2020-21	0	0	0	0	0
309	बिलासपुर	कोटा	तुलुफ	2021-22	0	0	0	0	0
310	बिलासपुर	कोटा	तुलुफ	2022-23	0	0	0	0	0
311	बिलासपुर	कोटा	बानाबेल	2018-19	0	0	0	0	0
312	बिलासपुर	कोटा	बानाबेल	2019-20	0	0	0	0	0
313	बिलासपुर	कोटा	बानाबेल	2020-21	0	0	0	0	0
314	बिलासपुर	कोटा	बानाबेल	2021-22	0	0	0	0	0
315	बिलासपुर	कोटा	बानाबेल	2022-23	0	0	0	0	0
316	बिलासपुर	बिल्हा	सेवती	2018-19	0	0	0	0	0
317	बिलासपुर	बिल्हा	सेवती	2019-20	0	0	0	0	0
318	बिलासपुर	बिल्हा	सेवती	2020-21	0	0	0	0	0
319	बिलासपुर	बिल्हा	सेवती	2021-22	0	0	0	0	0
320	बिलासपुर	बिल्हा	सेवती	2022-23	0	0	0	0	0
321	बिलासपुर	बिल्हा	उदगन	2018-19	0	0	0	0	0
322	बिलासपुर	बिल्हा	उदगन	2019-20	0	0	0	0	0
323	बिलासपुर	बिल्हा	उदगन	2020-21	0	0	0	0	0
324	बिलासपुर	बिल्हा	उदगन	2021-22	0	0	0	0	0
325	बिलासपुर	बिल्हा	उदगन	2022-23	0	0	0	0	0
326	बिलासपुर	बिल्हा	पेंड्रिडीह	2018-19	0	0	0	0	0

327	बिलासपुर	बिल्हा	पेंड्रिडीह	2019-20	0	0	0	0	0
328	बिलासपुर	बिल्हा	पेंड्रिडीह	2020-21	0	0	0	0	0
329	बिलासपुर	बिल्हा	पेंड्रिडीह	2021-22	0	0	0	0	0
330	बिलासपुर	बिल्हा	पेंड्रिडीह	2022-23	0	0	0	0	0
331	बिलासपुर	बिल्हा	मुरकुटा	2018-19	0	0	0	0	0
332	बिलासपुर	बिल्हा	मुरकुटा	2019-20	0	0	0	0	0
333	बिलासपुर	बिल्हा	मुरकुटा	2020-21	0	0	0	0	0
334	बिलासपुर	बिल्हा	मुरकुटा	2021-22	0	0	0	0	0
335	बिलासपुर	बिल्हा	मुरकुटा	2022-23	0	0	0	0	0
336	बिलासपुर	बिल्हा	पिरैया	2018-19	0	0	0	0	0
337	बिलासपुर	बिल्हा	पिरैया	2019-20	0	0	0	0	0
338	बिलासपुर	बिल्हा	पिरैया	2020-21	0	0	0	0	0
339	बिलासपुर	बिल्हा	पिरैया	2021-22	0	0	0	0	0
340	बिलासपुर	बिल्हा	पिरैया	2022-23	0	0	0	0	0
341	बेमेतरा	बेमेतरा	मुनरबोड	2018-19	0	0	0	0	0
342	बेमेतरा	बेमेतरा	मुनरबोड	2019-20	0	0	0	0	0
343	बेमेतरा	बेमेतरा	मुनरबोड	2020-21	0	0	0	0	0
344	बेमेतरा	बेमेतरा	मुनरबोड	2021-22	0	0	0	0	0
345	बेमेतरा	बेमेतरा	मुनरबोड	2022-23	0	0	0	0	0
346	बेमेतरा	बेमेतरा	रामपुर	2018-19	0	0	0	0	0
347	बेमेतरा	बेमेतरा	रामपुर	2019-20	0	0	0	0	0
348	बेमेतरा	बेमेतरा	रामपुर	2020-21	0	0	0	0	0
349	बेमेतरा	बेमेतरा	रामपुर	2021-22	0	0	0	0	0
350	बेमेतरा	बेमेतरा	रामपुर	2022-23	0	0	0	0	0
351	बेमेतरा	बेमेतरा	बाबाघटोली	2018-19	0	0	0	0	0
352	बेमेतरा	बेमेतरा	बाबाघटोली	2019-20	0	0	0	0	0
353	बेमेतरा	बेमेतरा	बाबाघटोली	2020-21	0	0	0	0	0
354	बेमेतरा	बेमेतरा	बाबाघटोली	2021-22	0	0	0	0	0

355	बेमेतरा	बेमेतरा	बाबाघटोली	2022-23	0	0	0	0	0
356	बेमेतरा	बेमेतरा	निनवा	2018-19	0	0	0	0	0
357	बेमेतरा	बेमेतरा	निनवा	2019-20	0	0	0	0	0
358	बेमेतरा	बेमेतरा	निनवा	2020-21	0	0	0	0	0
359	बेमेतरा	बेमेतरा	निनवा	2021-22	0	0	0	0	0
360	बेमेतरा	बेमेतरा	निनवा	2022-23	0	0	0	0	0
361	बेमेतरा	बेमेतरा	गांगपुर	2018-19	0	0	0	0	0
362	बेमेतरा	बेमेतरा	गांगपुर	2019-20	0	0	0	0	0
363	बेमेतरा	बेमेतरा	गांगपुर	2020-21	0	0	0	0	0
364	बेमेतरा	बेमेतरा	गांगपुर	2021-22	0	0	0	0	0
365	बेमेतरा	बेमेतरा	गांगपुर	2022-23	0	0	0	0	0
366	बेमेतरा	साजा	खुरुसबोड	2018-19	0	0	0	0	0
367	बेमेतरा	साजा	खुरुसबोड	2019-20	0	0	0	0	0
368	बेमेतरा	साजा	खुरुसबोड	2020-21	0	0	0	0	0
369	बेमेतरा	साजा	खुरुसबोड	2021-22	0	0	0	0	0
370	बेमेतरा	साजा	खुरुसबोड	2022-23	0	0	0	0	0
371	बेमेतरा	साजा	पतोरा	2018-19	0	0	0	0	0
372	बेमेतरा	साजा	पतोरा	2019-20	0	0	0	0	0
373	बेमेतरा	साजा	पतोरा	2020-21	0	0	0	0	0
374	बेमेतरा	साजा	पतोरा	2021-22	0	0	0	0	0
375	बेमेतरा	साजा	पतोरा	2022-23	0	0	0	0	0
376	बेमेतरा	साजा	पथरीखुर्द	2018-19	0	0	0	0	0
377	बेमेतरा	साजा	पथरीखुर्द	2019-20	0	0	0	0	0
378	बेमेतरा	साजा	पथरीखुर्द	2020-21	0	0	0	0	0
379	बेमेतरा	साजा	पथरीखुर्द	2021-22	0	0	0	0	0
380	बेमेतरा	साजा	पथरीखुर्द	2022-23	0	0	0	0	0
381	बेमेतरा	साजा	बीजा	2018-19	0	0	0	0	0
382	बेमेतरा	साजा	बीजा	2019-20	0	0	0	0	0

383	बेमेतरा	साजा	बीजा	2020-21	0	0	0	0	0
384	बेमेतरा	साजा	बीजा	2021-22	0	0	0	0	0
385	बेमेतरा	साजा	बीजा	2022-23	0	0	0	0	0
386	बेमेतरा	साजा	कांचरी	2018-19	0	0	0	0	0
387	बेमेतरा	साजा	कांचरी	2019-20	0	0	0	0	0
388	बेमेतरा	साजा	कांचरी	2020-21	0	0	0	0	0
389	बेमेतरा	साजा	कांचरी	2021-22	0	0	0	0	0
390	बेमेतरा	साजा	कांचरी	2022-23	0	0	0	0	0
391	कोंडागांव	कोंडागांव	रानापाल	2018-19	0	0	0	0	0
392	कोंडागांव	कोंडागांव	रानापाल	2019-20	0	0	0	0	0
393	कोंडागांव	कोंडागांव	रानापाल	2020-21	0	0	0	0	0
394	कोंडागांव	कोंडागांव	रानापाल	2021-22	0	0	0	0	0
395	कोंडागांव	कोंडागांव	रानापाल	2022-23	0	0	0	0	0
396	कोंडागांव	कोंडागांव	चिचडोंगरी	2018-19	0	0	0	0	0
397	कोंडागांव	कोंडागांव	चिचडोंगरी	2019-20	0	0	0	0	0
398	कोंडागांव	कोंडागांव	चिचडोंगरी	2020-21	0	0	0	0	0
399	कोंडागांव	कोंडागांव	चिचडोंगरी	2021-22	0	0	0	0	0
400	कोंडागांव	कोंडागांव	चिचडोंगरी	2022-23	0	0	0	0	0
401	कोंडागांव	कोंडागांव	नेवता	2018-19	0	0	0	0	0
402	कोंडागांव	कोंडागांव	नेवता	2019-20	0	0	0	0	0
403	कोंडागांव	कोंडागांव	नेवता	2020-21	0	0	0	0	0
404	कोंडागांव	कोंडागांव	नेवता	2021-22	0	0	0	0	0
405	कोंडागांव	कोंडागांव	नेवता	2022-23	0	0	0	0	0
406	कोंडागांव	कोंडागांव	मसोरा	2018-19	0	0	0	0	0
407	कोंडागांव	कोंडागांव	मसोरा	2019-20	0	0	0	0	0
408	कोंडागांव	कोंडागांव	मसोरा	2020-21	0	0	0	0	0
409	कोंडागांव	कोंडागांव	मसोरा	2021-22	0	0	0	0	0
410	कोंडागांव	कोंडागांव	मसोरा	2022-23	0	0	0	0	0

411	कोंडागांव	कोंडागांव	बेतबेडा	2018-19	0	0	0	0	0
412	कोंडागांव	कोंडागांव	बेतबेडा	2019-20	0	0	0	0	0
413	कोंडागांव	कोंडागांव	बेतबेडा	2020-21	0	0	0	0	0
414	कोंडागांव	कोंडागांव	बेतबेडा	2021-22	0	0	0	0	0
415	कोंडागांव	कोंडागांव	बेतबेडा	2022-23	0	0	0	0	0
योग					**33**	**29**	**27**	**27**	**27**

(स्रोत:- नमूना जांच किए गए ग्राम पंचायत)

परिशिष्ट- 2.8

(कंडिका 2.16.4 में संदर्भित)

चयनित जिला/ जनपद पंचायतों में गठित स्थायी समितियों एवं आयोजित बैठकों का विवरण

क्र. सं.	पंचायती राज संस्थाओं का नाम	गठित समिति का नाम	की गई बैठकों की संख्या					की गई बैठकों की संख्या का योग	गठित समितियों की संख्या
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23		
1	**जनपद पंचायत अंतागढ़**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	0	0	0	0	6
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	**जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	0	0	9	9	6
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	

		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	
3	**जनपद पंचायत बेमेतरा**	सामान्य प्रशासन समिति	6	5	2	4	5	22	6
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**5**	**2**	**4**	**5**	**16**	
4	**जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	5	0	2	7	8
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	

		वन एवं पर्यावरण स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वच्छता एवं गोठान समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**0**	**5**	**0**	**2**	**7**	
5	**जनपद पंचायत बिल्हा**	सामान्य प्रशासन समिति	4	3	3	5	3	18	9
		कृषि समिति	3	3	4	2	2	14	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	
		वन एवं पर्यावरण स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
		खनिज प्रबंधन समिति	0	0	0	0	0	0	
		अशक्त जन कल्याण स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**7**	**6**	**7**	**7**	**5**	**32**	
6	**जनपद पंचायत डोण्डी**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	4	2	2	8	6
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	

		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**0**	**4**	**2**	**2**	**8**	
7	**जनपद पंचायत गुरूर**	सामान्य प्रशासन समिति	3	2	3	0	1	9	6
		कृषि समिति	0	1	4	3	4	12	
		शिक्षा समिति	0	0	6	3	5	14	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	3	1	1	5	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	1	3	1	2	2	9	
योग			**4**	**6**	**17**	**9**	**13**	**49**	
8	**जनपद पंचायत खडगवां**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	0	0	5	5	5
		कृषि समिति	0	0	0	0	1	1	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	2	2	

योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**	
9	**जनपद पंचायत कोण्डागाँव**	सामान्य प्रशासन समिति	1	3	1	1	1	7	5
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**7**	
10	**जनपद पंचायत कुरूद**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	0	0	0	0	8
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	
		वन समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वच्छता और गोठान समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	**जनपद पंचायत मगरलोड**	सामान्य प्रशासन समिति	0	2	4	7	5	18	5
		कृषि समिति	2	1	2	3	3	11	

		शिक्षा समिति	1	2	3	2	2	10	
		संचार और संकर्म समिति	0	1	2	3	1	7	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	1	0	1	
योग			**3**	**6**	**11**	**16**	**11**	**47**	
12	**जनपद पंचायत माकड़ी**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	0	0	4	4	5
		कृषि समिति	0	0	0	0	3	3	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	1	1	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**	
13	**जनपद पंचायत पिथौरा**	सामान्य प्रशासन समिति	2	1	0	1	0	4	5
		कृषि समिति	2	3	0	1	1	7	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	2	2	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**4**	**4**	**0**	**2**	**3**	**13**	
14	**जनपद पंचायत साजा**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	0	0	8	8	8
		कृषि समिति	0	0	0	0	8	8	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	6	6	

		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	7	7	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	6	6	
		स्वच्छता और गोठान समिति	0	0	0	0	5	5	
		पशुपालन समिति	0	0	0	0	5	5	
		वन समिति	0	0	0	0	4	4	
योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**49**	**49**	
15	**जनपद पंचायत सरायपाली**	सामान्य प्रशासन समिति	6	2	3	6	2	19	5
		कृषि समिति	3	2	4	3	4	16	
		शिक्षा समिति	5	2	2	2	2	13	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**14**	**6**	**9**	**11**	**8**	**48**	
16	**जनपद पंचायत नरहरपुर**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	2	1	1	4	7
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	

		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	
		वन समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**4**	
17	**जनपद पंचायत कोटा**	सामान्य प्रशासन समिति	10	12	8	7	10	47	6
		कृषि समिति	5	8	6	9	9	37	
		शिक्षा समिति	6	7	5	8	8	34	
		संचार और संकर्म समिति	5	9	7	11	10	42	
		सहकारिता और उद्योग समिति	3	2	0	2	2	9	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	3	4	5	4	6	22	
योग			**32**	**42**	**31**	**41**	**45**	**191**	
18	**जिला पंचायत बालोद**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	0	0	0	0	6
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	

योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19	**जिला पंचायत धमतरी**	सामान्य प्रशासन समिति	5	7	4	4	5	25	8
		कृषि समिति	4	3	2	2	4	15	
		शिक्षा समिति	1	1	1	1	0	4	
		संचार और संकर्म समिति	3	0	2	2	3	10	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	3	3	2	8	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	3	3	3	9	
		वन समिति	2	3	3	3	0	11	
		खनिज प्रबंधन समिति	0	0	0	0		0	
योग			**15**	**14**	**18**	**18**	**17**	**82**	
20	**जिला पंचायत कांकेर**	सामान्य प्रशासन समिति	2	2	3	3	2	12	8
		कृषि समिति	4	2	3	4	4	17	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	3	0	1	1	0	5	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	1	1	0	2	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	
		वन समिति	0	0	0	0	0	0	

		स्वच्छता समिति	0	0	0	0	2	2	
योग			**9**	**4**	**8**	**9**	**8**	**38**	
21	**जिला पंचायत कोण्डागांव**	सामान्य प्रशासन समिति	0	2	1	0	0	3	5
		कृषि समिति	3	1	1	1	1	7	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	1	0	0	1	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	1	1	
योग			**3**	**3**	**3**	**1**	**2**	**12**	
22	**जिला पंचायत कोरिया**	सामान्य प्रशासन समिति	0	0	0	0	0	0	8
		कृषि समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वच्छता और स्वास्थ्य समिति	0	0	0	0	0	0	
		वन समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
23	**जिला पंचायत महासमुंद**	सामान्य प्रशासन समिति	3	3	4	5	3	18	6

		कृषि समिति	2	1	1	0	0	4	
		शिक्षा समिति	0	0	0	0	1	1	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	2	0	1	3	
		सहकारिता और उद्योग समिति	0	0	1	1	1	3	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	0	0	1	1	1	3	
योग			**5**	**4**	**9**	**7**	**7**	**32**	
24	**जिला पंचायत बेमेतरा**	सामान्य प्रशासन समिति	7	4	2	3	2	18	7
		कृषि समिति	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	0	
		शिक्षा समिति	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	0	
		संचार और संकर्म समिति	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	0	
		सहकारिता और उद्योग समिति	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास समिति	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	अभिलेख संधारित नहीं है।	0	
		स्वच्छता समिति	0	0	0	2	1	3	

योग			**7**	**4**	**2**	**5**	**3**	**21**	
25	**जिला पंचायत बिलासपुर**	सामान्य प्रशासन स्थायी समिति	0	0	5	5	6	16	10
		कृषि स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
		शिक्षा स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
		संचार और संकर्म समिति	0	0	0	0	0	0	
		सहकारिता और उद्योग स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वच्छता स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
		अशक्त जन कल्याण स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
		वन एवं पर्यावरण स्थायी समिति	0	0	0	0	0	0	
योग			**0**	**0**	**5**	**5**	**6**	**16**	

(स्रोत: नमूना जाँच किये गए जिला एवं जनपद पंचायत)

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/hi